खण्ड-309, अंक-7
बुधवार, 26 आषाढ़, शक संवत् 1896
(17 जुलाई, 1974 ई0)

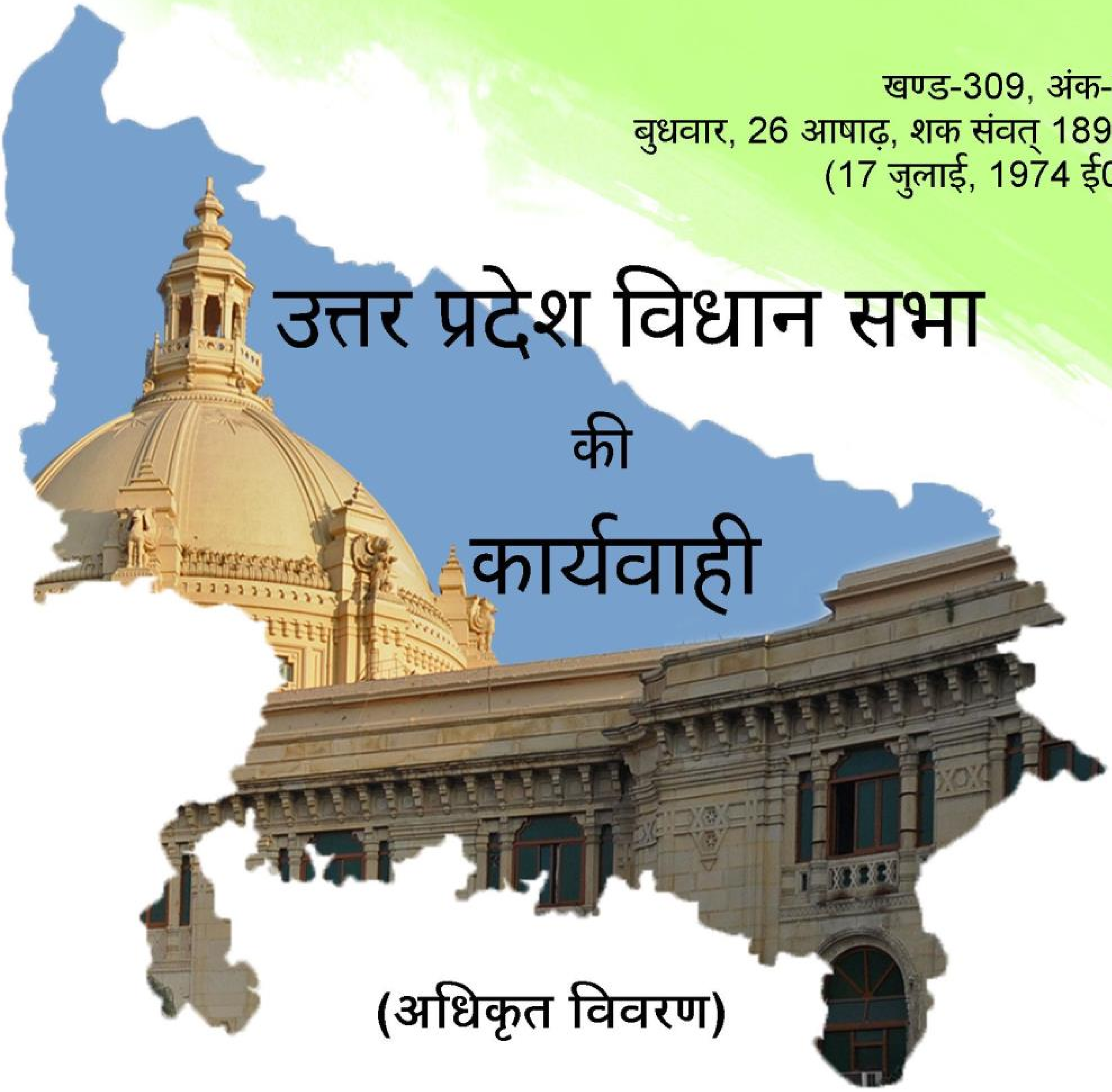

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 309 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १७ जुलाई, १९७४

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—४००

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री उर्फ जिमी मियां (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री,
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्र लाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशीनाथ मेहरोत्रा, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराम)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
कान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री

गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द्र, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वर पुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह नेगी, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेंहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जाफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराम गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप यादव, श्री
झाम लाल अहरिवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नारायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेणी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीप नारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबा)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
वीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजू राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री

निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसा अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभू दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांकेलाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखालाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महावीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान बहादुर सिंह, श्री
मुंशी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद, खां
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशौदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री

मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह, "जूदेव", श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
रामनिहोर, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पास सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्दु (एडवोकेट), श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री

उत्तर प्रदेश संसद

वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिव चरन लाल श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव पाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राय, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १७ जुलाई, १९७४

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

रासायनिक उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप गेहूं के मूल्य वृद्धि की मांग

*१—श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सरकार को जानकारी है कि रासायनिक उर्वरकों के भाव पिछले वर्ष के भाव से दूने हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस आधार पर गेहूं के भाव बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों तथा यदि हां, तो कब तक ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

जी हां, रासायनिक उर्वरक के मूल्य भारत सरकार द्वारा बढ़ा दिये गये हैं। जहां तक गेहूं का भाव बढ़ाये जाने का प्रश्न है यह राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र के बाहर की बात है।

श्री बाबू लाल वर्मा—

(माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित) क्या सरकार गेहूं के भाव के सम्बन्ध में कृषि उत्पादन सामग्री महंगी होने पर और महंगाई को देखते हुए गेहूं के मूल्य को बढ़ाने की आवश्यकता अनुभव करती है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, खाद और गेहूं के मूल्य का निर्धारण करने का अधिकार केन्द्र सरकार को है।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई ऐसी कमेटी बिठलाई गयी है जो उनकी सहूलियत के लिए ब्योरेवार कृषि को हर फसल में जितना खर्चा होता है उनके दाम क्या होते हैं और उस फसल के क्या दाम मिलते हैं। ताकि सरकार को सहूलियत हो और जनता को भी यह जानकारी हो कि उसकी फसल के क्या दाम मिलने वाले हैं।

श्री राम जी लाल सहायक—

कोई कमेटी ऐसी है, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मान्यवर, टका सेर खाजा, टका सेर भाजी की कहावत को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार केन्द्रीय सरकार से गेहूं के भाव बढ़ाने की सिफारिश करेगी ?

श्री राम जी लाल सहायक—

वह प्रश्न अब समाप्त हो गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह जानते हुए कि प्रदेश के किसानों की स्थिति बड़ी खराब है, केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश करेंगे कि उर्वरक की कीमत भी घटायी जाये ?

श्री रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, जब कीमतें बढ़ी थीं पहली जून को, उस समय शासन ने यह कोशिश की थी कि जो पुरानी खाद है उसको उसी कीमत पर रखा जाये और उसी कीमत पर रखा गया। नयी के बारे में हम नहीं कह सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस बात पर विचार करेगी कि अलाभकर जोत वाले किसानों को सब्सिडी दी जाये ?

श्री रामजी लाल सहायक--

यह नीति का प्रश्न है।

श्री राममूर्ति--

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल किया था वह मंत्री जी समझे नहीं। मैं दुबारा कह रहा हूं कि क्या इस चीज को देखते हुए कि हर साल कीमतें बढ़ रही हैं तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एक कमेटी बैठा दी जाये जो कृषि उत्पादन में लगी कीमत को ब्योरेवार देखे और उसके आधार पर सरकार को कीमत निश्चित करने में सहूलियत होगी और किसानों को भी यह जानकारी मिल जायेगी कि उसकी फसल के क्या दाम मिलेंगे ?

श्री राम जी लाल सहायक--

सुझाव अच्छा है, विचार किया जा सकता है।

श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि खाद के भाव बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई मुकदमा उच्च न्यायालय में है। सरकार सस्ती खाद उपलब्ध कराने की दृष्टि से कोई कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

श्री राम जी लाल सहायक--

उच्च न्यायालय में जो मसला है, वह जो प्राइवेट उर्वरक के विक्रेता थे उनका है। सरकार का नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सेंगर नदी (इटावा) पर पुल-निर्माण

*१--श्री गोरेलाल शाक्य (जिला इटावा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला इलाहाबाद में बकेवर भर्थना के मध्य सेंगर नदी के पुल पिछले चार वर्ष से अधूरा पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण पुल को क्या सरकार शीघ्र बनवाने की कृपा करेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)--

जी हां, इस पुल को शीघ्र बनवाने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री गोरे लाल शाक्य--

यह पुल किस तारीख से बनने जा रहा है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जिला इलाहाबाद में कोई ऐसी जगह नहीं। यह गलत छपा हुआ है।

श्री गोरे लाल शाक्य--

मान्यवर पहले वाले में इटावा था लेकिन इसमें गलत छप कर आया है।

श्री अध्यक्ष--

ताज्जुब है माननीय सत्य प्रकाश मालवीय को इसमें ज्यादा ख्याल है दूसरे को कम।

श्री गोरे लाल शाक्य--

माननीय अध्यक्ष महोदय मन्त्री जी से पूछ लिया जाय कि उन्होंने इटावा का उत्तर दिया है कि इलाहाबाद का?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

इटावा का उत्तर है।

श्री गोरे लाल शाक्य--

मान्यवर, कब तक निर्माण-कार्य प्रारम्भ करने जा रहे हैं कृपया तिथि तो बता दें?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

श्रीमन् इसके दो कुएं आधा-आधा मीटर के करीब घुस गये हैं उसकी टेस्ट बोरिंग होगी तब काम किया जायगा। ऐसा प्रयास है कि ३०-६-७५ तक वह बन कर तैयार हो जायगा।

श्री गोरे लाल शाक्य--

यह बोरिंग कब समाप्त हो जायगी?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर इस पुल को बनाने की कोई अवधि मुकर्रर थी? यदि हां, तो उस अवधि के अन्दर क्यों नहीं पूरा हुआ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

मान्यवर पूरा होना था वैसे यह जनवरी, ७३ तक लेकिन बीच में जैसा मैंने निवेदन किया पहले एक ठेकेदार मुकर्रर हुआ उसने कोई काम नहीं किया और उसने काम छोड़ दिया। तब दूसरा ठेकेदार मुकर्रर हुआ, उसने भी कम काम किया, तब उसके बाद विभाग और सेतु निगम इस काम को कर रहा है। फिर जब वह दो कुएं जो बीच के थे उसमें नीचे, उसके बाटम प्लानिंग के लिये जब मिट्टी निकाली जा रही थी आधा-आधा मीटर वे बैठ गये इसलिये काम रुक गया, क्योंकि जब तक रिसर्च वाले उसकी बोरिंग करके नहीं रिपोर्ट देंगे तब तक कठिनाई है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मन्त्री जी ने कहा कि जैसा मैंने पहले कहा कि जिन ठेकेदारों को इसका `का दिया और जिन्होंने समय के अन्दर निर्माण पूरा नहीं किया उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न वही स्थगित किया हुआ वाला है।

श्री गोरेलाल शाक्य--

मान्यवर, माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि बोरिंग होगी तब काम प्रारम्भ किया जायगा। तो मान्यवर बोरिंग कब से होने जा रही है?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

श्रीमन् इस वक्त तो बारिश है, बारिस के बाद रिसर्च वाले टेस्ट बोरिंग करेंगे।

गोरखपुर के ड्रेनेज डिवीजन के ठेकेदारों व अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

क्या सिचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के ड्रेनेज डिवीजन के किन-किन ठेकेदारों, अधिदर्शकों, सहायक अभियन्ताओं, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध जनता एवं प्रश्नकर्ता की ओर से मिट्टी के कार्य भुगतान एवं अन्य निर्माण कार्य के सम्बन्ध में सन् १९७२ से फरवरी १९७४ तक कितनी शिकायतें की गई? अब तक इन पर क्या कार्यवाही की गई?

सिचाई मन्त्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)--

कुल २० शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें से १० शिकायतों का निस्तारण किया गया है। बाकी में आवश्यक छानबीन की जा रही है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि क्रम में दिया हुआ है कि ठेकेदार अधिदर्शक सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई, तो क्रमशः किनके-किनके विरुद्ध शिकायतें पड़ी हुई हैं इसको बताने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप पूरा विवरण मांग रहे हैं। २० शिकायतें रही हैं, जिनमें से १० का निस्तारण किया जा चुका है। इन १० के बारे में आप प्रश्न कर लें?

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन के विरुद्ध अभी शिकायतें पड़ी हुई हैं?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

ये बहुत से लोगों के खिलाफ शिकायतें थीं। इसमें से सन् १९७२ में 2 शिकायतें मिली थीं वर्क आर्डर के सिलसिले में। सन् १९७३ में १४ शिकायतें मिली थीं उनमें से ९ तय हो चुकी हैं। बाकियों में कार्यवाही चल रही है। सन् १९७४ में एक तय हो चुकी है और ३ बाकी हैं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

ये १० शिकायतें किन-किन ठेकेदारों, अधिदर्शकों, सहायक अभियन्ताओं और अधिशासी अभियन्ताओं के विरुद्ध हैं?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

इनमें से एक शिकायत श्री राम नवल किशोर के खिलाफ थी, जो कि ठेकेदार हैं, एक इन्हीं की शिकायत श्री शंकर दयाल सिंह, अभियन्ता और गणेश चन्द यादव ठेकेदार के बारे में थी और एक बलराम सिंह के बारे में थी। ये इस प्रकार से है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

किन-किन ठेकेदारों, अधिदर्शकों, सहायक एवं अधिशासी अभियन्ताओं के विरुद्ध ये शिकायतें थीं?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जिनके बारे में शिकायतें थीं, उन्हीं के बारे में मैंने अर्ज किया है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनमें कोई दोषी पाया गया? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

१० शिकायतों के बारे में यह हुआ कि इनमें जो इल्जामात लगाये गये थे वे सही नहीं पाये गये, बाकियों के बारे में छानबीन की जा रही है ।

श्री काशी नाथ मिश्र---

शिकायतों का नेचर क्या था, यानी किस प्रकार की शिकायतें थीं ? क्या ये इस प्रकार की थीं कि ड्रेनेज में निकासी के काम के बिना या मिट्टी खोदे बगैर ही ठेकेदार ने पेमेंट करा लिया ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

माननीय फिरंगी प्रसाद जी ने यह लिखा था कि श्री सुरेश कुमार दुबे ओवरसियर ठेकेदारों में काम करा रहे हैं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

जैसा कि मैंने स्वयं देखा श्री वशिष्ट तिवारी और श्री सुरेश दुबे ओवरसियर ने जो टेस्ट वर्क से काम हुआ उसमें मस्टर रोल पर अंकित लोगों से हस्ताक्षर कराने के बाद बीठा के ग्राम प्रधान से प्रमाणित करा लिया कि पैसा दे दिया गया लेकिन आज तक पैसा नहीं दिया गया ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

जहां तक शिकायतों का ताल्लुक है उनके बारे में आपको ३ पत्र लिखे जा चुके हैं । एक तो अभी अभी २५-६-७४ का लिखा जाय कि जो भी तारीख आपको सुविधाजनक हो उस पर आप सबूत दे दें ताकि मामले में उचित कार्यवाही की जा सके ।

श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन एसिसटेन्ट इन्जीनियर्स जूनियर इन्जीनियर्स या एक्जीक्युटिव इन्जीनियर्स के ठेकेदारों के विरुद्ध जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं क्या उनको वहां से हटाकर जांच की गयी है या उनकी मौजूदगी में ही जांच की गयी है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

वहां जितने आदमी थे उन सब का ट्रांसफर कर दिया गया है और सुरेश कुमार दुबे जी का भी ट्रांसफर हो जायगा ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---

क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि उनका ट्रांसफर जो हो गया था तो सब ट्रांसफर रिजेक्ट हो गये और फिर सब वहीं के वहीं हो जायंगे?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

मैंने तो जैसा मुझे इत्तला है अर्ज किया कि सब के ट्रांसफर हो गये हैं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस रजिस्ट्री का हवाला दिया गया है वह मुझे 3 जुलाई को घर पर प्राप्त हुई जबकि उसमें लिखा था कि पहली जुलाई को आकर अभियन्ता के विषय में बतावें ? तो जिस अधिकारी ने कोई सूचना इस बीच में नहीं दी जबकि मैं प्रश्न राष्ट्रपति शासन के समय में किया था, और ३ जुलाई को पत्र भेजा है इसके बीच तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे कि जो अष्टाचार को पनपा रहे हैं?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जहां तक इसका सवाल है मैं मालूम करूंगा और उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जायगा अगर साबित हुआ ।

*३--श्री राम रेखा यादव--

(निरस्त)

जनता इण्टर कालेज ओड़वारा (बस्ती) के निर्माण-कार्य में कथित गोलमाल

*४--श्री ओम प्रकाश (जिला शाहजहांपुर), श्री भीषम (जिला बस्ती) तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनता इन्टर कालेज, ओड़वारा, जिला बस्ती द्वारा १९६९ के अब तक कराये गये निर्माण-कार्य में बहुत काफी मात्रा में गोलमाल किया गया है तथा चल एवं अचल संपत्ति के क्रय एवं विक्रय व बटाई पर उठाई गई भूमि के प्राप्त धन का अनुसूचित रूप से उपयोग किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मामले की जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री रामजीलाल सहायक--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस विषय में क्या कोई मुकदमा अदालत में गया था ? यदि हां, तो उसका निर्णय शासन को किस रूप में मिला ?

श्री रामजी लाल सहायक--

कोई मुकदमा न्यायालय में गया, इसकी सूचना यहां नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न में जो मामला बताया गया है तो जांच किसने की और कब किया जिसका परिणाम यह हुआ कि आप इस नतीजे पर पहुंचे कि कुछ हुआ ही नहीं?

श्री रामजीलाल सहायक--

जब उसकी शिकायत नहीं तो जांच किसकी कराते ?

तहसील वाराणसी के नालों की खोदाई तथा उन पर पुल निर्माण

*५--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का एक पत्र १०-४-७४ का लिखा हुआ परगना, कोलअसला, पन्द्रहा, अठगौवा तहसील व जिला वाराणसी के नालों

की खोदाई एवं उस पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में मिला है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी हां । इस पर कार्यवाही हेतु आवश्यक छानबीन कराई जा रही है ।

श्री ऊदल--

क्या मन्त्री जी इसकी भी जांच करायेंगे कि यह ट्रेन है बरही नवादा यह बहुत बड़े ताल-मच्छी ताल में गिर जाती है तो उसको बीफापुर से मोड़कर कुंडी नाले में मिला दिया जाय, उसकी भी जांच करायेंगे?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

उसकी तो जांच हो रही है ।

श्री ऊदल--

क्या इस पर गौर करेंगे कि यह कुंडी नाला बहुत जबरदस्त है और आने जाने में लोगों को बहुत परेशानी होती है तो इसमें गांव कनियर है जहां से हजारों लोग जाते हैं तो उस पर पुल की भी व्यवस्था करेंगे?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

यह कुदरती नाला है, इसपर सिंचाई विभाग के जरिये से पुल वगैरह बनाना मुमकिन नहीं है ।

श्री ऊदल--

क्या इस कुदरती नाले में सिंचाई विभाग की तरफ से कुंडी बांध बना हुआ है जिसमें रेगुलेटर वगैरा भी लगाया गया है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

बांध बनाया गया है, सही है ।

श्री ऊदल--

जब सही है तो कुदरती का क्या मतलब है मैं जानना चाहता हूं ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

सवाल यह है कि जो नाले इस तरीके के होते हैं तो जो सरकारी होते हैं उन पर पुल वगैरा बनता है हमारे विभाग की तरफ से, लेकिन जो आमतौर से होते हैं उन पर हमारे विभाग की तरफ से पुल नहीं बनता ।

श्री ऊदल--

मेरा मतलब यह था कि बरहा नवादा ड्रेन को खोदा जायगा तो कुंडी नाले को भी गहरा करना पड़ेगा और जहां गहरा किया जायगा वहां पुल की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

इसे देख लिया जायगा ।

ईश्वरीगंज मजरा व बिनौरा ग्राम (कानपुर) में नाला खुदवाने की मांग

*६---श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)---

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि ग्राम ईश्वरीगंज मजरा ग्राम बिनौरा, परगना कानपुर हर वर्ष वर्षा ऋतु में बरसाती पानी भरने से जलमग्न हो जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार बरसाती पानी के निकालने के लिये रिहन्द नदी तक नाला खुदवाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी नहीं । हर वर्ष जलमग्न नहीं होता है केवल ज्यादा वर्षा के समय ही पानी उक्त गांव के तालाब में भरता है जिससे पानी आबादी में आ जाता है । परन्तु वह भी एक छोटे रास्ते जैसे खुदे नाले से होकर रिहन्द नदी में चला जाता है ।

चूंकि उपरोक्त स्थिति केवल अधिक वर्षा के समय ही उत्पन्न होती है तथा इससे कृषि योग्य भूमि को क्षति नहीं होती , अतः उपरोक्त छोटे रास्ते के सुधार की कोई व्यवस्था प्रस्तावित नहीं है ।

श्री आशा राम यादव--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि कम वर्षा और ज्यादा वर्षा का मापदंड क्या है और अधिक वर्षा हो गयी तो क्या उस गांव को बह जाने दिया जायगा और मन्त्री महोदय खड़े होकर देखते रहेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

वहां के उप प्रधान से इस बारे में मालूमात की गयी और उस ब्लाक के जो साहब प्रमुख थे, उनसे भी मालूमात की गयीं । उसकी बिना पर कहा जा सकता है कि अभी पानी वहां ठहरता नहीं है ।

श्री आशाराम यादव---

मन्त्री जी ने कहा कि वर्षा होती है तो गांव में पानी रुक जाता है और उसमें जलमग्न हो जाता है । अधिक वर्षा या कम वर्षा का मापदंड क्या है इनका ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

मैंने गांव के बारे में नहीं कहा । उसके पास जो तालाब है उसमें पानी भर जाता है ।

जिला जालौन के प्राइमरी स्कूलों के भवनों का निर्माण

*७--डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)---

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में ग्राम बहचूरा कुंवरपुरा (कोंच) ऊमरी खुर्द कुठौन्दा खुर्द कैजिया ऊंचा गांव जुगराजपुरा हीरापुर (जालौन) नैनपुरा नदी गांव आदि के प्राइमरी स्कूलों की इमारतें बनवाने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो यह इमारतें कब तक तैयार हो जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

डाक्टर मलखान सिंह---

यह सूचना कब तक एकत्रित होती रहेगी ? क्या यह सही नहीं है कि वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी आपको सूचना नहीं दे रहे हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक--

अभी तक तो ऐसा नहीं मालूम होता कि वह सूचना नहीं दे रहे हैं। वैसे मैं जांच करा लूंगा। अगर मालूम होगा तो फिर करूंगा उसका इलाज।

चक्का बांध लिफ्ट योजना (गाजीपुर) द्वारा सिंचाई

*८--श्री रामजी सिंह (जिला गाजीपुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के जमानियां तहसील में चक्का बांध लिफ्ट योजना से कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था है और शेष असिंचित भूमि खंड के सिंचाई हेतु क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

गाजीपुर जनपद के जमानियां तहसील के जमानियां पम्प नहर (जिसे स्थानीय रूप से चक्का बांध योजना कहा जाता है) से ६०,००० एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था है और शेष भूमि खण्ड की सिंचाई के लिये जमानियां पम्प नहर की क्षमता वृद्धि की परियोजना बनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त वर्तमान सिंचाई अधिष्ठान से जमानियां तहसील के असिंचित क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिये जो योजनायें बनाई गई हैं, उनकी स्थिति संलग्न सूची में दिखाई गई है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७७० पर)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो काश्तकार इससे उजड़ेंगे उनको बसाने की भी कोई योजना आपके सामने है ?

श्री अध्यक्ष --

यह अलग सवाल है।

श्री रामजी सिंह--

जैसा कि मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि ६० हजार एकड़ जमीन सींचने की क्षमता है तो १९७३-७४ में कितने एकड़ की सिंचाई उस कैनाल से हुई ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

गाजीपुर जनपद में जमानियां तहसील में चक्का बांध लिफ्ट योजना द्वारा ६० हजार एकड़ एरिया को सिंचाई की सहूलियत देने का इन्तजाम है।

श्री रामजी सिंह--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९७३-७४ में कितने एकड़ में सिंचाई हुई है ? मैंने यह प्रश्न पूछा था।

श्री अध्यक्ष--

वह सूचना उनके पास नहीं है, क्षमता कितनी है वह उन्होंने बता दी।

श्री रामजी सिंह--

नहरों के निर्माण के सम्बन्ध में मन्त्री जी ने बताया कि सर्वेक्षण हो रहा है, तो कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

सर्वेक्षण की कार्यवाही हो रही है, काम हम जल्दी कर देना चाहते हैं ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

जिन किसानों की ६० हजार एकड़ भूमि ली जा रही है, उनको कितना मुआवजा सरकार दे रही है तथा उनके बसाने की भी योजना है ?

श्री अध्यक्ष---

इस सवाल से यह नहीं उठता है । अलग सवाल कीजिये ।

श्री रामजनम राय (जिला गाजीपुर)---

क्या मन्त्री जी को इसकी सूचना है कि एक भी एकड़ जमीन में सिंचाई नहीं हुई है और शुल्क वसूल किया जा रहा है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

अगर आप लिखित सूचना देंगे तो जांच करवा लेंगे ।

श्री रामजी सिंह---

मान्यवर, जमानिया पम्प नहर से एक भी एकड़ में सिंचाई नहीं हुई है, और सिंचाई शुल्क लगा दिया गया है किसानों पर, तो क्या मन्त्री जी इसकी जांच करवा कर सिंचाई शुल्क माफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

आप लिखकर देंग तो पूरी जांच करवा लेंगे । अगर सिंचाई नहीं हुई है तो जरूर माफ कर देंगे ।

तारांकित प्रश्न

बी० डी० टी० इन्टर कालेज, उन्नाव के अध्यापकों की नियुक्ति एवं वेतन भुगतान में अनियमितताएं

*१---श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव ने इन्टरमीडिएट ऐक्ट की धारा १६ एफ का उल्लंघन करते हुए बिना विज्ञापन जारी किये तथा बिना चयन समिति की संस्तुतियों के बी० डी० टी० इन्टर कालेज, मियांगंज, जिला उन्नाव में जुलाई, १९७३ में अस्थायी अध्यापकों की नियुक्ति का अनुमोदन किया है ? यदि हां, तो कितने ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की गई है ?

श्री रामजीलाल सहायक---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*२---श्री भीखा लाल---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव ने बी० डी० टी० इन्टर कालेज, मियांगंज, जिला उन्नाव के वर्ष १९७३ में कुछ ऐसे अध्यापकों के वेतन का भुगतान किया है जिन्हें कार्यरत न कराने के आदेश उन्होंने जारी किये थे और जिन्हें अनुमोदन के उपरान्त प्रबन्ध समिति द्वारा विधिवत् नियुक्ति पत्र भी दिये गये थे ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री रामजी लाल सहायक--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री भीखा लाल--

२-४-७३ को आपके यहां यह प्रश्न दिया गया, २३-५-७३ को सरकार को भेजा गया और करीब दो माह बाद भी यही जवाब दिया जा रहा है कि उत्तर प्राप्त नहीं हो सका, सूचना एकत्र कर रहे हैं, तो कब तक इसका उत्तर मिल जायगा ?

श्री रामजी लाल सहायक--

इसका जवाब जल्दी मिल जायगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

श्रीमन्, उन्नाव यहां से ज्यादा दूर नहीं है, वहां से सूचना मंगाने में आखिर क्या कठिनाई है ?

श्री रामजी लाल सहायक--

श्रीमन्, इसमें कई बातें पूछी गयी हैं जिनको मालूम करना था । अध्यापकों की संख्या, वेतन का भुगतान, कार्यरत न कराने के आदेश, अनुमोदन का प्रश्न आदि कई चीजें इसमें पूछी गयी हैं, इन सबका उत्तर आने में देर तो होगी ही ।

श्री ऊदल--

यह सारी सूचना तो इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स तथा डिप्टी डायरेक्टर के आफिस में मौजूद रहती हैं, क्या मन्त्री जी को इसकी जानकारी है ? यदि हां, तो वहां से सूचना मंगाने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष--

आप दूसरा सवाल कीजिये ।

श्री ऊदल--

मैं यह जानना चाहता हूं कि कालेजों से संबंधित जितने कागजात होते हैं इंसपेक्टर्स आफ स्कूल्स के पास रहते हैं तो क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि वह कागजात अभी तक क्यों नहीं आये ?

श्री रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, सूचना इंसपेक्टर्स आफ स्कूल के माध्यम से आती है और सूचना अभी तक नहीं आयी है ।

*३--चौधरी राम पाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

[८वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

सगड़ी एवं घोसी तहसीलों (आजमगढ़) में घाघरा नदी से उपजाऊ भूमि का कटाव

*४--श्री राम सुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी एवं घोसी तहसील के हजारों एकड़ खेती की उपजाऊ भूमि नदी घाघरा के भीषण कटाव से कट कर

नदी के पेट में चली गई है ? यदि हां, तो उक्त प्रकार के भीषण कटाव को रोकने के लिये "पक्के ठोकर" बनाने की योजना उनके विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राम सुन्दर पांडेय--

मान्यवर, इस सवाल को आपके कार्यालय को भेजे एक महीना ३ दिन हो गये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि अब तक सूचना एकत्र न होने का कारण क्या है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

मान्यवर, कोशिश की जा रही है, कई दफे लिखा गया है । जल्दी से जल्दी जवाब आयगा तो पेश किया जायगा ।

श्री राम सुन्दर पांडेय--

मान्यवर, सूचना कब तक उन्हें मिल जायेगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

मान्यवर, अगर सूचना आ गयी तो अगले बुध तक दे देंगे नहीं तो उससे अगले बुध को दी जायगी ।

श्री अध्यक्ष--

जो आपन पूछा है कि पक्की ठोकर बनाने की योजना विचाराधीन है, या नहीं, तो इसकी सूचना अगले १५ दिन में आ जायेगी ।

कानपुर बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों को देय नया वेतनमान

*५--श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद के बेसिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को शासन द्वारा घोषित बढ़े हुए वेतनमानों का भुगतान हो चुका है ? यदि हां, तो कब और कितना अतिरिक्त धन वितरित हुआ ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी नहीं । कानपुर जनपद के बेसिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का वेतन नये वेतनमानों में निर्धारित किया जा रहा है । यह प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् शीघ्र ही कर्मचारियों को नये वेतनमान में वेतन का भुगतान कर दिया जायगा ।

श्री जगदीश अवस्थी--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि इस प्रक्रिया के अन्तर्गत अध्यापकों और अध्यापिकाओं से उनके आप्शन फार्म ३१ मार्च तक भरा लेने चाहिये थे । यह कार्य अभी तक संपन्न नहीं हुआ है तो मैं जानना चाहता हूं कि कब तक यह आप्शन फार्म भराये जायेंगे और अभी तक क्यों नहीं भराये गये ?

श्री रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, आप्शन फार्म भरने का कार्य अध्यापक और अध्यापिकाओं का है, अगर न भर कर न भेजें तो इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है । अब प्रश्न यह है कि मई में

[श्री रामजी लाल सहायक]

विद्यालय बन्द थे और अभी भी बन्द है इसलिये शायद आप्शन फार्म भरने में देर हुई है और फार्म नहीं आये हैं ।

श्री जगदीश अवस्थी--

मान्यवर, जैसा कि मन्त्री जी ने बताया कि अध्यापक और अध्यापिकाओं ने आप्शन फार्म भर कर नहीं भेजे हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कार्य बेसिक शिक्षा अधिकारी को कराना चाहिये था, तो यह कार्य क्यों नहीं कराया गया है ?

श्री रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, विकल्प पत्र तो अध्यापक और अध्यापिकाओं के भरने की बात है कि वह उनको भर कर भेजें ।

श्री जगदीश अवस्थी--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो वेतनमान बढ़ाये गये हैं, वह धनराशि जो बढ़ायी गयी है लगभग कितनी है और कितने अध्यापक और अध्यापिकायें इससे लाभांवित होंगे और यह प्रक्रिया कब तक समाप्त हो जायेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, यह प्रक्रिया जल्दी ही समाप्त हो जायेगी, यही आशा है । और जो यह नये वेतनमान हैं इनके अनुसार इस जुलाई मास का वेतन अगस्त मास में उनको नये वेतन-मान से दिया जायगा ।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

(माननीय मन्त्री जी के उत्तर से संबंधित) मान्यवर, क्या आपके पास इस तरह की शिकायत कई स्थानों से आयी है कि जो यह मामला है अभी तक निदेशालय में ही पड़ा हुआ है । तो क्या यह बात सही है ?

श्री रामजी लाल सहायक--

शासन में कोई शिकायत नहीं है ।

श्री स्वामी हरनामदास विद्यालय, ग्राम कमालपुर (जिला कानपुर) को मान्यता

*६--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतावेंगे कि श्री स्वामी हरनाम दास विद्यालय, ग्राम कमालपुर पो० अकारु, जिला कानपुर को अस्थाई मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में मेरे पत्र दिनांक २०-३-७४ को शिक्षा मन्त्री ने बेसिक शिक्षा निदेशक को दिनांक २०-३-७४ को मान्यता दिये जाने की व्यवस्था करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से उस पर क्या कायवाही की गई ?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी हां । इस विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल स्तर की अस्थायी मान्यता प्रदान की गई है ।

*७--श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

[८वें बुधवार के लिए स्थगित]

जसवन्तनगर-कचौराघाट सड़क, जिला इटावा को पक्का करने की मांग

*८—श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले की जसवंत नगर से कचौराघाट जाने वाली डामर रोड को पक्का करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य आरम्भ किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं ।

धनाभाव के कारण इस सड़क को पक्का कराना इस समय सम्भव नहीं है ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि इस समय धनाभाव के कारण आप पक्की सड़क नहीं बनवा सकते हैं तो आपका धनाभाव कब समाप्त होगा और कब पक्की सड़क बनेगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

यह धनाभाव का कारण कब समाप्त होगा इसको निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता है ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, जसवंत नगर से कचौराघाट तक सड़क बनने पर कितना खर्च होगा इसी को बता दें ? दूसरा प्रश्न यह है कि जब यह नहीं बता पाये कि इनका धनाभाव कब समाप्त होगा तो यह बता दें कि इस पर कितना खर्च होगा? इससे यह सिद्ध हो जायगा कि इनका धनाभाव कब समाप्त होगा ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, जब तक उसका अनुमान न हो तब तक कैसे पता हो कि इनको धनाभाव है । इसका जवाब आना चाहिये ।

(उत्तर के लिये मन्त्री को नहीं पुकारा गया)

श्रीमती सुखदा मिश्रा (जिला इटावा)—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जब धन हो जायगा तो सबसे पहले इस सड़क को लेंगे या और सड़क को लेंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मान्यवर, यह भी नहीं कहा जा सकता है । जब धन होगा तब दूसरों पर भी विचार किया जायगा ।

उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन का गठन और उसके द्वारा निर्माणाधीन पुल

*९—श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं), श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद) श्री झिलमिट (जिला गाजीपुर) तथा श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पुल निगम ब्रिज कारपोरेशन उत्तर प्रदेश में किस तिथि से संगठित हुई उसने कौन-कौन सदस्य और पदाधिकारी हैं और उनके मेमोरेन्डम

[श्री मोहम्मद असरार अहमद, श्री सत्य प्रकाश मालवीय, श्री झिलमिट तथा श्री पुरुषोतम कौशिक] और आर्टिकिल आफ एसोसियेशन क्या हैं ? क्या सरकार उसकी एक-एक प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेगी और यह भी कृपया बतलायेंगे कि इस निगम पर कितना-कितना रुपया लगा है और कितने पुर्जे प्रोजेक्ट तैयार करके कार्यान्वित करा रही है ? कितनों पर विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन १८ अक्टूबर, १९७२ से संगठित हुई है। इस कारपोरेशन के संचालक मण्डल के सदस्य एवं पदाधिकारी निम्नलिखित हैं:--

१--आयुक्त एवं सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग	चेयरमैन
२--आयुक्त एवं सचिव, नियोजन	सदस्य
३--सचिव, न्याय	सदस्य
४--विशेष सचिव, वित्त	सदस्य
५--मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग-प्रबन्ध निदेशक।	

६--अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग-सदस्य कारपोरेशन के मेमोरेन्डम और आर्टिकल आफ एसोसियेशन की प्रतिलिपि संलग्न† है। इस निगम की आर्थिक पूंजी के लिये शासन द्वारा ५० लाख रुपये दिये गये हैं। निगम द्वारा ३३ पुलों के प्रोजेक्ट तैयार किये गये हैं, इनमें से १२ पुलें निर्माणाधीन हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

मान्यवर, क्या सरकार बतायेगी कि यह ३३ प्रोजेक्ट कौन-कौन से हैं तथा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो १२ पुल बने रहे हैं वे कौन-कौन से हैं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

इसकी सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो ३३ पुल तैयार किये गये हैं क्या उनको सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

यह सभी बनेंगे, श्रीमन्।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो स्वीकृति उन्हों ने पुलों की दी है तो क्या उसमें मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बीच गंगा नदी का पुल भी है ?

श्री अध्यक्ष--

इसमें अलग से सूचना की जरूरत होगी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो मेमोरेन्डम आफ एसोसियेशन है उसमें ११ डाइरेक्टर हो सकते हैं तो सरकार ने अभी तक नियुक्त क्यों नहीं किये हैं और उसमें नान-अफीशल को क्यों नहीं लिया गया ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

इस वक्त जो रहे उसको मैंने निवेदन कर दिया । वैसे माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उस पर विचार किया जायगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस कारपोरेशन द्वारा जिन पुलों का निर्माण करवाया जायेगा तो क्या सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है कि कितनी लागत का पुल कारपोरेशन बनायेगी और कितनी लागत तक का विभाग ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जो पुल ऐसे हैं जिनसे पथकर वसूल होने पर पूरा पैसा वसूल किया जा सकता है उसका कारपोरेशन सीधे निर्माण करेगी । आमतौर से २०० फीट या उससे ऊपर के पुल कारपोरेशन बनायेगी । लेकिन मुख्य बात यह है कि वित्तीय संस्थाओं से जो पैसा लेकर पुल बनाया जायेगा वह पथकर से वसूल हो जाये । कुछ पुलों का निर्माण सरकार कारपोरेशन को पैसा देकर डिपोजिट वर्क करके उनसे कार्य करवायेगी ।

श्री देवकुमार यादव (जिला बांदा)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में ९ जनवरी को यमुना और केन पुल जिनका शिलान्यास माननीय प्रधान मन्त्री ने किया था उनको कब तक पूरा कराया जायगा ।

श्री अध्यक्ष--

यह दूसरा प्रश्न है ।

श्री सत्य पाल मलिक (जिला मेरठ)--

ब्रिज कारपोरेशन में चेयरमैन को अभी तक अलग से नियुक्त क्यों नहीं किया गया । जो पी० डब्लू० डी० के इन्जीनियर साहब काम रहे हैं जब वह रिटायर हो जायेंगे तब क्या उन्हीं की नियुक्ति की जायगी चेयरमैन के पद पर ?

श्री अध्यक्ष--

आयुक्त एवं सचिव इसके चैयरमैन हैं ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्रिज कारपोरेशन के बन जाने के बाद चन्द महीनों में ठेकेदारी व्यवस्था को समाप्त करने जा रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

मान्यवर जबसे कारपोरेशन बना और उसके पहले भी विभाग द्वारा पुलों का निर्माण हुआ करता था । पहले जो ठेकेदार काम कर रहा है वरना आम तौर से यह होता है कि जितने भी पुलों का निर्माण कार्य होता है वह यह विभागीय यूनिट की तरह से ब्रिज कारपोरेशन वाले करते हैं ।

श्री सत्यपाल मलिक--

मान्यवर, मेरा अनुपूरक प्रश्न था वह क्यों स्थगित कर दिया ।

श्री अध्यक्ष--

उसके चेयरमैन आयुक्त एवं सचिव है ।

श्री मोहम्मद अहमद--

दसवें प्रश्न के उत्तर म लिखा है कि सूचना की आवश्यकता है । मेरी सूचना है कि अधिशासी अभियंता ऐस्टीमेट भेज दिया है और वह इनके यहां मौजूद है ।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

हमारे पास नहीं है और हमें जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

यह १५ दिन बाद आयेगा ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

यह दो बार प्रश्न आयेगा । इसमें समय खर्च होगा । इनके कार्यालय में सूचना मौजूद है, अगर यह न दें तो अच्छी परम्परा नहीं है । मंत्री जी यही कह दें कि सरकार को भेजा नहीं गया है ।

एक सदस्य--

मान्यवर, इस प्रश्न से दो जिले संबंधित हैं । कृपया उत्तर दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने अभी कहा कि यह फिर आयेगा ।

बदायूं--आंवला सड़क का निर्माण--कार्य

*१०--श्री मुहम्मद असरार अहमद, श्री सत्य प्रकाश मालवीय, श्री झिलमिट तथा श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं से कुंवर गांव होकर आंवला जाने वाली सड़क का हिस्सा बदायूं कुंवर गया पी० डब्लू० डी० द्वारा जो बनाया जा रहा था वह अब रोक दिया गया ? यदि हां, तो क्यों, क्या इस संबंध में अधिशासी अभियंता न कोई इस्टीमेट स्वीकृति हेतु भेजा है ? यदि हां, तो उसकी स्वीकृति कब दी गयी और यह सड़क अब कब तक बन जायेगी?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*११--श्री इन्द्रलाल--

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

*१२--श्री ओम प्रकाश सिंह--

[८वें बुधवार के लिये स्थगित।]

*१३--श्री काशी प्रसाद--

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

*१४--श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा--

[८वें बुधवार के लिये स्थगित।]

*१५--श्री ओम प्रकाश सिंह--

[८वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

सिंचाई विभाग में यांत्रिक अधिशासी अभियन्ताओं की नियुक्ति

*१६—श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या यह सच है कि सिंचाई विभाग के आदेश सं० ५२०९-ए/तेइस-आई०ए० २७८-४१-यह दिनांक जुलाई ३१, १९७१ द्वारा निर्देश दिया है कि जो अधिशासी अभियंता (सिविल) यांत्रिक खंडों में कार्य कर रहे हैं उनके स्थान पर कार्य के महत्व को देखते हुए यांत्रिक अधिशासी अभियंताओं को ही भेजा जाय ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्देशों का पालन किया जा रहा है, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी हां । इन निर्देशों का पालन धीरे-धीरे किया जा रहा है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि राजाज्ञा का पालन धीरे-धीरे क्यों हो रहा है, उसके कारण क्या हैं ? सन् ७१ से ७४ तक तीन साल में कितना पालन हुआ है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

सन् ७१ में ८६ पद थे, २० रह गये । सन् ७२ में ९० थे, १४ रह गये । सन् ७३ में ९३ थे, ९ रह गये । सन् ७४ में १०० थे और ९ रह गये । इसमें एक दुश्वारी यह है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे नालियां बनाना तो हमारे पास मुख्य अभियंता के यहां से यह आया है कि उसके लिये थोड़ा सा सिविल स्टाफ रखा जाय तो काम में आसानी होगी । जो ९ रह गये हैं इनमें से भी ३ का ट्रांसफर विचाराधीन है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

माननीय लारी साहब अपनी बात स्पष्ट नहीं कर सके । क्या मंत्री जी मेरी जानकारी को सही मानकर कि जो श्री एन० सी० सक्सेना साहब हैं उनके कोई रिश्तेदार या उनके घर के कोई अभियंता हैं जिनके कारण ७ जुलाई, ७१ में निर्गत आदेश की अवहेलना की गयी, इसकी जांच करायेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

यकीनन मैं उसे देख लूंगा ।

श्री जगदीश अवस्थी—

१-७-७४ तक कुछ यांत्रिक अभियंता रखे गये और यदि रखे गये तो उन्हें चार्ज दे दिया गया या नहीं ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

नये रखने के बारे में मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि यांत्रिक अभियंता उपलब्ध नहीं हैं, इसलिये उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है । धीरे-धीरे नियुक्ति की जा रही है । तो मैं जानना चाहता हूं । सिविल और मेकनिकल के बारे में सरकार की क्या पालिसी है ?

श्री मोहम्मद अमहमूद अली खां—

डिपार्टमेंट में कुछ आदमी मेकेनिकल के सिविल में काम कर रहे थे और कुछ सिविल वाले मेकेनिकल में काम कर रहे थे । शासन ने तय किया है कि अब सिविल के लोग वापस आ जायं और जो मेकेनिकल के लोग हैं, उन्हें भेज दिया जाय । यह पालिसी बनी है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो सिविल इंजीनियर मेकनिकल में काम कर रहे हैं, उनको कितने दिनों में हटाया जायेगा?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

९ में से ५ आदमी लिफ्ट स्कीम में काम कर रहे हैं । लिफ्ट का काम ऐसा होता है कि उसमें सिविल इंजीनियर ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं । बाकी रह गये ४ उनके बारे में सोच रहे हैं कि उनको वापस कर दिया जाय ।

*१७—श्री प्यारे लाल वर्मा—

[८वें बुधवार के लिए स्थगित]

बिरोह तथा भौसाना ग्राम (कानपुर) के जल निकासी हेतु नाले खोदने की मांग

*१८—श्री जगदीश अवस्थी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद में तहसील बिल्हौर स्थित ग्राम बिरोह तथा ग्राम भौसाना के निकटवर्ती गांवों में बरसाती जल निकास हेतु खोदे जाने वाले बरसाती नालों का सर्वेक्षण हो चुका है । यदि हां, तो उस पर अनुमानित व्यय कितना होगा तथा उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी नहीं ।

श्री जगदीश अवस्थी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो भौसाना आदि गांव बरसात के पानी से जल-मग्न हो जाते हैं और सैकड़ों बीघे खेती नष्ट हो जाती है तो क्या सरकार यहां की इस जल-निकासी की कोई व्यवस्था करेगी?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मान्यवर, उसकी डिटेल्ड सर्वे नहीं हुई है । बरसात के बाद डिटेल्ड सर्वे करायी जायेगी और जो तय होगा किया जायेगा ।

कन्या जूनियर हाई स्कूल, खैराबाद, सुल्तानपुर, की अध्यापिकाओं की सेवा समाप्ति

*१९—श्री रेवती रमण सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर ने "हाफ-ए-मिलियन जाब" योजना के अन्तर्गत कन्या जनियर हाई स्कूल खैराबाद, सुल्तानपुर में नियुक्त अध्यापिकाओं की सेवायें समाप्त करने का निर्णय लिया है । यदि हां, तो क्यों ? उनकी सेवाओं को सुरक्षा क लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री राम जी लाल सहायक—

बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा "हाफ-ए-मिलियन जाब" योजना के अन्तर्गत कन्या जूनियर हाई स्कूल, खैराबाद, सुल्तानपुर में नियुक्त अध्यापिकाओं की सेवायें समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रेवती रमण सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि खैराबाद स्कूल में शांति देवी की सेवायें कैसे समाप्त की गयी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

उनकी सेवायें समाप्त नहीं की गयीं। हुआ यह कि उनकी जो नियुक्ति की गयी, उसमें अनियमिततायें हुयीं और वहां जो चयन समिति थी, उसने निर्णय लिया कि ऊपर शासन के आदेश लिये जायं कि अगर इसके बारे में कोई निर्देश नहीं आया तो मई तक केवल वेतन दिया गया, आगे का नहीं। अब निदेशालय में यह प्रश्न विचाराधीन है और उसके बाद निर्णय लिया जायेगा लेकिन सेवा समाप्त नहीं समझी जायेगी।

श्री रेवती रमण सिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्हें रखा जायेगा कि नहीं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जो प्रश्न विचाराधीन है, उस पर निर्णय होगा।

गण्डक सर्किल प्रथम, गोरखपुर की सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण

*२०—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गण्डक सर्किल प्रथम, गोरखपुर में कौन-कौन सहायक अभियन्ता पिछले ६ वर्षों से एक ही निर्माण खण्ड में हैं ? और उसका स्थानान्तरण न होने का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

सिर्फ एक ही असिस्टेंट इन्जीनियर ऐसे थे जिन्हें छः साल से ज्यादा हो गये थे। अब उनका तबादिला कर दिया गया है।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं मंत्री जी महोदय से जानना चाहता हूं कि अभी शासन ने निर्णय लिया है कि अब मितव्ययता की दृष्टि को सामने रखते हुये जितने स्थानान्तरण हैं, वे रद्द हो जायंगे और नये स्थानान्तरण नहीं होंगे। तो जो आपने कहा कि स्थानान्तरण हो गया है, तो क्या वह इसी के अन्तर्गत तो नहीं आ जायेगा ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

बिल्कुल नहीं।

*२१—श्री राम प्रकाश यादव—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

*२२—श्री राम प्रकाश यादव—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

*२३-२४—श्री शिव कुमार पांडेय—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

सार्वजनिक निर्माण विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनको विभिन्न दरों पर वेतन का भुगतान

*२५—श्री सन्त सिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है ? इसमें कितने कर्मचारी नियमित, अस्थायी और स्थायी है और कितने वर्कचार्ज और मस्टर रोल कर्मचारी हैं ।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रदेश के समस्त अधिशासी अभियन्ताओं से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*२६—श्री सन्त सिंह यूसुफ—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि नियमित वर्कचार्ज और मस्टर रोल कर्मचारियों को क्या समान काम के लिये समान वेतन दिया जाता है ? यदि नहीं, तो तीन प्रकार के कर्मचारियों को क्या वेतन दिया जाता है और समान काम के लिये वेतनों में इस भेद-भाव का औचित्य क्या है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं ।

(१) नियमित कर्मचारी:—

इन कर्मचारियों को अली जहीर कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत वेतन मानों में वेतन दिया जाता है ।

(२) कार्य प्रभारित कर्मचारी:—

इन कर्मचारियों को न्यूनतम १५० रु० संहृत (एडहाक) वेतन दिया जाता है ।

(३) मस्टर रोल कर्मचारी:—

इन कर्मचारियों को भिन्न-भिन्न स्थानों पर पर प्रचलित दरों के आधार पर मजदूरी दी जाती है जो कि भिन्न-भिन्न होती है ।

समान कार्य के लिये समान वेतन का सिद्धान्त किसी भी सेवा में लागू नहीं है । अतः इसका प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सन्त सिंह यूसुफ—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वह स्वीकृत वेतन-मान क्या है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

कम से कम वेतन १०५ रुपया है और डी० ए० वगैरह अतिरिक्त है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मंत्री ने उत्तर दिया कि भिन्न-भिन्न स्थानों पर मस्टर रोल के कर्मचारियों को भिन्न-भिन्न वेतन दिया जाता है तो उसका आधार क्या है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

उनका वेतन नहीं होता। डेली वेजेज पर उनको रखा जाता है और स्थानीय मजदूरों को जिस हिसाब से वेतन मिलता है वही उनको दिया जाता है।

श्री मधुकर दिघे---

जिनकी नौकरी ३ वर्ष से अधिक हो गयी है ऐसे मस्टर रोल वर्क चार्ज कर्मचारियों को स्थायी करने का निर्णय सरकार ने लिया था तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं कि तीन वर्ष कार्य करने के बावजूद भी उनको स्थायी नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष---

यह इससे नहीं उठता।

श्री सन्त सिंह यूसुफ---

जब यह माना हुआ सिद्धान्त है बराबर काम करने के लिये बराबर वेतन तो फिर इस सिद्धान्त को यहां पर मानने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

कहां यह माना हुआ सिद्धान्त है इसकी जानकारी हमको नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

जब माननीय मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि मस्टर रोल के जो कर्मचारी हैं अगर तीन वर्ष तक उन्होंने काम किया है तो उनको स्थायी बना दिया जाता है तो क्या ऐसा यहां उनको स्थायी बना दिया जायगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

३ साल लगातार काम करने पर उनको रेगुलर कर दिया जाता है और रेगुलर होने के बाद उनको फिर कंफर्म कर दिया जाता है।

*२७---श्री खूब चन्द्र तथा श्री गंगा सिंह---

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

*२८---श्री दल सिंह यादव---

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

*२९---श्री राधा चरण सिंह---

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

सार्वजनिक निर्माण विभाग, हमीरपुर में जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति

*३०---श्री कुंवर बहादुर मिश्र (जिला हमीरपुर)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय खंड सार्वजनिक निर्माण विभाग हमीरपुर में १९७३ में लोक सेवा आयोग तथा बिना लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित कितने जूनियर इंजीनियरों में नई नियुक्ति द्वारा कार्य भार ग्रहण किया है उनके कार्य-भार ग्रहण करने की तिथियां क्या हैं तथा उन्हें कार्य भार का चार्ज किन तिथियों में सौंपा गया है ? यदि भी तक इन्हें कार्य-भार नहीं सौपा गया तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

चार जूनियर इंजीनियरों ने ।

लोक सेवा आयोग से अनुमोदित—

नाम			कार्य-भार ग्रहण की तिथि	कार्य-भार के चार्ज की तिथि
१—श्री सिया राम वर्मा	..	..	२५-६-७३	२९-४-७४
२—श्री बच्चू लाल मित्रा	..	..	१८-७-७३	२७-६-७४
बिना लोक सेवा आयोग से अनुमोदित—				
१—श्री शिव राम सिंह	..	..	१०-४-७३	२१-५-७४
२—श्री राजेन्द्र कुमार सचान	..	..	२५-९-७३	२१-६-७४

श्री कुंवर बहादुर मिश्र—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के ऐसे आदेश हैं कि जो लोक सेवा आयोग से अनुमोदित व्यक्ति हैं उनको देर से कार्य-भार ग्रहण कराया जाय और जो वहां से अनुमोदित नहीं हैं उनको कार्यभार जल्दी ग्रहण कराया जाय ? यदि ऐसा नहीं है तो फिर श्री सियाराम को कार्य-भार ग्रहण करने के बाद 10 महीने के उपरान्त क्यों चार्ज दिया गया और जो बच्चूलाल मित्रा हैं उनको 1 साल के बाद क्यों चार्ज दिया गया ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मान्यवर, जिस खंड में वे लगाये जाते हैं तनख्वाह तो उनको दी ही जाती है लेकिन वे एक ट्रेनिंग के रूप में कार्य करते हैं और तब कार्य-भार दिया जाता है ।

मारटीनगंज ब्लाक (आजमगढ़) में निर्मित ट्यूबवेल

*३१—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के ब्लाक मारटीनगंज में सन् १९७३-७५ में कितने सरकारी ट्यूबवेल लगाने की योजना स्वीकृत हुई थी और उनमें से कितने ट्यूबवेल लग चुके हैं तथा कितने बाकी हैं ? शेष ट्यूबवेल कब तक लग कर तैयार हो जायेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

आजमगढ़ जनपद के मारटीनगंज ब्लाक में वर्ष १९७३-७४ के लिये एक नलकूप आवंटित था जिसका निर्माण हो चुका है । इस ब्लाक में अब कोई नलकूप लगाना शेष नहीं है ।

*३२—श्री हरि केवल—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या ३० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*३३—श्री राज बहादुर चन्द—

(८ वें बुधवार के लिये स्थगित)

सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ की मांगें

*३४—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २३-१-७३ को सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी मांगों के संबंध में उनसे मिला था ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं और उनमें किन-किन को पूरा करने का मंत्री जी ने आश्वासन दिया था ? जिन मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था क्या वे पूरी कर दी गईं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां ।

उनकी १५ मांगें संलग्न सूची में दी गयी हैं और उनमें से ११ तारांकित मांगों को यथा सम्भव पूरा करने का आश्वासन दिया गया था ।

उक्त ११ आश्वासित मांगों में से ३ मांगें पूरी कर दी गयी हैं जो संलग्न सूची के क्रमांक ४, ५, ६ पर उल्लिखित हैं तथा तीन मांगें क्रमांक २, ८ व ९ आंशिक रूप में स्वीकार की गयीं । मांग संख्या १, ३, ७ व १० अस्वीकार की गयीं । शेष आश्वासित मांगों पर कार्यवाही जारी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७७१ पर)

*३५—श्री राम मूर्ति—

[८ वें बुधवार के लिये स्थगित]

*३६—श्री गंजी प्रसाद—

[८ वें बुधवार के लिये स्थगित]

*३७—श्री रघुराज सिंह—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

*३८-३९—श्रीमती शिव कुमारी दुबे—

[८ वें बुधवार के लिये स्थगित]

*४०—श्री तेज सिंह—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

*४१—कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

खुनियावां एवं इटवा ब्लाक (बस्ती) में निर्मित ट्यूबवेल

*४२—श्री राम रेखा यादव (जिला बस्ती), श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ) तथा श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के विकास क्षेत्र खुनियावां तथा इटवा में कुल कितने गांव हैं और उसमें कितने राजकीय नलकूप अभी तक लग चुके हैं

[श्री रामरेखा यादव, मोहन लाल कपूर तथा श्री बाबू लाल वर्मा]

क्या निकट भविष्य में उक्त सिंचाई के साधन हेतु कोई कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो वह कौन-सी योजना है और सरकार उसे कब तक तैयार कराने का प्रयास करेगी?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

(अ) बस्ती जनपद के खुनियावां एवं इटवा ब्लाक में ३९६ गांव हैं और उनमें ४ (चार) राजकीय नलकूप लगे हुये हैं।

(ब) जी नहीं। ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(स) प्रश्न ही नहीं उठता।

सहायक यांत्रिक अभियन्ता सिंचाई विभाग, फैजाबाद का प्रत्यावर्तन

*४३--श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)--

क्या यह सही है कि तत्कालीन सहायक यांत्रिक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, फैजाबाद को मई, १९७३ में कथित आरोपों के आधार पर शारदा सहायक खन्ड (पंचम) लखीमपुर-खीरी को फोरमैन के पद पर बिना शो काज नोटिस के प्रत्यावर्तित कर दिया गया था? यदि हां, तो आरोपों की जांच किस अधिकारी द्वारा की गई और उनको कारण बताओ नोटिस न देने के क्या कारण थे?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

तत्कालीन सहायक यांत्रिक अभियन्ता नलकूप खन्ड फैजाबाद को शासन के कार्यालय-ज्ञाप, दिनांक २८ जून, १९७३ द्वारा फोरमैन के पद पर रिवर्ट किया गया था। इस मामले में रिवर्ट करने के लिये कारण बताओ नोटिस देने की आवश्यकता नहीं थी।

उक्त सहायक अभियन्ता के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की प्रारम्भिक जांच टेकनिकल आडिट सेल सिंचाई विभाग द्वारा कराई गई थी।

*४४--श्री कल्याण सिंह, श्री इन्द्रपाल सिंह, श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री श्रीनारायण--

[उत्तरित, निरस्त।]

फैजाबाद के जूनियर हाई स्कूलों को क्षतिपूर्ति अनुदान का भुगतान

*४५--श्री दीप नारायण पांडे (जिला गोंडा)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोंडा जिले के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को कक्षा ६ का क्षति पूर्ति अनुदान वित्तीय वर्ष १९७१-७२, १९७२-७३ तथा १९७३-७४ का उन स्कूलों को दे दिया गया और यदि नहीं, तो क्यों और कब तक देने का विचार है?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी हां। केवल वर्ष १९७१-७२ तथा १९७३-७४ के चौथे त्रैमास का बकाया है। क्योंकि संस्थाओं के चौथे त्रैमास के पत्रजात समय से निदेशालय में प्राप्त नहीं हुये।

वर्तमान वित्तीय वर्ष (१९७४-७५) में।

नलकूप खण्ड, सुल्तानपुर के कर्मचारियों द्वारा धरना

*४६—श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुल्तानपुर जिले में नलकूप विभाग के अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय पर विभागीय कर्मचारी किन मांगों को लेकर इस समय धरना दे रहे हैं? क्या धरना दे रहे कर्मचारियों को उपरोक्त अधिशासी अभियन्ता ने कुछ लाठीधारी व्यक्तियों को साथ लेकर दिनांक १० जून, १९७४ को मारा-पीटा है? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

नलकूप खण्ड, सुल्तानपुर के कर्मचारी जिन मांगों को लेकर धरना दे रहे थे उनकी सूची संलग्न है। धरना देने वाले कर्मचारियों तथा अधिशासी अभियन्ता के बीच दिनांक १०-६-७४ को कुछ झगड़ा हुआ जिसकी रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता तथा कर्मचारियों दोनों फरीकों ने पुलिस में दर्ज करायी। इस मामले में पुलिस तफतीश कर रही है तथा पुलिस की जांच की रिपोर्ट अपेक्षित है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७७२ पर)

हाई स्कूल स्तर पर उर्दू माध्यम से शिक्षा की सुविधा की मांग

*४७—श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे छात्र जिन्होंने आठवें दर्जे तक उर्दू मीडियम से शिक्षा प्राप्त की है उन्हें यही सुविधा नवें और दसवें दर्जे में उपलब्ध कराने का मामला सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है?

श्री रामजी लाल सहायक—

उर्दू भाषा में पाठ्य-पुस्तकों की कमी, शिक्षकों की कमी तथा अर्थाभाव के कारण सम्प्रति हाई स्कूल स्तर पर उर्दू माध्यम से शिक्षा की सुविधा प्रदान करना संभव नहीं है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ की मांगें

*४८—श्री देव कुमार यादव—

क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महामंत्री, उ० प्र० सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ, ७ विशेश्वर नाथ रोड, लखनऊ द्वारा प्रेषित मजदूरों की समस्याओं से संबंधित पत्र दिनांक २९ जुलाई, १९७२ शासन को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो क्या इस पत्र में उल्लिखित सभी मांगों पर कार्यवाही की गई और कौन-कौन मांगें स्वीकार की गईं?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां।

सभी मांगों पर विचार किया गया। जो मांगें स्वीकार की गयीं वे संलग्न सूची में दर्शित हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७७३ पर)

प्रसार शिक्षक पद पर अनुसूचित जाति की नियुक्ति

*४९—श्री नारायण दास (जिला लखनऊ)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष प्रसार शिक्षक के पद पर कितने विभागीय कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, उनमें कितने अनुसूचित जाति के थे तथा कितनों को स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने हेतु विधिवत् विभागीय स्वीकृति प्राप्त थी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*५०—श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी—

[८ वें बुधवार के लिये स्थगित]

*५१—श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

*५२—श्री नन्हें लाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन, के विरुद्ध शिकायत

*५३—श्री मलखान सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन के विरुद्ध उनके जालौन कार्यकाल की कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

१२ शिकायतें प्राप्त हुई जिन पर जांच कराई जा रही है ।

*५४—श्री डाक्टर मालखान सिंह—

[१० वें मंगलवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५५—श्री महेश सिंह—

[८वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

जूनियर हाई स्कूलों तथा बेसिक प्राइमरी स्कूलों को दी गई ग्रांट

*५६—श्री शिव प्रसाद गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल तथा बेसिक प्राइमरी स्कूलों को (मान्यता प्राप्त) को १९७२-७३ व १९७३—७४ में कितनी ग्रांट दी गई ? क्या यह सत्य है कि निदेशक (शिक्षा-एफ) ने १५ लाख रुपया ग्रांट का मांगा था वह उन्हें ३० मार्च, १९७४ तक नहीं मिला ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

सहायिक जूनियर हाई स्कूलों को:—

१९७२—७३ में २,९८,४९,३०० रु० तथा

१९७३—७४ में ३,६४,७३,६०० रु० ग्रांट के रूप में दिया गया ।

बेसिक प्राइमरी स्कूलों को:—

१९७२–७३ में ५५,००,००० रु० तथा
१९७३–७४ में ५५,००,००० रु० क्षतिपूर्ति के रूप में दिया गया ।
जी हां ।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति निकट होने के कारण वांछित धनराशि का उपभोग संबंधित विद्यालयों द्वारा संभव नहीं था । अतः इस धनराशि की स्वीकृति नहीं दी गई।

राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर के शीशम के पेड़ों की नीलामी

*५७—श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पालिटेकनिक, गोरखपुर के प्रांगण में खड़े १६ शीशम के पेड़ वर्ष १९७०–७१ में नीलाम किये गये थे ? उक्त नीलाम संबंधी फाइल गायब है । यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां । राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर के प्रांगण में खड़े शीशम के पेड़ वर्ष १९७०–७१ में नीलाम किये गये थे । इन पेड़ों की संख्या १३ थी । २२ नवम्बर, १९७३ से ४ दिसम्बर, १९७३ तक विभागीय जांच के दौरान नीलाम संबंधी फाइल संस्था में उपलब्ध नहीं हो सकी । फाइल के गायब होने की जांच के लिये संस्था के स्तर पर जांच समिति गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट आने पर अन्य आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

गोरखपुर के कृषि प्रसार शिक्षकों का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

*५८—श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर में कितने मान्यता प्राप्त हाई स्कूल व इंटर कालेज हैं तथा कितने में कृषि प्रसार शिक्षक हैं जो उसी विद्यालय में लगभग १० वर्षों से कार्यरत हैं ? इनके स्थानान्तरण न करने के क्या कारण हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*५९—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*६०—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

राजकीय पालीटेक्निक गोरखपुर, के भतपूर्व प्रधानाचार्य एव प्रधान लिपिक के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*६१—श्री कृष्णा राय—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पालिटेक्निक, गोरखपुर के वर्ष १९७१–७२, १९७२–७३, १९७३–७४ की अवधि में एकाउन्टेंट एवं स्टोर का माह नवम्बर, १९७३ में विशेष आडिट निदेशक के आदेश से कराया गया था और शासन ने भी जांच कराई थी ? यदि हां, तो आडिट रिपोर्ट एवं शासन द्वारा कराई गई जांच में संबंधित तत्कालीन प्रधानाचार्य के विरुद्ध क्या-क्या आरोप सही पाये गये और इस संबंध में अब तक उक्त प्रधानाचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक--

राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर के भूतपूर्व प्रधानाचार्य तथा भूतपूर्व प्रधान लिपिक के विरुद्ध जन-प्रतिनिधियों से अनेक प्रकार की अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। २२ नवम्बर, १९७३ से ५ दिसम्बर, १९७३ तक निदेशक के आदेश से इन शिकायतों की जांच एवं संस्था का आडिट कराया गया जांच के दौरान शिकायतों में वास्तविकता एवम् अवास्तविकता दोनों पायी गई हैं। अभी आरोपों की पूर्ण सूची तैयार नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त शिकायतों की जांच विशेष शाखा अधिसूचना विभाग द्वारा भी कराई गई थी जिसमें उन्होंने विभागीय जांच तथा स्टोर का सही मिलान करने का सुझाव दिया है। तदनुसार मामले में कार्यवाही की जा रही है। संबंधित प्रधानाचार्य को उक्त संस्था से स्थानान्तरित किया जा चुका है। प्रधानाचार्य का स्थायीकरण रोककर उनकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी गई है। निदेशक को जांच रिपोर्ट में दिये गये तथ्यों पर प्रधानाचार्य का स्पष्टीकरण प्राप्त कर शासन को भेजने के निर्देश भी दे दिये गये हैं।

अतारांकित प्रश्न

१--श्री शिव सम्पत्ति राम तथा श्री सत्य प्रकाश--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

प्रधानाचार्य, जनता इन्टर कालेज, कानपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

२--श्री जगदीश अवस्थी--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक २ अप्रैल, १९७४ के साथ प्रधानाचार्य, जनता इन्टर कालेज, शिवली, कानपुर के विरुद्ध छात्रों के साथ धोखा-धड़ी करने के आरोपों का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है? उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामजी लाल सहायक--

सूचना एकत्र की जा रही है।

मिर्जापुर में हाई स्कूल व कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने की मांग

३--श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले के कोन (विकास खंड, चोपन) में राजकीय हाई स्कूल व कन्या जूनियर हाई स्कूल तथा रामगढ़ (चतरा) में राजकीय हाई स्कूल खोलने की कोई योजना है? यदि हां तो कब से? क्या माननीय मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि राबर्ट्सगंज (मिर्जापुर) में आई० टी० आई० कालेज खोलने जा रहे हैं?

श्री रामजी लाल सहायक--

कोन मिर्जापुर में जुलाई, १९७४ से राजकीय हाई स्कूल खोलने का प्रश्न विचाराधीन है। राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने की कोई योजना पंचम पंचवर्षीय योजना में नहीं है। रामगढ़ (चतरा) में राजकीय हाई स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राबर्ट्सगंज (मिर्जापुर) में आई० टी० आई० कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

४--श्री जगदीश अवस्थी--

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

कानपुर के बिठूर धौलसलार मार्ग को पक्का करने की मांग

५—श्री जगदीश अवस्थी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जनपद अन्तर्गत बिठूर से धौलसलार जाने वाले प्राचीन ऐतिहासिक मार्ग को पक्का बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित हो जायेगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मैनपुरी में राजकीय नलकूप

६—श्री मुन्शी लाल (जिला मैनपुरी)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मैनपुरी के अन्तर्गत वर्ष १९७३–७४ में कितने स्टेट ट्यूबवेल लगाये गये ? उनकी संख्या क्या है और किन-किन गांवों में लगाये गये, उन गांवों का नाम क्या है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जिला मैनपुरी में वर्ष १९७३–७४ में २१ नलकूप लगाये गये । नलकूपों तथा गांवों का विवरण नीचे दिया है:—

क्रमांक	तहसील का नाम	ब्लाक का नाम	नलकूप का नम व ग्रुप	ग्राम का नाम जिसमें नलकूप बना है ।
१—	मैनपुरी	घिरौरा	५१ मैनपुरी	नगला सावज
२—	,,	,,	५६ ,,	नाहिल खटेंगरा
३—	,,	,,	५९ ,,	कल्हौर पुवाह
४—	,,	,,	६० ,,	भटानी
५—	,,	,,	६२ ,,	विघरई
६—	,,	मैनपुरी	६१ ,,	जावापुर
७ —	,,	कुरावली	५२ ,,	ईसई माझपट्टी
८—	शिकोहाबाद	अरांव	७७ शिकोहाबाद	रामनगर
९—	,,	,,	७८ ,,	आजमाबाद अरांव
१०—	,,	,,	७९ ,,	सूरजपुर
११—	,,	,,	८० ,,	,,
१२—	,,	,,	८१ ,,	कुंवरपुर बेंजुआ
१३—	,,	,,	८२ ,,	माड़ई
१४—	जसराना	एका	९३ जसराना	मोंगरा
१५—	,,	,,	९९ ,,	पाड़म (कियामूंपुर)
१६—	,,	,,	१०३ ,,	,, (पावता)
१७—	,,	,,	१०४ ,,	,, (टांडा)
१८—	,,	जसराना	१०५ ,,	नगला केहरी
१९—	,,	,,	१०६ ,,	शादीपुर
२०—	,,	,,	१०७ ,,	,,
२१—	,,	,,	१०८ ,,	,,

७—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[८ वें बुधवार के लिये स्थगित]

आजमगढ़ में टोंस, कुंअर व मगई नदियों पर पुल बनाने की मांग

८—श्री मोहम्मद मसूद (जिला आजमगढ़)—

क्या मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ में टोंस नदी पर भदली घाट व निजामाबाद घाट व कुंअर नदी पर बीनापाराघाट व मगई नदी पर खालिसपुर के पास पुल बनाने की निकट भविष्य में कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक पुल का निर्माण कार्य शुरू होगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

९—श्री राम सेवक यादव तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

श्री मर्दन सिंह इन्टर कालेज, तालबेहट (ललितपुर) के अध्यापकों का वेतन

१०—श्री भगवत दयाल (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री मर्दन सिंह इन्टर कालेज, तालबेहट, जिला ललितपुर (झांसी) के कितने ऐसे अध्यापक हैं जिनके सन १९५९ के वेतन पुनरीक्षित नहीं हुये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक—

दो अध्यापक । इन दोनों के वेतन निर्धारण का प्रकरण विचाराधीन है ।

जिला बेसिक अधिकारियों के कार्यालय में प्रधान लिपिक—पदों का सृजन

११—श्री जंग बहादुर (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिला बेसिक अधिकारी व जिला बेसिक अधिकारी (महिला) की नियुक्ति हुई है ? यदि हां, तो क्या उन अधिकारियों के आफिस के लिये वरिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति भी हुई है ? यदि नहीं, तो इनकी नियुक्ति कब तक होने की सम्भावना है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां इन अधिकारियों के कार्यालयों में वरिष्ठ लिपिक का कोई पद नहीं होता है । प्रधान लिपिक का पद सृजित करने पर विचार हो रहा है ।

१२—श्री त्रिवेणी सहाय—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

दपसौरा लिफ्ट कैनाल, फतेहपुर द्वारा सिंचित भूमि और अर्जित आय

१३—श्री प्रताप नारायण (जिला हमीरपुर) तथा श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दपसौरा लिफ्ट कैनाल, जिला फतेहपुर के उद्घाटन के बाद से अब तक कितने एकड़ की सिंचाई की गई ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

३३.९८ एकड़ की सिंचाई की गयी ।

१४---श्री प्रताप नारायण तथा श्री प्रेमदत्त---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त नहर से सरकार को १९७३ से १९७४ मई तक कितनी आय हुई और कितना व्यय हुआ तथा क्या यह सही है कि इस नहर के कारण वहां के राजकीय नलकूपों को चालू नहीं किया जा रहा है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

आय रु० ६३७.२२ तथा व्यय रु० ४०,८९७ हुआ।

एक ही क्षेत्र में नहर और नलकूप दोनों से सिंचाई की व्यवस्था नहीं की जाती है इसलिये दपसौरा लिफ्ट नहर के कमांड में नलकूप निर्माण ही नहीं किया गया है।

कन्नौज में गंगानदी पर पुल निर्माण की मांग

१५---श्री झाम लाल अहिरवार (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फर्रुखाबाद जिले में गंगा नदी पर कन्नौज के पास राजघाट पर पक्का पुल बनाने की दृष्टि से सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो पुल निर्माण कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

१६---श्री झाम लाल अहिरवार---

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

सुल्तानपुर के प्राथमिक शिक्षकों का देय वेतन

१७---डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुल्तानपुर जिले के प्राथमिक शिक्षकों का १ अगस्त १९७२ के पूर्व का विभिन्न मदों का धन भुगतान हेतु अभी तक शेष है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक---

अगस्त, १९७२ के पर्व की अवधि के जिला परिषद् के क्षेत्र का प्राथमिक अध्यापकों के बकाये की १,६३,८२२.९४ रु० तथा नगर क्षेत्र के अध्यापकों का रु० २७७.५० देना शेष है । उक्त अवधि के अध्यापकों के वेतन भुगतान का दायित्व स्थानीय निकायों का था जिसका वे पालन नहीं कर रही हैं । अतएव अध्यापकों की कठिनाइयों को दृष्टिगत करते हुये शासन द्वारा एतदर्थ बेसिक शिक्षा परिषद को अनुदान स्वीकृत किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

१८---श्री हरीश कुमार गंगवार

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

१९---श्री चेत राम गंगवार---

[8 वें बुधवार के लिए स्थगित]

बरला (मुजफ्फरनगर) में नाले के निर्माण की मांग

२०---श्री नन्दराम, (जिला मुजफ्फरनगर) श्री सीताराम निषाद तथा श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला फैज बाद)---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरला, जिला मुजफ्फरनगर में चकबन्दी के अन्तर्गत छोड़ी गई सिंचाई हेतु भूमि पर अभी तक नाला न खोदे जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार वहां की जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र नाला खुदवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

सिंचाई विभाग से इसका संबंध नहीं है ।

ग्राम सभा यदि इस नाले के निर्माण हेतु प्रस्ताव पारित करेगी तथा धन उपलब्ध करायेगी तो नाले का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा करा दिया जावेगा ।

बस्ती में सहायता प्राप्त संस्कृत पाठशालाएं

२१---श्री राम रेखा यादव---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बस्ती में कितनी संस्कृत पाठशालाएं हैं जिन्हें सरकार सहायता देती है तथा क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त पाठशालाओं में कितने अध्यापक एवं छात्र वर्तमान शिक्षा सत्र में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक---

जिला बस्ती में कुल ३४ सहायता प्राप्त संस्कृत पाठशालाएं हैं जिनमें १३१ अध्यापक एवं १,९३३ छात्र हैं ।

सिंचाई विभाग के रिंग मैकेनिक का वेतन मान

२२---श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्यूब-वेल डिपार्टमेंट के 'रिंग मैकनिक' जिनका वेतन मान सन् १९६५ और पुनः १९७२ से पहले रु० १२०-५-२२० था । सन् १९६५ और पुनः १९७२ के वेतन निर्धारण के समय इनके वेतनमान में कितनी वृद्धि की गई है । यदि नहीं की गई है तो इसका कारण क्या है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

सिंचाई विभाग में रु० १२०-(५)-२२० के वेतनक्रम में "रिंग मैकनिक" का कोई भी पद स्वीकृत नहीं है। अतः उक्त वेतनमान को संशोधित किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बस्ती में कूड़ा नदी पर पुल निर्माण

२३---श्री राम रेखा यादव---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में मोहाना बाजार के पास कूड़ा नदी पर जो पक्का पुल बनाया जा रहा है, वह कब तक बनकर तैयार हो जायगा?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

जून, १९७६ तक बन जाने की संभावना है ।

नाद नदी (वाराणसी) के उत्तरी क्षेत्र तथा कोल असला व पन्द्रह के लिए ट्यूबवेल

२४—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नाद नदी, जिला वाराणसी के उत्तरी क्षेत्र में ट्यूबवेल लगाने हेतु २६-४-७४ को उन्हें एक ज्ञापन दिया गया है। यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी हां। नाद नदी जिला वाराणसी के उत्तरी क्षेत्र में नलकूप लगाने के संबंध में प्रारम्भिक सर्वे करा लिया गया है। इनमें से परामर्शदात्री समिति ने ६ गांवों में ५ राजकीय नलकूप लगाने का अनुमोदन भी कर दिया है।

२५—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि परगना कोलअसला तथा पंद्रह, जिला वाराणसी में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल के लिये उन्हें 26-3-74 को एक ज्ञापन मिला है? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी हां। परगना कोलअसला तथा पंद्रह, जिला वाराणसी के क्षेत्र के सभी गांवों का प्रारम्भिक सर्वे करा लिया गया है। ११ गावों में ६ राजकीय नलकूपों का अनुमोदन जिला परामर्शदात्री समिति द्वारा किया जा चुका है।

वाराणसी के जूनियर हाई स्कूलों के भवन और बेसिक प्राइमरी पाठशालायें

२६—श्री चन्द्रभान आजाद (जिला बांदा) तथा श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के कितने जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं जिनके पास इमारतें नहीं हैं? उनके नाम क्या हैं और इमारत की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी?

श्री राम जी लाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

२७—श्री चन्द्रभान आजाद तथा श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि वर्ष १९७३-७४ में वाराणसी जिले के अन्तर्गत कितने बे० प्रा० पाठशाला खोले गये और कहां-कहां?

श्री रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बेसिक शिक्षा परिषद्, बांदा के अध्यापकों को देय वेतन तथा प्रधानाध्यापिका पद के लिये साक्षात्कार

२८—श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (जिला बांदा) तथा श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)—

क्या शिक्षा मंत्री (प्राथमिक) यह बताने का कष्ट करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद बांदा के अन्तगत कितने अध्यापक, अध्यापिकाओं का वेतन शेष है। यदि हां, तो क्या सरकार भुगतान की व्यवस्था तत्काल करेगी?

श्री रामजी लाल सहायक---

सूचना एकत्र की जा रही है।

२९---श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा तथा श्री जगन्नाथ सिंह परमार---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद बांदा के अन्तर्गत कन्या पाठशालाओं की अध्यापिकाओं का प्रधानाध्यापिका पद के लिये साक्षात्कार कब हुआ था और उसके आधार पर जो लिस्ट तैयार की गई थी वह लिस्ट अब तक क्यों नहीं प्रकाशित की गई ?

श्री रामजी लाल सहायक---

सूचना एकत्र की जा रही है।

भूतपूर्व सदस्य, श्री कैलाश सिंह कुशवाहा तथा श्री रुकुनुद्दीन खां के निधन पर शोकोद्गार

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

श्रीमन्, मुझे बड़े दुख के साथ सम्मानित सदन को स्वर्गीय श्री कैलाश सिंह कुशवाहा, जो कि इस विधान सभा के सम्मानित सदस्य रह चुके हैं, के दुखांत निधन के समाचार की सूचना देनी पड़ती है। स्वर्गीय श्री कैलाश देवरिया जिले के सलेमपुर निर्वाचन क्षेत्र से 1962-67 तक इस विधान सभा के सदस्य रहे और वे एक अत्यन्त कर्मठ और सक्रिय कार्यकर्ता थे। मुझे भी उनके साथ वर्षों तक काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी मिलनसारिता, सौम्यता, गंभीरता और कार्य-कुशलता हम सब के लिये एक उदाहरण थी। वे समाजवादी आन्दोलन में प्रजा समाजवादी दल के सदस्य रहे और तत्पश्चात् उन्होंने भारतीय क्रांति दल के कार्यकर्ता के रूप में देवरिया जिले की क्षेत्रीय राजनीति में बड़ा योगदान दिया। उनका जो दुखांत अन्त हुआ वह बहुत ही दुखदायी और पीड़ा-दायक है। श्रीमन्, यह प्रश्न तो अलग ही है जिसके संबंध में किसी उचित सन्दर्भ में यहां चर्चा होगी। मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि आप उनके शोक संतप्त परिवार को इस सदन की भावनायें और श्रद्धांजलि पहुंचाने की कृपा करें।

श्रीमन्, यह भी दुखद समाचार सदन को देना पड़ता है कि स्वर्गीय श्री रुकुनुद्दीन खां, जो कि इस विधान सभा में प्रतापगढ जिले से सन् १९४६ से सन् १९५२ तक और फिर सन् १९५७ से सन् १९६२ तक सदस्य रहे। उनका भी देहावसान अभी हाल ही में प्रतापगढ़ में दिनांक १८ जून, १९७४ को ८३ वर्ष की अवस्था में हो गया। वे प्रतापगढ़ जिले के राजनीतिक स्तम्भ रहे और उन्होंने ४०-५० वर्ष तक दो-तीन दलों को नेतृत्व प्रदान किया। वे एक विचित्र विचार के व्यक्ति थे, एकता की भावनाओं में उनका विश्वास पिछले २० वर्षों में और अधिक दृढ़ हो गया था। अतः श्रीमन्, आपसे आग्रह है कि आप उनके चार पुत्र और छः पुत्रियों के परिवार को इस सदन की सद्भावना और श्रद्धांजलि भेजने की कृपा करें।

*श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, इसके पूर्व मैं कुछ कहूं, एक निवेदन आपसे चाहूंगा। वह यह है कि इस तरह की जानकारी शायद जिलाधिकारी द्वारा आती ही होगी और यह उनका कर्त्तव्य भी हो गया कि माननीय रुकुनुद्दीन का निधन जून में हो गया था और आज १७ जुलाई हो गई यानी लगभग १ महीना हो गया अब इसकी सूचना यहां पर आ रही है। दूसरे स्वर्गीय श्री कैलाश की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

८-९ तारीख को हत्या हो गयी थी, और उसकी सूचना इतनी देर के बाद आती है तो दुख के साथ और दुख की बात हो जाती है । किस तरह से अधिकारी लोग सूचना देते हैं, इस बारे में मैं, इस समय कुछ कहता नहीं चाहता ।

स्वर्गीय श्री कैलाश एक कर्मठ नौजवान व्यक्ति थे । जैसा कि अभी माननीय तिवारी जी ने कहा कि वे एक निर्भीक और अच्छे समाज सेवी थे । उनके न रहने से, उनके निधन से देवरिया का ही नहीं बल्कि पूर्वी जिलों का और प्रदेश का एक जनसेवी हमारे बीच से चला गया । उनकी मृत्यु में सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उन्होंने एक महीना पूर्व अपनी जान-माल के खतरे की सूचना संबंधित अधिकारियों को दे भी दी थी । फिर भी वह बचाये नहीं जा सके, उनके बचाने का कोई प्रयास नहीं हुआ । इस तरह से उनकी अकाल मृत्यु हुई, वह बचाये जा सकते थे, इसलिये हमें उनकी मृत्यु का विशेष दुख है ।

रुकुनुद्दीन खां साहब जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वह भी आज हमारे बीच नहीं हैं । इस प्रकार से त्याग और बलिदान की एक मिसाल हमारे बीच में नहीं रही । उसका हमें दुख है और हम तिवारी जी की भावनाओं के साथ अपने को जोड़ते हुए दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपसे मान्यवर, प्रार्थना है कि हमारी और हमारे दल की भावनाओं को आप शोक सन्तप्त परिवारों तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, श्री कैलाश कुशवाहा और श्री रुकुनुद्दीन खां के बारे में, इन दो स्वर्गीय व्यक्तियों के बारे में तिवारी जी ने तथा यादव जी ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, कुशवाहा जी मेरे साथ १९६२ से १९६७ तक इसी सदन के सदस्य रहे उनकी कर्मठता और समाज सेवा हम सभी को विदित है, जिसके बारे में तिवारी जी ने कहा । जिन परिस्थितियों में उनकी हत्या हुई, उनसे हमारा दुःख और क्लेश और ज्यादा अधिक हो जाता है । हम उनसे बहुत दुखी हैं वैसे ही श्री रुकुनुद्दीन साहब, जिन्होंने अपनी आयु की अवधि पूरी की, फिर भी कोई समाजसेवी अपने बीच से उठता है तो महान् दुख होता है । हम सब इसके कारण दुखी हैं । मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी और मेरे दल की सम्वेदना को आप शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें । साथ ही मेरी परमात्मा से भी प्रार्थना है कि वह इन दोनों व्यक्तियों की आत्माओं को शांति दें।

*श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)--

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय कैलाश कुशवाहा और रुकुनुद्दीन साहब के बारे में जो नेता सदन और अन्य नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके सन्तप्त परिवारों तक हमारी ओर से सद्भावनायें पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)--

श्रीमन्, कैलाश जी की हत्या जिन हालात में हुई, वह बड़ी अफसोसनाक है । वह हमारे बीच में नहीं रहे । इसी तरह से रुकुनुद्दीन जी, जो मेरे जिले प्रतापगढ़ के स्तम्भ थे । काफी अर्से तक वह वहां के सेवक रहे । मैं अपने दल को और अपने को जो यहां ख्यालात जाहिर किये गये हैं, उनसे शामिल करता हूं और खिराजे अकीदत पेश करता हूं ।

*चौ० रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

मान्यवर, आप भलीभांति जानते हैं कैलाश कुशवाहा जी को । वह समाजवादी आन्दोलन के एक निर्भीक और कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, विधान सभा के सदस्य भी रहे हैं ।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

वैसे किसी की मृत्यु हो जाये, कोई ज्यादा गम नहीं होता, लेकिन मान्यवर, जब किसी राजनैतिक कार्यकर्ता की अथवा राजनैतिक कारणों से किसी की हत्या हो तो यह बहुत ही दुखद बात होती है । स्वर्गीय कैलाश कुशवाहा की हत्या बहुत ही दुखपूर्ण घटना है और इसमें जो राजनीतिक गतिविधियां रहीं हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा, किन्तु सारा सदन आज इस बात से बहुत ही दुखी है और ऐसी स्थिति में जब राजनैतिक कार्यकर्ताओं की खुली हत्यायें होने लगीं, शासन को उसकी सूचना मिलती रहे और उसके बाद भी कोई व्यवस्था न हो, तो मान्यवर, भूतपूर्व विधायकों के साथ मौजूदा विधायकों के साथ भी यह हो सकता है, तो यह सत्ता के मंत्रियों के साथ भी हो जाये, इस तरह की स्थिति आ सकती है । इसलिये इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिये । हमें और हमारे दल को श्री कैलाश कुशवाहा की हत्या के कारण बहुत भारी दुख है । मान्यवर, दूसरे हमारे जो वयोवृद्ध सम्मानित सदस्य, रुकुनुद्दीन साहब हैं उनकी जो मृत्यु हुई है उससे भी हमारे दल और हमको काफी अफसोस है ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ नेता सदन और नेता विरोधी दल ने जो कहा है मैं अपने और अपने दल को उससे सम्बद्ध करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे दल और हमारी ओर से उनके परिवार तक हमारी सद्भावनायें भेज दी जायं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री और माननीय उपनेता भारतीय क्रांति दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो विचार श्रद्धेय कैलाश सिंह कुशवाहा और श्री रुकुनुद्दीन खां के बारे में व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । श्री कैलाश सिंह कुशवाहा ८-९ की मध्य रात्रि में गोली से अपने घर के सामने मारे गये । यह दुखान्तपूर्ण स्थिति है । सभी इससे दुखित हैं । मुझे उनको जानने का अवसर मिला था । अच्छे व्यक्ति थे । इस विधान सभा में उनका योगदान था । सार्वजनिक क्षेत्र के एक तेजस्वी कार्यकर्ता के रूप में वह जाने माने जाते थे ।

श्री रुकुनुद्दीन खां प्रतापगढ़ जिले की एक संस्था के रूप में थे । यद्यपि वह शुरू में मुसलिम लीग के टिकट पर कौंसिल में चुने गये लेकिन विभाजन के बाद वह एक राष्ट्रीय विचार के कांग्रेसजन तथा कांग्रेसजन से भी अधिक लोकप्रिय न केवल मुसलमानों में थे बल्कि बहुसंख्यक हिन्दुओं में भी थे । उनकी एक विशिष्टता थी । उन के निधन से प्रतापगढ़ के सार्वजनिक जीवन में निश्चय ही एक रिक्ति आयी है ।

इन दोनों महानुभावों, दिवंगत आत्माओं के प्रति शांति की कामना करते हुए मैं आप द्वारा व्यक्त भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि दो मिनट खड़े होकर शोक मनाया जाय ।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए)

मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

आज माननीय सत्यप्रकाश मालवीय और श्री रेवतीरमण सिंह द्वारा माननीय मुख्य मंत्री पर विशेषाधिकार भंग करने की एक सूचना आयी है । श्री सत्य प्रकाश मालवीय और श्री रेवती रमण सिंह ने यह सूचना दी है कि माननीय मुख्य मंत्री ने १६ जुलाई, १९७४ को तारांकित प्रश्न संख्या २९ का जानबूझ कर गलत उत्तर देकर सदन को गुमराह किया । माननीय सत्य प्रकाश मालवीय ने यह प्रश्न किया था--"क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि

इलाहाबाद नगरपालिका ने आवासगृहों के निर्माण की कोई योजना सरकार के पास हाल ही में भेजी है जिसका नाम "हेमवती नन्दन गहुगुणा नगर" रखा गया है ? इसके उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री ने कहा–"मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यालय में कथित योजना प्राप्त हुई है । अभी इस योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है"।

अब माननीय सदस्य ने कहा है कि अंतिम रूप नहीं दिया गया है लेकिन टेंडर मांगा गया है। इस टेंडर का जो प्रारूप है, जो उद्धरण है वह भी माननीय सदस्य ने संलग्न किया है। यह स्पष्टीकरण का मामला है । मैं इसको मुख्य मंत्री जी के पास भेजे देता हूं । असल में एक बयान उनका यहां पर है दूसरा बयान टेंडर के बारे में है तो इन दोनों बयानों में कोई भी जवाब नहीं है । जवाब सही हो या गलत हो यह दूसरी चीज है । लेकिन उनके अपने बयान में कोई दो रूप सामने नहीं आये हैं । इसलिये मैंने पछली दफा आपसे कहा था कि आप प्रश्न करें अगर जवाब विपरीत दें तब तो जान बूझ कर हो सकता है । लेकिन फिर भी मैं स्पष्टीकरण के लिये भेज रहा हूं । कल इस पर विचार करेंगे ।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)––

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि....

श्री अध्यक्ष––

वह कल होगा । जब वह आयें तब जो कुछ कहना हो, कह दीजियेगा ।

श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)––

मान्यवर, मैं एक मिनट लूंगा ।

श्री अध्यक्ष––

आप क्यों जल्दी में हैं ?

एक माननीय ओम प्रकाश जी का है । उन्होंने बहुत सी सामग्री भी दी है । मैं इसको अभी देख नहीं सका हूं । इसको कल लेंगे।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष––

एक सूचना माननीय शिव प्रसाद गुप्त की है कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ जो ऊपर गैलरी में थे, अभद्र व्यवहार हुआ है । यह हम से संबंधित है । इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है । अगर वह चाहें तो मेरे पास शिकायत भेज दें । शिकायत पुलिस की या गार्ड की हो उसको हम देखेंगे।

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने राजकीय अस्पतालों में दवाओं के अभाव के संबंध में सूचना दी है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)––

मान्यवर, आपको मालूम होगा कि एक डाक्टर ने मरीज को सलाह दी कि ग्लूकोस चढाया जायगा । वह अस्पताल में और बाजार में गया लेकिन कहीं उसको ग्लूकोस नहीं मिला और वह बेचारा मर गया । ऐसी स्थिति है कि कहीं दवा नहीं मिलती है । खरीदने जाते हैं तो लोग समझते है कि मिलावट होगी, कहीं जान न चली जाय ।

श्री अध्यक्ष––

नियम ५२ के अन्तर्गत एक बहस स्वीकार हुई है उसमें आपकी बात भी आ सकती है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि जो मैंने नियम ५६ के अन्तर्गत प्रस्ताव दिया है उसको स्वीकार होना चाहिये । यह सरकार दवाओं का प्रबन्ध नहीं कर सकती है लेकिन अस्पताल बनवाये जा रहे हैं । सारे प्रदेश में कोई भी अस्पताल नहीं होगा जहां जितनी जरूरत हो उतनी दवायें उपलब्ध हों । कहीं भी दवायें उपलब्ध नहीं होती हैं ।

श्री अध्यक्ष--

दो घंटे की चर्चा का जो स्वीकार किया है उसी में इसको सन्निहित किया जा सकता है । उसको आप देख लीजिये । उसमें अगर नहीं आयेगा तो देखूंगा ।

एक प्रश्न माननीय वेद प्रकाश अग्रवाल ने उठाया है । यह महत्वपूर्ण है । इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है ।

अब एक दूसरा माननीय मोतीलाल देहलवी का है । इसमें किसी कानून के विरुद्ध कार्यवाही करने के कारण हुई गिरफ्तारी के ऊपर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता ।

१७ दिसम्बर, १९६३ को एक कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अस्वीकार करते हुए श्री अध्यक्ष ने कहा था :

"सरकार की घोषित नीति जो है और जब कोई कानून बन गया है तो जो भी सत्याग्रह करेगा, पकड़ा जायेगा । अगर कोई गिरफ्तारी कानून के विरुद्ध कार्य करने पर होती है तो उसके संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं आ सकता ।" इसलिये इसको अस्वीकार किया ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेशीय सरकार पता नहीं किस प्रदेश से प्रेरणा पाकर करीब-करीब हर साल एक क्राइम सप्ताह मनाती है और जिसमें आप देखें कि अजीब बात है । साल में ३६४ दिन तक व्यक्ति क्रिमिनल नहीं होता है और ३६५ वें दिन वह क्रिमिनल हो जाता है । यह गृह मंत्रालय एकदम मजाक बन गया है । निरीह लोगों को फांस दिया जाता है । यह उनके साथ ज्यादती है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

पूरे प्रांत में हाहाकार मचा हुआ है । पुलिस के पास तमन्चे हैं और पता नहीं क्या क्या हैं इस संबंध में आपको निर्णय लेना है ।

श्री अध्यक्ष--

आप जानते हैं कि पीठासीन अधिकारियों के जो निर्णय हैं उनके अनुसार यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं बनता है ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

आप उनसे वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष--

अगला सत्य प्रकाश मालवीय, हर प्रताप सिंह आदि का है । यह विद्युत अनुरक्षण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल, इलाहाबाद के ५३ वर्कचार्ज कर्मचारियों के निकाले जाने से संबंधित है । यह प्रशासनिक व्योरे का सवाल है । यह नियम ५६ का विषय नहीं है।

श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर आदमी निकाले जा रहे हैं । यह उनके जीवन मरण का सवाल है ।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, इसी संबंध में यह सवाल शुद्ध छटनी का है । ५६ आदमी निकाल दिये गये, उनकी जीविका चली गयी और ४६ को नोटिस दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

इसमें लिखा है कि इन ५३ व्यक्तियों को सेवा प्रदान की जाय और विद्युत् अनुरक्षण खंड इलाहाबाद के सन् ७४ में नियुक्त किये गये ४६ आदमियों को जो नियमित है न निकाला जाय । आप सुझाव दे रहे हैं, लेकिन इसका रूप क्या है ?

श्री राम सेवक यादव—

उन्होंने एक रेमिडी बता दी कि ऐसा कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष—

आप अल्प सूचित प्रश्न करें।

श्री राम सेवक यादव—

अल्प सूचित जल्दी आ जाये ।

श्री अध्यक्ष—

दलीय अनुशासन, दलीय कार्यवाहियां क्या आप समझते हैं कि वह कोई सरकार की कार्यवाही से संबंधित होती हैं ?

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जिलाधिकारियों को एक ऐसा निर्देश दिया गया है कि कौन किसान किस पार्टी से संबंधित है, और इसी आधार पर किसानों को वह परेशान कर रहे हैं । किसानों को तंग भी किया जा रहा है । मैं अपने जिले के बारे में कह सकता हूं और दूसरे जिलों के बारे में भी कह सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

यह आप अल्प सूचित प्रश्न करके जानकारी करें । मान लीजिये आप जो कह रहे हैं वह सही है, कोई निर्देश गया है, तो अल्प सूचित प्रश्न करें और सरकार बतायेगी कि ऐसा कोई निर्देश जिलाधिकारियों को सरकार की तरफ से गया है ?

(व्यवधान शोर, घोर-शोर)

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, शासन से ऐसा निर्देश भेज कर पूरे प्रदेश को क्षति पहुंचाई जाने वाली है । यह पूरे प्रदेश का सवाल है ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये—व्यवधान-शोर, घोर शोर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय बाबूलाल वर्मा ने श्री गंगा प्रसाद शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, इटावा की मुख्य चिकित्साधिकारी की अकर्मण्यता के कारण मृत्यु के बारे में सूचना दी है।

माननीय ओम प्रकाश सिंह ने इलाहाबाद लोक सभा उप चुनाव के दौरान श्री बृजेश कुमार की गिरफ्तारी से छात्रों में असंतोष के संबंध में सूचना दी है।

माननीय लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, माननीय जगन्नाथ सिंह परमार ने बांदा में भीषण पाला तथा अवर्षण से फसल को नुकसान पहुंचने के संबंध में सूचना दी है।

[श्री अध्यक्ष]

माननीय सत्यपाल मलिक, माननीय नजीर अहमद ने प्रदेश के राजपथों के निर्माण हेतु केंद्र से २३ करोड़ रुपये की मांग के संबंध में सूचना दी है।

(व्यवधान- घोर शोर)

यह प्रशासनिक विषय है।

श्री मोती लाल देहलवी---

मान्यवर, मैं एक निवेदन कर रहा था, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष---

मुझे नहीं सुनना है।

(शोर-व्यवधान)

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)---

मान्यवर, इस तरह से सदन नहीं चल सकता।

(व्यवधान, शोर-मेजें थपथपाई गईं।)

श्री सत्यपाल मलिक---

मान्यवर, जब तक आप व्यवस्था नहीं कायम करेंगे, तब तक यह सदन नहीं चल सकता।

श्री मोती लाल देहलवी---

श्रीमन्, महीनों प्रश्न आते नहीं हैं तो क्या फायदा है सदन में प्रश्न करने का ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं।

श्री मोती लाल देहलवी---

श्रीमन्, हम जनता की बात कहने यहां पर आये हैं, हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर आप हमारी बात नहीं सुनते हैं तो आप इस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष---

यह सदन का अवमान है। माननीय मोतीलाल देहलवी ने अभी यह कहा था कि मैं इस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं हूं। इसलिये मैं सदन को निर्दिष्ट करता हूं कि इस पर कल कार्यवाही करें।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

मैं माननीय सदस्य से यह आग्रह करूंगा कि जो उन्होंने अपमानजनक बात कही, उसको वे वापस ले लें ?

श्री मोती लाल देहलवी---

जो मैंने कहा उसे कार्यवाही से देख लें। अगर आप बहस करवाना चाहते हैं तो हम लोग उसके लिये भी तैयार हैं। हम चाहते हैं कि उस पर बहस हो।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष पर आरोप लगाना किसी प्रकार भी नियमों में उचित नहीं है। यह सदन की परम्परा नहीं रही है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, मैं भी माननीय नेता विरोधी दल से प्रार्थना करता हूं कि वे इसे वापस लिवा लें ।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)--

मेरी भी प्रार्थना है कि वे इसे वापस ले लें । ऐसा सदन में कभी नहीं हुआ है, और ऐसी परम्परा न डालें कि सदन में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो ।

श्री रामसेवक यादव--

माननीय मोती लाल जी ने जो कहा, जो मैं समझ पाया हूं, उनका कहना यह नहीं है कि माननीय अध्यक्ष का अपमान हो....

श्री अध्यक्ष--

इन्होंने अध्यक्ष के नाम कुछ कहा है । प्रश्न यह है कि यह सदन नियमानुसार चलेगा या किसी दल के माननीय सदस्यों के इच्छानुसार चलगा ?

श्री रामसेवक यादव--

यदि उनके किसी शब्द से अवमान हुआ है तो मैं उनसे भी कहूंगा कि उसे वे वापस ले लें । मुझे अपने दल की ओर से दुख है । मैं चाहता हूं कि इसको वापस ले लिया जाय।

श्री मोतीलाल देहलवी--

हमें जनता की बात कहने का अधिकार है । हम यहां पर उनके द्वारा चुन कर आये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा कोई सदस्य यहां नहीं है जो जनता द्वारा चुना न गया हो ।

एक सदस्य--

जनता की बात तो कायदे और कानून के अन्तर्गत ही कहनी चाहिये । यह नहीं है कि जो आपके जी में आये वह कह दें। (व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी--

अफीम खाकर विरोधी दल से चुनाव का बदला लेंगे तो यह कौन बरदाश्त करेगा?

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, बार-बार ये आप पर आक्षेप कर रहे हैं । मैं अनुरोध करूंगा कि आप मोती लाल देहलवी को इंगित करें?

(अत्यधिक शोर)

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, जो सदस्य सदन में अव्यवस्था पैदा करते हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय?

श्री रामसेवक यादव--

श्रीमन्, हम चाहते हैं कि सदन में बहस ठीक से चले लेकिन यह सबकी जिम्मेदारी है। मेरा निवेदन है कि जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया किसी ने अगर कोई चीज छेड़ दी और चाहे वह देहलवी हों या उधर के सदस्य हों, उसका डिस्पोजल नहीं होता, उसको आप सख्ती से डिस्पोज आफ करें, आगे बढ़ायें । लेकिन एक तरफ वह भी चलते हैं, रेलें चलती है, एक तरफ मंत्री बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं बजट-भाषण, दूसरे मंत्री कोई बयान दे रहे हैं, कोई सुन

[श्री राम सेवक यादव]

नहीं रहा है-तो इस तरीके से सदन की कार्यवाही ठीक तरीके से चल नहीं पाती है । जैसे कि कार्यस्थगन के प्रस्ताव थे । आपने उसे स्वीकारा, अस्वीकारा, यह श्रीमन्, आपको अधिकार है और उससे हम सहमत भी होते हैं । अभी कई कार्य-स्थगन के प्रस्ताव थे, उसे बीच में डिस्पोज आफ किया जो चल रहा था, जिसको लेकर सारी चीजें चलीं जिसको मैं दुखद मानता हूं, जिसके लिये मुझे खेद है और दूसरा कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं आ सका, सुनाया नहीं जा सका । तो उसका कोई रास्ता होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

उनको भी बता दिया था माननीय मोतीलाल देहलवी को जोकि एक झूठी दफाओं में गिरफ्तारी का विषय था । मैंने कहा कि यह अदालत का मामला है और रूलिंग भी पढ़ दी । इसलिये मैंने जल्दी में कोई निर्णय नहीं लिया--अध्यक्ष की रूलिंग पढ़ दी और मैं चुनौती देता हूं कि इस देश में कोई ऐसा प्रेसाइडिंग आफिसर नहीं है, कोई विरोधी दल का नेता नहीं है जो इसको स्वीकार करे । आप भी नहीं स्वीकार करेंगे इसको ।

श्री रामसवक यादव--

आप हमारा प्रश्न नहीं समझ पाये । आपने उस पर निर्णय दिया और यह प्रश्न आया और जो परस्यू कर रहे थे उनको भी मजबूर कर दिया कि बैठें लेकिन उसमें आगे का प्रश्न चला गया । जो कार्य-स्थगन सत्यपाल मलिक जी का था । तो जब रेलें चलती हैं....

श्री अध्यक्ष--

वह तो दूसरा सवाल है । सत्यपाल मलिक का आयेगा, वह दूसरी चीज है ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मैंने जो लिख कर दिया है उसको पूरा पढ़िये ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कह दिया कि भीषण पाला वगैरह के संबंध में जो है वह हो गया है ।

अब सत्यपाल मलिक ने जो दिया है वह कैस होगा? मैं पूरा पढ़ देता हूं । श्री सत्यपाल मलिक ने लिख कर दिया है:

"गत रविवार को प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा लोक निर्माण विभाग मंत्री ने केन्द्रीय परिवहन मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी से मिल कर प्रदेश के राजपथों के निर्माण के लिए केन्द्र से २३ करोड़ रुपये की धनराशि की मांग की है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने कहा कि १० करोड़ रुपया तो तत्काल मिलना चाहिये । यदि यह रुपया नहीं मिला तो प्रदेश की सभी कच्ची सड़कें जो टेस्ट वर्क के अधीन बनी हैं पक्की नहीं हो सकेंगी और बारिश में बह कर नष्ट हो जायेंगी।

केंद्रीय परिवहन मंत्री ने कोई आश्वासन देने से इंकार कर दिया है और रुपये की कमी बतायी है । इसलिये एक संकटमय स्थिति उत्पन्न हो गयी है । मानसून आ चुका है, बारिश शुरू है । इन सड़कों का नुक्सान भी एक हद तक शुरू है । इस दौरान जल्दी रुपया मिलेगा नहीं । इसलिये तमाम प्रदेश की कच्ची बनी सड़कों को खतरा पैदा हो गया है ।"

यह है । एक काल्पनिक बात है कोई बात-चीत हुई है । न अखबार में ही है । कोई वार्तालाप है दो मंत्रियों के बीच का और दो मंत्रियों के बीच के वार्तालाप से निष्कर्ष निकालना कि वहां से पैसा नहीं मिलेगा, यह कार्य-स्थगन का कैसे प्रस्ताव होगा ?

*श्री सत्यपाल मलिक—

आप एक मिनट सुन लें । मैंने तमाम अखबारों में पढ़ा है, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री का बयान छपा है । उन्होंने अखबार वालों को बताया कि १० करोड़ रुपया और चाहिये । हिन्दुस्तान के अखबारों में है कि तमाम सड़कें बह जायंगी । जब उनके विभाग पर बहस हो चुकी थी पिछली बार तो ६ करोड़ रुपया मिला वह उन्होंने कहा कि तीन पुलों पर लग गया । तो यह कोई काल्पनिक चीज नहीं है । यह मंत्री का बयान है । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल्कुल साफ है कि केन्द्र सरकार १० करोड़ रुपया २ हफ्ते के अन्दर नहीं दे सकती । दूसरे हमारे जो माननीय मुख्य मंत्री हैं वह केंद्र की तानाशाही के अन्दर नहीं आ रहे हैं, विवेक से काम कर रहे हैं, इसलिये भी उनको रुपया नहीं मिलने वाला है । तो मेरा यह निवेदन है कि जो सड़कें बर्बाद होने वाली हैं दो हफ्ते के अन्दर अन्दर उस पर चर्चा होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

बिना इस हवाले के आप कह सकते थे कि जहां राहत का काम पारसाल हुआ, तीन, चार हजार मील कच्ची सड़कें बनीं उनकी व्यवस्था करने के संबंध में कोई वक्तव्य होना चाहिये लेकिन अखबार के ऊपर आधारित किसी सूचना को ले कर आप कार्यस्थगन प्रस्ताव रखें तो इस संबंध में एक रूलिंग पढ़ दूं:

"समाचार-पत्रों में प्रकाशित किसी समाचार के आधार पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।"

श्री सत्यपाल मलिक—

मैं अपनी दिक्कत बता दूं । एक कार्य-स्थगन मैं और लाया था सदन के सामने जिसको आपने बहस के लिये स्वीकार किया लेकिन वह शिक्षा का मामला था, यह सड़कों का मामला है । मैं सवाल दे कर उसको उठाऊं तब तक प्रदेश का जो नुकसान होने वाला है वह हो जाय । ऐसे मामलों में आप इस तरह से मदद कर सकते हैं कि कार्य-स्थगन के इस प्रस्ताव के आधार पर मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण देने के लिये कह सकते हैं और कोई तरीका नहीं है ।

श्री रामसेवक यादव—

यह नियम ५१ का नोटिस दे दें और सड़कों के बारे में आप मंत्री महोदय से बयान दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

अगर यह स्वीकार किया जाय....

श्री राम सेवक यादव—

उसी अंश तक जो सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने कहा कि हमको १० करोड़ रुपया नहीं मिल रहा है । (व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे ।)

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जो चिल्लाये उसको आप २-२, ४-४ मिनट दे देते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शिव चरन लाल—

मैंने टूंडला थाने के अन्तर्गत कल्यानकोट के निवासी कल्लू की मृत्यु का लिख कर दिया था ५१ में ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य किस ध्यान में हैं ? यह ५१ की बहस नहीं है । पहले समझ लीजिये । होश में बोलना चाहिये ।

प्रधान मन्त्री के भाषण के सम्बन्ध में नियम १०३ के अन्तर्गत दी गयी सूचना के बारे में जानकारी

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैंने कल एक लोक हित के महत्वपूर्ण विषय पर प्रस्ताव दिया था नियम १०३ के अन्तर्गत । मेरा प्रस्ताव यह था कि आज का वातावरण बड़ा गम्भीर हो गया है प्रधान मंत्री के भाषण से । आज हिंसा, अन्याय, अभाव, भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त है । आज युवा वर्ग आन्दोलित है । इसके पूर्व गुजरात की स्थिति जैसी थी, उन्होंने आन्दोलन किया, असेम्बली भंग हुई लेकिन तिस पर भी राष्ट्रपति शासन में प्रधान मंत्री ने दुख को चौगुना कर दिया । पूना गई और भाषण दिया । उन्होंने कहा कि आज जो भ्रष्टाचार है युवा वर्ग को खड़ा हो जाना चाहिये और उसके खिलाफ विद्रोह कर देना चाहिये । परिणाम यह हुआ कि आज युवा वर्ग आन्दोलित है । ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जबकि बिहार उत्तर प्रदेश के छोर को छू रहा है किसी भी समय यहां आग धधक सकती है क्योंकि किसी प्रकार का त्राण यहां मिल नहीं रहा है । ऐसे अवसर पर प्रधान मंत्री का ऐसा गम्भीर वक्तव्य हो जाता है । सारा युवा वर्ग प्रभावित है । मैं चाहता हूं कि इस सदन में उस पर विचार हो और उनका सही मार्गदर्शन किया जाय । बिहार और गुजरात की हिंसात्मक स्थिति यहां भी न उत्पन्न हो जाय । कल भी आपने टाल दिया । आज कहा कि हम इस पर विचार करेंगे और आपने बुला लिया वित्त मंत्री को । इससे बड़ा गम्भीर विषय और क्या होगा ? क्या आप तभी सोचेंगे जब बिहार की स्थिति यहां हो जाय और हिंसात्मक आन्दोलन हो जाय ? इसे बचाने के लिए और शांतिपूर्ण वातावरण बनाने के लिये हम चाहते हैं कि इस पर विचार हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—

जो आवेदन-पत्र कल दिया है यह कोई दूसरा है क्या ? इस पर आपके दस्तखत नहीं हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—,

मेरे दस्तखत हैं । आपने बोलने के लिये नहीं कहा, उसकी चर्चा नहीं की इसलिये मैंने कहा कि मुझे बोलने दिया जाय । ३०१ में कल भी मैंने दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

सूबेदार प्रसाद जी के बारे में ही तो था . . . .

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

वह दूसरा होगा । मेरा वाला कैसे आयेगा ? आपने कहा था कल विचार करेंगे । जो दिया उसे आपने देखा नहीं । पता नहीं मेरा प्रस्ताव कोल्ड स्टोरेज में पड़ जाता है क्या बात है. . . . .

श्री अध्यक्ष--

ऐसी बात नहीं है । कल जो दिया है उसे मैंने देखा नहीं है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

अध्यक्ष महोदय, इस पर आप कृपया अपनी व्यवस्था दें कि कार्य स्थगन प्रस्ताव पर कुछ माननीय सदस्य जो जबरदस्ती बोलने लगते हैं उनको तो आप मौका दे देते हैं, जो शांति के साथ बैठे रहते हैं, जो आपकी आज्ञा से बोलना चाहते हैं उनको आप मौका नहीं देते । (व्यवधान)

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

अभी माननीय सदस्य ने सदन का अवमान किया क्या उसके लिये उन्होंने माफी मांग ली है ?

एक सदस्य--

बांदा जिले के विधायकों ने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखा था (व्यवधान) उसका क्या हुआ ।

श्री अध्यक्ष--

वह अस्वीकार हो गया ।

(इस समय कई माननीय सदस्य एक साथ कुछ क्षण तक बोलते रहे और व्यवधान करते रहे ।)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें । यह तरीका गलत है ।

अभी माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि कुछ लोग जबरदस्ती बोलने लगते हैं उनके प्रश्न में दम है । नियमों का अनुपालन होना चाहिये । जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है वह देखने की बात है और उसके लिये मैं सोचूंगा कि क्या करना चाहिये । अगर इस तरह से होगा तो कार्यवाही कैसे चलेगी ? फिर तो यह हो सकता है कि मैं चैम्बर में ही निर्णय करके बता दूं । हम चाहते हैं कि आपका फायदा हो । मगर आप भी अपने कर्त्तव्यों को समझें । कार्य-स्थगन न्यायिक प्रस्ताव लाने का मतलब होता है सरकार पर निन्दा या प्रस्ताव अविश्वास लाना । फिर जो शुक्रवार का दिन आपका होता है उस दिन भी आप यह ले आते हैं । तो मालूम हो जाता है कि आप आत्म खंडन कर रहे हैं ।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

अभी शुक्रवार हमारा कभी हुआ ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

शुक्रवार आपका दिन है और अगर आप उसे सरकार को देते हैं तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं । आपने स्वयं अपने असरकारी दिवसों को सरकार को दिया है और कार्य मंत्रणा समिति में दिया है ।

(कई सदस्यों के बोलने से शोर)

श्री सूबेदार प्रसाद विधायक की तथाकथित हत्या की आशंका के विषय में की गयी व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना

श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा--(जिला बांदा)--

मान्यवर मेरे प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)--

मान्यवर, यह बहुत ही जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य ने जो सूबेदार प्रसाद के बारे में सवाल उठाया है (व्यवधान)

(श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा और श्री जगन्नाथ सिंह परमार सदन त्याग कर चले गये ।

यह जो सूबेदार प्रसाद का सवाल कल आया था इसको मैंने भेज दिया है। उनकी जान का खतरा है। उनको अंगरक्षक देने की बात थी तो वह अंगरक्षक नहीं चाहते हैं। ऐसा लगता है कुछ लोग उनकी जान पर कुछ खतरा उत्पन्न करेंगे।

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)--

मान्यवर, अभी ११-७-७४ को मुख्य मंत्री जी ने डी० एम० और एस० पी० को लिखा है। उनको लिखा गया है। रेडियो ग्राम से आदेश भेज दिया गया है और आदेश दिया गया है कि उनकी पूरी हिफाजत की जाय और इस बात की कोशिश की जाय कि उनको किसी किस्म के खतरे की आशंका न रहे।

मान्यवर, मैंने डिप्टी एस० पी० को रेडियोग्राम कर दिया है फिर से, क्योंकि डी० एम० और एस० पी० मुझे टेलीफोन पर नहीं मिले। वह आयेंगे। मुझे यकीन है कि उनको किसी बात का खतरा नहीं होगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, अगर ऐसा है तो ठीक है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, आपने बताया कि समाचार पत्रों की सूचना को आधार नहीं मानेंगे। तो आप किस तरह की सूचना को मानेंगे जो सूचना विभाग की हो, या जो उसकी पुस्तिका की हो या आप कोई ऐसा आधार बतायें जिसकी सूचना आप स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष--

आप काल्पनिक सवाल कर रहे हैं। आपका सवाल गलत है। आपको स्वयं सोचना चाहिये । अपने मस्तिष्क की उर्वरता का इस्तेमाल करना चाहिये और मस्तिष्क को जाग्रत करके सवाल करना चाहिये । मैं सलाह देने के लिये नहीं हूं कि आप इस तरह का सवाल कीजिये।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । यहां रोज देखने में आता है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव जैसी चीजें आती हैं । लेकिन आप कुछ लोगों को मौका देते हैं और कुछ लोगों को मौका नहीं देते हैं। आज इसी तरह के प्रस्ताव आये और मुझे बोलने का मौका नहीं

दिया गया। इसी प्रकार से मैंने नियम ५२ में प्रस्ताव रखा है। आपने नियम ५२ का एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और एक नहीं। तो आप इस पर व्यवस्था दीजिये, इस प्रकार का अन्तर क्यों हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

सदन व्यवस्थित रखें तो काम सुचारु रूप से रहेगा । यदि सदन का एक अंग भी अव्यवस्थित होगा तो सदन का काम नहीं चलेगा । जो सदन के काम को अनुचित ढंग से रोक रखते हैं, तो यह ठीक नहीं है । वैसे मैं किसी को निकालने नहीं जा रहा हूं ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

मान्यवर, इन्हें (श्री काशी नाथ मिश्र) आप कभी नहीं टोकते हैं। इनको बोलने देते हैं। इसी से अव्यवस्था फैलती है।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से बोलता हूं। अभी जो व्यवस्था का प्रश्न उठा उसी पर मैं कह रहा हूं कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव एक ही आ सकता है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिए। श्रीमन्, सदन में यह परम्परा रही है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव जिसको आप जरूरी समझेंगे उसी को लेंगे। तो नियम के अनुसार सदस्यों को खड़े होना पड़ता है। इसलिये सोच समझ कर जिस सवाल को उठाया जाय उसके पीछे कोई ताकत होनी चाहिये या कम से कम दल की ताकत तो जरूरी है। नियम ५६ के अन्दर एक ही आना चाहिये। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें कि क्या कार्य-स्थगन प्रस्ताव अलग-अलग मेम्बर अलग-अलग दे सकते हैं ?

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, श्री काशी नाथ जी आपको या किस को उपदेश दे रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, क्या विरोधी दल के लोग जो हैं वे अलग-अलग प्रस्ताव दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

कार्य स्थगन प्रस्ताव की गरिमा में यह सन्निहित है कि अगर वे सचमुच ऐसा चाहते हैं तो वैसा करेंगे जैसा कि काशीनाथ मिश्र जी का सुझाव है। लेकिन जो वक्तव्य के लिये है उस पर अल्प सूचित प्रश्न करें, कार्य स्थगन प्रस्ताव को माध्यम बनाना चाहते हैं या अपनी अजानकारी और संसदीय कार्य की जो पद्धति है उसको उपेक्षित करने के कारण जो बातें आती हैं तो लोकतंत्र जहां एक तरफ शिक्षात्मक होता है वह वहां शिक्षा भी ग्रहण करता है और आदान-प्रदान में लोकतंत्र की कक्षता से जो भरपूर मस्तिष्क हैं उन्हें इन चीजों से उद्वेलित नहीं होना चाहिये। मैं काशीनाथ जी को सलाह दूंगा कि वे बहुत उद्वेलित न हों।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मुझे आपने बोलने की अनुमति दी थी। मैं श्री काशीनाथ जी की जो व्यवस्था है वह स्वयं व्यवस्था का प्रश्न बन जाती है। पहले ही दिन इन्होंने अशोभनीय बात निकाली थी और आपने कहा था कि उसको वापिस लिया जाय । परन्तु इन्होंने वापस नहीं लिया था। वे आज सुझाव दे रहे हैं ।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

मान्यवर, हमारा प्रश्न है कि जो श्री मोहन लाल कपूर ने प्रश्न उठाया वह बहुत गंभीर है। आपने कहा कि नियम से चलना चाहिये तभी व्यवस्थित ढंग से काम चलेगा। लेकिन नियमों का कड़ाई से पालन आपको कराना चाहिये। इसी पर कहा कि ६ कार्य स्थगन प्रस्ताव थे परन्तु आपने २ को बोलने का मौका दिया और शेष ४ को नहीं दिया। आपको शेष ४ को भी बोलने की अनुमति देनी चाहिये। यद्यपि आप ऐसा नहीं समझते और न ही पक्षपात करते हैं। लेकिन यह भावना मन में आ जाती है कि आपको को बोलने का मौका दें और एक को नहीं। आप कुछ भी नियम निकालें, कुछ भी निर्णय दें। अगर एक व्यक्ति को बोलने का अवसर देते हैं तो दूसरे को भी अवसर दें।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, सम्मानित नेता जनसंघ ने सामान्यतः जो विचार व्यक्त किये हैं, उनकी जो आत्मा है, उसमें जो भावना निहित है, मैं उससे सहमत हूं। प्रश्न श्रीमन्, यह है कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखना विरोधी दल का अधिकार है, किसी भी माननीय सदस्य का अधिकार है। कार्य स्थगन प्रस्ताव पार्लियामेन्टरी पद्धति के अनुसार माननीय सदस्य या विरोधी दल के नेता के हाथ में एक हथियार है। श्रीमन्, अब प्रश्न यह है कि उस हथियार का किस समय प्रयोग किया जाय। मैं माननीय नेता जनसंघ का ध्यान इस कार्य स्थगन प्रस्ताव के इतिहास की ओर ले जाना चाहता हूं। जब शुरू में नियमावली बनी तो उसमें केवल कार्य स्थगन प्रस्ताव का ही अधिकार विरोधी पक्ष को था। परिणाम स्वरूप केवल कार्य-स्थगन का ही प्रस्ताव सदन में आते थे। नियम ५१, नियम ५२ और अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव पर विरोधी पक्ष को अधिकार नियमावली में नहीं था। इस बात पर चर्चा हुई और विचार विमर्श हुआ कि विरोधी पक्ष को और भी अधिकार दिये जायें।

उस समय नेता सदन स्वर्गीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द और बाद में श्री चन्द्रभानु गुप्त जी थे, विचार विमर्श हुआ और सर्वसम्मति से यह स्वीकार हुआ कि विरोधी पक्ष को और भी अधिकार मिलने चाहिये। और इस तरह से नियम ५१, नियम ५२ और अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्तावों का समावेश नियमावली में हुआ। हमारी नियम समिति ने महीनों विचार करके, लोक सभा और हाउस आफ कामन्स में जो नियम प्रचलित थे, उन पर विचार करके, यह सुझाव दिया कि माननीय सदस्यों को जो विरोधी दल के हैं, नियम ५१, नियम ५२ और अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव का अधिकार दिया जाय। अब यह माननीय सदस्य का अधिकार है कि वह चाहे नियम ५१, नियम ५२ या कार्य स्थगन प्रस्ताव का उपयोग करें। मैं विनम्रतापूर्वक माननीय नेता जनसंघ से प्रार्थना करूंगा कि इस हथियार का किस समय प्रयोग किया जाय इस पर जरूर विचार कर लें। नियम ५१ या ५२ से मतलब हल हो जाता है, वक्तव्य दिलाने से हो जाता है या आधा घण्टा प्रश्न करने पर हो जाता है, तो उस पर विचार कर लें कि किस हथियार का किस समय प्रयोग किया जाय। आपके पास और भी बहुत से हथियार हैं किस मौके पर किस का प्रयोग किया जाय, यह तो आपके सोचने की बात है। माननीय नेता संसदीय पंडित हैं, उनका मुझ से ज्यादा ज्ञान है, लेकिन मैं यह जानता हूं कि बजट के समय में जब कि बजट पास होने को है, कामरोको प्रस्ताव परम्परा से हाउस आफ कामन्स में आता नहीं क्योंकि बजट का कार्य रुकता है, बजट को समय से पास होना होता है। सदन का यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। कार्य स्थगन प्रस्ताव के स्वीकार हो जाने का मतलब सदन का कार्य स्थगन हो जाना होता है। जो प्रस्ताव प्रस्तुत हो रहे हैं वह स्थगित हो जाते हैं, सारे सामान्य कार्य रुक जाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि हम लोगों को भी यह अवसर नहीं मिलता कि पार्टी के भेदानुभेद से ऊपर उठकर कभी भी संसदीय पद्धति पर चर्चा आपस में बैठकर करें। पार्लियामेन्ट्री क्लब भी बना हुआ है, लेकिन उसमें भी अवसर नहीं मिलता। हम भी गलती करते हैं, हमें परिष्कृत होना चाहिये,

हमारे पार्लियामेन्ट्री विवेक का परिष्कार होना चाहिये ताकि हम निखर कर खरे उतरें । ८६ हजार ग्राम सभायें हैं, ग्राम पंचायतें, जिला परिषद् हैं और सब के सामने यहां का एक उदाहरण आता है और हम सबको पार्लियामेन्ट्री प्रक्रिया और पद्धति की अग्नि से खरे उतरना है । यह सबकी मनोभावना है । कार्य स्थगन प्रस्ताव से सारे सदन के कार्य स्थगित हो जाते हैं । मान्यवर, यहां पर इतना अवश्य मैं आपसे आग्रह करूंगा कि शायद एक शब्द का उल्लेख किया है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव का महत्व अविश्वास के प्रस्ताव के बराबर ही है । मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि इस पर आप पुनः विचार कर लें क्योंकि अगर कार्य स्थगन प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो इसका यह मतलब नहीं कि सरकार के प्रति अविश्वास हो जाय । अविश्वास के प्रस्ताव और कार्य स्थगन के प्रस्ताव में भिन्नता है इतनी तो शायद आपने बात कही, जो कल रूलिंग में लिख दी जायगी ।

श्री अध्यक्ष--

यह मैंने नहीं कहा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

तिवारी जी ने एक बात और उठा दी । माननीय तिवारी जी ने कहा कि संसदीय पद्धति में विचार करने का अवसर मिले और हम भी और वे भी बैठें तो यह बात अच्छी है और अवसर मिलना चाहिये । लेकिन यदि सरकार खुद ही कार्यस्थगन लाने वाली अनेक स्थिति पैदा करती हो तो हम क्या करें । अपनी बुद्धि के अनुसार माननीय सदस्य प्रश्न देते हैं । इसको सीमित नहीं किया जा सकता कि सारे विरोधी दल मिलकर कार्य स्थगन लायें । दूसरी बात उन्होंने कही कि बजट सेशन में नहीं लाना चाहिये । मान्यवर, अगर बहस हो रही है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और ला एन्ड आर्डर सिचुएशन खराब है और अगर हम ला एन्ड आर्डर सिचुएशन पर बहस करने लगें तो आप अनुमति नहीं देंगे और कहेंगे कि इररेलेवेन्ट कह रहे हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सामान्यतः नहीं लाना चाहिये । ला तो सकते हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

उन्होंने कहा कि अविश्वास के प्रस्ताव और एडजर्नमेंट मोशन में अन्तर है । मैं भी मानता हूं कि अन्तर है लेकिन डिग्रीज का अन्तर है । एडजर्नमेंट मोशन इज सम सार्ट आफ नो कांफीडेन्स मोशन । टेक्नीकली तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं है लेकिन वह है । इसको कैसे अलग कर सकते हैं । वह हमारा अधिकार है । गलत अधिकारी की वकालत करते हैं । जिन्दे को मुर्दा कर दिया और हम कहते हैं कि मुर्दे को जिन्दा कर दिया तो आप कहते हैं कि देखा जायगा । खुली आंखों से देखते हैं कि गलत काम है फिर भी आप गलत अधिकारी की वकालत करते हैं । तो हम मजबूर हो जाते हैं कि एडजर्नमेन्ट मोशन लावें ।

श्री अध्यक्ष--

वैसे तो मैं किसी काल्पनिक विषय पर निर्णय नहीं देने जा रहा हूं लेकिन मैं माननीय सदन का ध्यान रूलिंग ३७, ३८ और ३९ की तरफ दिलाना चाहता हूं । ३७ है--जिन विषयों से सम्बन्धित आय व्ययक के अनुदानों पर निकट भूत में विचार हो चुका हो उनके ऊपर कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता । ३८ में है कि विचाराधीन अनुदान से सम्बन्धित कोई कार्य स्थगन प्रस्ताव उस दिन नहीं लाया जा सकता और ३९ में है कि अनुपूरक आय व्ययक के विचार काल में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाये जा सकते हैं । यह स्थिति है । मैंने दो बातें कहीं इसके अलावा । एक तो मैंने यह कहा कि यह जो कार्य काल

[श्री अध्यक्ष--]

होता है बजट का जो समय है किस दिन क्या होगा यह माननीय नेता विरोधी दल की सलाह से, उनके परामर्श से निश्चित होता है । यह नहीं है कि सरकार मनमाने ढंग से जब चाहे जो रख दे । दूसरी चीज यह है कि आपके यहां जो सवाल उठाते हैं तो मैं जानता हूं कि कुछ बोलने के लिये उठाते हैं । आप यहां का सारा इतिहास जानते हैं । पुलिस प्रवेश होता था । यहां के सदस्य उठाकर बाहर निकाले जाते थे । उसके खिलाफ विद्रोह हुआ और निर्णय हुआ कि पुलिस प्रवेश न हो, नैतिक आधार पर संचालन होगा दंड के आधार पर नहीं । चुने हुए सदस्य आते हैं, अपनी बात कहते हैं । लेकिन सवाल यह है कि बात कहने की बजाय आरोप प्रत्यारोप जो एक दूसरे पक्ष पर होते हैं तो समझते हैं कि अध्यक्ष को भी उसी अभ्यास के अन्तर्गत शामिल कर ल । जैसे कोई मां, चाहे लड़का सपूत हो या कपूत, उसके प्रति रोटी का कपट नहीं करती है वैसे ही अध्यक्ष का काम भी है । जो गाली भी देता है, उसको भी वह मां की रोटी में कपट नहीं करता है । अब प्रश्न यह उठता है कि जब ऐसी स्थिति है तो सभी माननीय सदस्यों को और हर दल के नेताओं का कर्तव्य बढ़ जाता है । मैं कहता हूं कि आप लाख-डेढ़ लाख लोगों से चुनकर प्रतिनिधि होकर आये हैं इस उत्तर प्रदेश की विधान सभा में और मैं चाहता हूं कि विधान सभा की गरिमा और गौरव को चारचांद लगे और किसी सदस्य को इंगित करना पड़े, जैसाकि काशीनाथ मिश्र जी ने सलाह दी और न किसी को निकालना पड़े । जब यह स्थिति है तो यह चुनौती है सभी दलों के नताओं को कि वे विधान सभा की प्रक्रिया के अन्तर्गत बिना पुलिस-हस्तक्षेप या बल-प्रयोग के नीति क धरातल पर कार्य-क्षमता का ऐसा सबूत उपस्थित करें कि वह न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक नमूना हो ।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

मान्यवर, ...

श्री अध्यक्ष--

मैंने एक बात बताई है, कोई निर्णय या व्यवस्था नहीं है ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, केवल एक मिनट चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

अभी नहीं ।

श्री सत्यपाल मलिक--

मैं अपनी बात इसी संबंध में कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

अपनी बात सही समय पर कहें । आप अभी नये आये हैं...

श्री सत्यपाल मलिक--

मान्यवर, इसीलिये एक मिनट चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, अभी नहीं । संसदीय जीवन का एक यह भी रिस्क है ।

१९७४–७५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ५६—विद्युत् विकास तथा अनुदान संख्या ९५—ऋण और अग्रिम—विद्युत्

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५६–विद्युत विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९९,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९५–ऋण और अग्रिम-विद्युत के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४१,९९,८७,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, ये जो अनुदान हैं, ये विद्युत विकास से संबंधित हैं ।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, अनुदानों पर जो बहस चल रही है, उसमें मन्त्रियों को जवाब देने का मौका १०–५ मिनट ही रह जाता है । प्रायः यह भी देखा जाता है कि प्रारम्भ में भी जब मंत्रीगण बोलते हैं तो उसमें भी कम बोलते हैं हालांकि तिवारी जी उनमें से नहीं हैं और यह अपनी बात विस्तार से रखेंगे । इधर से जो प्रश्न किये जाते हैं, उनका जवाब भी आना यकीनन संसदीय प्रणाली के लिये बहुत बड़ी चीज है । लेकिन किसी एक प्रश्न का भी जवाब नहीं आता । अतः मान्यवर, मैं आपके जरिये माननीय तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वह कम से कम आखिर में बोलते वक्त इतना समय अवश्य लेंगे कि जो प्रश्न उठें, उनका जवाब दे दें । अन्यथा इस बहस का कोई मतलब नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं अवश्य चेष्टा करूंगा कि माननीय उप नेता, विरोधी दल, को संतुष्ट कर सकूं ।

श्रीमन्, यह विद्युत विकास इस प्रदेश के लिये चुनौती है । यह केवल इस प्रदेश के ही लिये नहीं, बल्कि सारे विश्व के लिये एक चुनौती का प्रश्न बन गया है । श्रीमन्, आज स्थिति यह है कि बड़े एक चक्कर में हम पड़े हुए हैं । जितनी आवश्यकता विद्युत की है उतनी एनर्जी हम नहीं उत्पादित कर पा रहे हैं । एक लेख मैं पढ़ रहा था जर्मन साइंस लेखक हेस्लर ने लिखा है जो उन्होंने सारे विश्व की बिजली के बारे में लिखा है:—

There is an awkward measure of truth in the dictum laid down by West German science writer Wolfgang Muelle Haeseler : "The only thing that past prognoses about energy have in common is that they were all wrong."

इन एक्सपर्ट मिस्टर हेस्लर ने अपने विचार में कहा है कि दुनियां में पावर व एनर्जी के सारे बजट को देखकर जितनी भी योजनायें बनी हैं वे पूरी नहीं निकलीं त्रुटिपूर्ण रहीं । आज जितनी बिजली की आवश्यकता है उससे कहीं अधिक उत्पादन हो रहा है और जितना उत्पादन करना चाहते हैं उसमें अनेक कठिनाइयां आ रही हैं । समय-समय पर विद्युत की कमी होती रहती है । मैं विनम्रतापूर्वक इस अनुदान को पेश करते हुए यह अनुरोध करूंगा कि कम से कम एक विषय पर हम सर्वसम्मत हों तथा आने वाले ५, १० सालों में जो प्रदेश में बिजली की कमी है इसको पूरा करने का प्रयास करें । खेती के खातिर, उद्योगों के खातिर,

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

गरीबी को दूर करने के खातिर, गांव के विद्युतीकरण के खातिर, लाखों करोड़ों लोगों को अन्धकार से प्रकाश में पहुंचाने के खातिर हम सब सर्वसम्मत होंगे और इसको प्राथमिकता देकर बिजली की कमी को पूरा करने के लिये इंवेस्टमेंट करेंगे चाहे उसके लिये कितने ही धन की व्यवस्था क्यों न करनी पड़े और आने वाले वर्षों में इस कमी को पूरा करेंगे ।

इस विनम्र भावना से इस अनुदान को पेश करने जा रहा हूं । आज जो यह धन-राशि है यह कम लगती है । आप देखें अगर हम लेखानुदान के आंकड़ों को जोड़लें तो उनको जोड़ने के बाद यह धनराशि जो बजट में रखी गयी है यह ८२ करोड़ के लगभग आती है लेकिन यह ८२ करोड़ रुपया ड्राप इन दी ओशन है । जितना रुपया राज्य सरकार विद्युत परिषद् को देती है उतने रूपये से ही काम चलने वाला नहीं है । आज हमारा बिजली बजट जिसके लिये विद्युत बोर्ड आकांक्षा करता है अगर हम ब्याज को भी जोड़ लें तो ३२५ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । ब्याज को जोड़ने के बाद, बिजली बोर्ड के रेवेन्यू एक्सपेंडीचर को लगा कर, सारे इंवेस्टमेंट को लगा कर इतनी व्यवस्था खर्चे की बिजली बोर्ड को करनी होगी और उसका यह हिस्सा ८२ करोड़ रुपया है जो बजट में रखा गया है ।

(इस समय १ बजकर १९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शिव प्रसाद गुप्त पीठासीन हुए ।)

इस तरह से श्रीमान् जी, पैसे की कमी बिजली में है । यह क्यों है? सबसे महत्वपूर्ण कारण इसमें यह है कि बिजली बोर्ड को आज बहुत से ऐसे खर्च करने पड़, रहे हैं जिनका लाभ तुरन्त नहीं मिल सकता, अगले वर्ष भी नहीं मिल सकता । ५, १० साल बाद वह मिलेगा । इसके में कुछ उदाहरण देना चाहता हूं । आज जो बिजली की कमी है इसे पूरा करने के लिये १३१० करोड़ रुपये की एक योजना लागू की जा रही है जिसमें ८०० करोड़ रुपया जनरेशन के लिये, ४०० करोड़ रुपया ट्रान्समिशन लाइन्स के लिये, १०० करोड़ रुपया ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये, १० करोड़ रुपया छानबीन के लिये और १० करोड़ रुपया नये प्रोजेक्ट बनाने के लिये इस योजना के अन्तर्गत खर्च होंगे और फिर मूल्य बढ़ने पर लागत १३१० करोड़ से बढ़कर १,५०० करोड़ भी हो सकती है । लेकिन इससे अपेक्षा यह की जाती है कि आने वाले पांच साल में २४२६ मेगावाट बिजली हमारे प्रदेश में उत्पादित हो । इस समय जो स्थिति है वह यह है कि हमारी जो बिजली की क्षमता है वह १५९८ मेघावाट है लेकिन इस क्षमता के अनुसार हम उसे उत्पादित नहीं कर पा रहे हैं । उसका मुख्य कारण यह है कि जो हमारा हाइडिल का पन बिजली घर है, रिहन्द का, उसमें पानी न होने के कारण पिछले दो साल में अपेक्षाकृत कम बिजली उत्पादित हुई है और इसीलिये आज ८ मिलियन यूनिट की शार्टेज है । जितनी हमारी डिमान्ड है उसके मुकाबले में हमें ८ मिलियन यूनिट और चाहिये । अगर हम अपनी सारी क्षमता का इस्तेमाल भी कर दें तो फिर भी २०० मेघावाट की शार्टेज रहेगी । आज केवल ३३ प्रतिशत ही हमारे पन बिजली घर बिजली उत्पादित कर पा रहे हैं । उसमें रिहन्द का बहुत बड़ा हिस्सा है और उसमें पानी न होने के कारण कमी है ।

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इन सारी कठिनाइयों के होते हुए भी कोशिश की है कि बिजली का उत्पादन बढ़ायें । लेकिन इस बीच दो-तीन हड़तालें हुईं । जूनियर इंजीनियर्स ने हड़ताल की और इंजीनियर्स से भी विवाद रहा उसके बाद यूनियन की हड़ताल रही । १४० दिन के लगभग हड़ताल और संघर्ष रहे । जब शांति हुई और एक आधार बना तब बिजली बोर्ड ने यह चेष्टा की कि पर किलोवाट पर हावर यूनिट जो पैदा होती है उसको बढ़ाया जाय । अप्रैल, १९७३ से अक्टूबर, १९७३ तक ४ हजार पर किलोवाट पर आवर बिजली उत्पादित होती थी वह नवम्बर, १९७३ से जून, १९७४ तक ५१५३ यूनिट उत्पादित हुई । तो निश्चित रूप से जो थरमल पावर स्टेशन्स हैं, उनकी इफीसियेन्सी बढ़ी है ।

यह भी चेष्टा की गई है कि पक्ष इंजीनियरों को वहां पर पोस्ट कर दिया है। जो बड़े-बड़े पावर स्टेशंस हैं वहां पर इफीसियेन्सी बोनस भी इंजीनियरों को दिया गया ताकि वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं वे ज्यादा बिजली पैदा कर सकें, उनको प्रोत्साहित किया गया।

यह चेष्टा है कि जो हमारे थरमल यूनिट्स हैं, जो कि हमारे आधार हैं, उन्हें अधिक बिजली उत्पादित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाय। इस समय हमारा १७.२ मिलियन यूनिट उत्पादित हो रहा है और यह अपेक्षा है कि अक्टूबर, तक यह १८.२ मिलियन यूनिट हो जाये। १७.२ मिलियन यूनिट जो आज उत्पादित हो रही है वह विशेषरूप से थरमल बिजली घरों में हो रहा है और बाहर से हम लगभग १ मिलियन यूनिट मांगते हैं। बदरपुर केन्द्रीय सरकार से, मध्य प्रदेश से और बिहार से जो हमें बिजली मिलती है उसमें हम बड़ी कठिनाई में रहते हैं। हम उन राज्य सरकारों के बड़े आभारी हैं कि वे इस सम्बन्ध में हमें सहायता देते हैं। लेकिन जहां हमें वहां से बिजली मिलने में लाभ होता है वहां कुछ हानि भी उठानी पड़ती है।

होता यह है कि जब उनके यहां कोई फेल्योर होता है तो वे सबसे पहले हमारी बिजली काट देते हैं। उसे हम रोक नहीं सकते। उसके कटने से हमारे ग्रिड में असर पड़ता है। जो मशीन पूरी शक्ति से चल रही होती है बिजली के कट जाने से मशीनों और ट्रांसफारमर्स पर जोर पड़ता है उनका वोल्टेज कम हो जाता है। श्रीमन्,हम लोग टेक्निकल तो नहीं हैं फिर भी यह साधारण बात है कि जब वोल्टेज कम ज्यादा होता रहता है तो मशीनों पर उसका प्रभाव पड़ता है उनके फेल्योर होने का भय रहता है, ग्रिड फेल्योर होता है। पिछले साल ऐसा ही हुआ। मध्य प्रदेश में फेल्योर हुआ तो उसका पनकी, हरदुआगंज आदि पावर स्टेशनों पर प्रभाव पड़ा जिसके फलस्वरूप २४ घन्टे हमारे यहां अंधेरा रहा। एक दम बिजली काटनी पड़ती है। यह शिकायत सही है कि बिजली बहुत दिनों तक गायब रही। उसका कारण यही है कि जो इम्पोटेंड पावर दूसरे प्रदेशों से हमें मिलती है वह अचानक बन्द हो जाती है।

जैसे आज मैंने पता लगाया अध्यक्ष और विद्युत बोर्ड से तो मालूम हुआ कि बद्रपुर बिजली घर बन्द है। वहां से ५० से ७५ मेगावाट बिजली हमें मिलती है। वह ग्रिड में आएंगे, जब वह बन्द हो गई तो जिन इंडस्ट्रीज और ट्यूबवेल्स को उनसे मिल रही है रोस्टरिंग से वह आज अब कट गई। अब यह बात न लाईन इंस्पेक्टर को मालूम है और न किसी और को मालूम है कि बदरपुर से हमें नहीं मिल रही है। यह हमें यहां केवल मालूम हुआ है। तो यह एक व्यवहारिक कठिनाई है और इसका इलाज तो केवल यह है कि कोई मन्त्री हो, कोई चेयरमैन हो, हम विद्युत का उत्पादन बढ़ाएं। इसलिए हम कृत संकल्प हैं कि अपने यहां बिजली का उत्पादन बढ़ाएं। हमें लगभग ४४० मेगावाट बिजली इस वर्ष यानी ७४–७५ के आखिर तक प्राप्त हो सकने की आशा है। ऐसी हमें पूरी आशा है।

१०० मेगावाट की दो यूनिट्स ओबरा में तैयार हो रही हैं यानी २ सौ मेगावाट की व्यवस्था वहां से है। यह पहले ही आने चाहिए थे, किन्तु कुछ हड़ताल और कुछ लोहे आदि की कमी और दूसरी परेशानियों की वजह से इसमें देर हुई। इस वर्ष हमें विश्वास दिलाया गया है कि यह दो बिजली घर ओबरा में आ जाएंगे। फिर यमुना बिजली घर, जो टांस नदी का पानी डाला जा रहा है और यह भू-गर्भ बिजली घर है, उसमें ६०–६० मगावाट की ४ यूनिटें हैं, ये भी अवश्य तैयार हो जाएंगे। यों करीब यह कम्पलीट था, किन्तु सुरंग जो बन रही थी, उसमें कुछ जगह कच्ची जमीन निकल आई थी, इसलिए उसका अब ग्राउटिंग किया जा रहा है। उसमें पानी आने के बाद वहां से २४० मेगावाट बिजली मिलने की आशा है। १० मेगावाट की कुल्हल से आशा है। इस प्रकार से हमें आशा है यह वर्ष बिजली उत्पादन के लिए पिछले वर्षों के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छा होगा।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

चौथी योजना में २८८ मेगावाट शुद्ध बिजली नई बनी। जो मैंने विस्तार से बताया वह बिजली एक साल में हमें प्राप्त हो सकेगी आगे के लिये और उसके लिए मैं इस सम्मानित सदन का सहयोग चाहता हूं। इनमें बिजली बोर्ड को सैकड़ों--करोड़ों रुपया लगाना पड़ेगा और ४-४, ५-५ वर्ष में कहीं सन् ७८-७९ में उनका लाभ मिलेगा। हमारी जो नई योजनाएं हैं, उनमें सबसे महत्व की योजना पन्की थर्मल पावर स्टेशन है। यह २२० मेगावाट की, ३५ करोड़ रुपये की योजना है। हरदुआगंज पंचम चरण की १९ करोड़ की होगी, इसमें १० करोड़ की एक मशीन होगी। ओबरा---सेकेण्ड स्टेज, २सौ मेगावाट की ३ मशीनें होंगी। यह २०० मेगावाट की पहली मशीन इंडिया में लग रही है। इसमें ८९ करोड़ रुपया लगेगा। ओबरा विस्तार तृतीय चरण, इसमें ४०० मेगावाट बिजली बनेगी और इसमें ६८ करोड़ रुपया लगेगा। यह जो आशा है अगले ५ साल में यूनिटें आ जाएंगी। लेकिन इनके लिये इस वर्ष भी १४० करोड़ रुपया हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार को मशीनों के लिए तथा दूसरी कम्पनियों को एन्सलरीज की खरीद के लिए देना पड़ेगा। तो यह १४० करोड़ का बोझ हमें उठाना पड़ेगा, जिसका रिटर्न ४-५ साल तक हमें नहीं मिलने वाला है और इसका बोझ उठाना ही पड़ेगा। इसके लिए हमें धन की बड़ी जरूरत है और उस हेतु हम बैंकों से, फाइनेन्स इंस्ट्यूशर्स आदि से इंतजाम कर रहे हैं। यदि इसका बोझ हमने नहीं उठाया तो आने वाली पीढ़ी इसके लिए हमें माफ नहीं करेगी। इसके अलावा....

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)---

स्पष्ट है कि आप बिजली दर तथा टैक्स बढ़ाएंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

टेहरी बांध परियोजना, जिसका उल्लेख इस बजट में किया गया है, जिसके लिए हमने ५ करोड़ रुपये का प्राविधान भी किया है यह एक एशिया की और भारत की सबसे बड़ी योजनाओं में होगी। इसमें १५० मेगावाट की चार मशीनें, ६ सौ मेगावाट का विद्युतगृह टेहरी में बनाने का विचार है जो अपने किस्म का पहला बिजली घर होगा। डेढ़ सौ करोड़ केवल बिजली योजना में लगेगा। ऋषिकेश-हरिद्वार योजना, गढ़वाल जिले में १०८ मेगावाट का विद्युतगृह बनाने का विचार है। इसमें भी लगभग ५९ करोड़ रुपया लगेगा। लखवार-व्यासी योजना के अन्तर्गत ३०० मेगावाट का बिजलीघर बनेगा। इसके साथ-साथ परीक्षा, बुन्देलखंड में और गोरखपुर मंडल में जहां कहीं पानी मिलेगा, उसमें सर्वे चल रहा है, चाहे घाघरा नदी का पानी हो, जहां पानी मिलेगा, गोरखपुर मंडल में चार सौ मेगावाट का नया बिजलीघर बनाया जायगा। इसके अलावा जो नरौरा का विद्युतगृह है लगभग पौने पांच सौ मेगावाट का, उस पर भी काम इस वर्ष शुरू हो रहा है। बदरपुर की शक्ति तीन गुना की जा रही है। उसमें हमारा तिहाई हिस्सा है। हमने आग्रह किया है कि हमारे प्रदेश में बिजली की कमी को देखते हुए हमारा बिजली का अंश बढ़ाया जाय।

हमने केन्द्र से यह आग्रह किया है कि हमारे उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी हिन्दुस्तान में सबसे अधिक है। जो हमारे पास आंकड़े हैं सारे देश के उसके आधार पर आज नार्दर्न रीजन में १० मिलियन यूनिट, १०.३१ मिलियन यूनिट्स का डेफिसिट है। इसमें ७.८ मिलियन यूनिट उत्तर प्रदेश का डेफिसिट है। हमारे बाद में तामिलनाडु आता है ६.८० मिलियन यूनिट्स। इसलिए हमने केन्द्र से, प्लानिंग कमीशन से कहा है कि उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं को देश के हित में सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए, मशीनरी में, ऐंसिलियरीज में, स्टील और सीमेंट की सप्लाई में। यह देश के हित में है कि

उत्तर प्रदेश की मदद करें अगर उत्तर प्रदेश बिजली के मामले में पिछड़ा रहता है तो सारा देश पिछड़ता है। अगर उत्तर प्रदेश खेती में, उद्योग में पिछड़ता है तो सारा देश पिछड़ता है। इस दृष्टिकोण से हम बिजली की समस्या को हल करने के लिये बहुत लम्बी योजना के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं।

अब दूसरा प्रश्न जो वितरण का है लोगों को बिजली देने का प्रश्न है, लोग पीड़ा में हैं मैं स्वीकार करता हूं। जब से बिजली की दो वर्षों से कमी हुयी है, नगरों में, उद्योगों में, खेतों में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं स्वयं भुक्त-भोगी हूं। हमने लोगों को पीड़ा में देखा है। हमारे प्रदेश के करोड़ों लोग बिजली के कष्ट में जो योगदान दे रहे हैं, उसको सहार रहे हैं, उसके लिये मैं उनका विनीत अभिनन्दन करता हूं। वास्तव में जो वेदना और पीड़ा उनको हो रही है या जो नुकसान हुआ है हम यह कह सकते हैं कि उससे हमारा संकल्प और मजबूत हो जाता है। इस सदन का संकल्प और मजबूत होना चाहिए। बिजली ज्यादा पैदा करना है। यह विचारधारा का प्रश्न नहीं है। यह इकनामिक इम्परेटिव आर्थिक अनिवार्यता है। इस अनिवार्यता के महत्व को स्वीकार करते हुए हम उत्पादन बढ़ायेंगे। यह संकल्प हम लें। यह उचित होगा कि मैं इस समय प्रतीक स्वरूप जैसा कि सम्मानित उपनेता विरोधी दल ने कहा उन बातों को रखूं। हो सकता है कि जिस दृष्टिकोण से मैं अपने विचार व्यक्त करूं, सम्मानित सदस्य दूसरे रूप में उत्तर चाहेंगे। इसलिए बिजली के उत्पादन की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाते हुए आग्रह करूंगा कि इसको स्वीकार करें।

*श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५६, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीतियों की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९५–सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीतियों की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं तिवारी जी को बड़े गौर से सुन रहा था। उन्होंने विद्युत की कमी के दो कारण बताये कि प्रदेश में हड़तालें इंजीनियरों और जूनियर इंजीनियरों की हुईं। दूसरी पानी की बड़ी भारी कमी रिहन्द बांध में हो गई जिससे उत्तर प्रदेश विद्युत के मामले में बहुत पिछड़ गया। अगर हम यह देखें कि क्या उनकी बात सही है तो बात स्पष्ट हो जायेगी। हम देखते हैं कि प्रदेश में १७०० मेगावाट बिजली की जरूरत है और हमारी क्षमता १४५३.५५ की है। इसके अनुसार हाइडिल की क्षमता ६००.३५ मै० की थी। थर्मल की ८५१ और डीजल २.२ थी और हम ८५३ में उत्पन्न कर रहे हैं। थर्मल की ७५१ है और डीजल की २.२ है। इस प्रकार हम अपने प्रदेश में अपनी मांग का ९५ प्रतिशत पूरा कर पाते हैं और जो हमारी क्षमता है उसकी करीब-करीब ५८ प्रतिशत बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। कमी के कारण जैसा कि कहा गया है अगर हम उसको लेकर चलते हैं तो यह निराधार है। हम इसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हिम्मत सिंह]

हम देखते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना में जितने बजट का एलोकेशन हुआ था यानी रुपया हमें बिजली पर खर्च करना था क्या उसको खर्च किया गया। हमें पता चलता है कि इन तीन योजनाओं तक हम सोते रहे और हमें चिन्ता नहीं रही लेकिन आज प्रदेश की उन्नति को भारत की उन्नति तथा प्रदेश की गरीबी को भारत की गरीबी बताया जा रहा है। हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश का विद्युत के मामले में पिछड़ापन कहा गया था लेकिन हम समझते हैं कि हमारा प्रदेश उजड़ रहा है और यह पतन के कगार पर पहुंच गया है। हमारे यहां ६ बड़े उद्योग लगने वाले थे लेकिन वह भी चले गये। विद्युत की कमी के कारण हमारे यहां ५ लाख आदमी बेकार हो रहे हैं। हमारा प्रदेश बिजली के अभाव में पिछड़ रहा है लेकिन मैं कहता हूं कि उजड़ रहा है। इसके उजड़ने में कोई कमी नहीं रह गई है।

हमने पहली योजना में कितना खर्च किया इसको देखते से पता चलता है कि इसमें १५३.३७ करोड़ रुपया खर्च करना था लेकिन हमने २३.३१ करोड़ ही केवल खर्च किया यानी इस योजना का केवल १५.२ प्रतिशत ही खर्च किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में २३३.३५ करोड़ रुपया खर्च करना था लेकिन केवल ५६.७५ करोड़ ही खर्च किया गया यानी इस योजना में केवल २४.३ प्रतिशत ही खर्च किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ४५६.०४ करोड़ रुपया खर्च करना था लेकिन १५५.८६ करोड़ रुपया ही खर्च किया गया यानी २८ प्रतिशत ही खर्च किया गया। इस प्रकार ६६–६७, ६७–६८, ६८–६९ में ४५६ करोड़ रुपया खर्च करना था लेकिन १७८.४६ करोड़ ही खर्च किया यानी ३९ प्रतिशत ही खर्च हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी योजनाएं जो बनी थीं, उन पर हमने पूरा खर्च न करके प्रदेश को और पीछे कर दिया। इसलिए मैं यह कह देना चाहता हूं कि हड़ताल और पानी की कमी का बहाना लिया जाता है यह ठीक नहीं है। तिवारी जी ने अभी एक स्टेटमेंट निकाला था कि रिहन्द बांध की सिचुएशन गलत हो गयी है और वहां उसका एक्सटेंशन नहीं हो सकता है। मैंने परिपूर्णानन्द जी का लेख भी पढ़ा। रिहन्द की १५० मे० बिजली की क्षमता थी वहां पर ३०० मेगावाट बिजली की क्षमता वाली मशीनें लगा दी। उसको किसी समय रेस्ट नहीं दिया गया और २४ सौ घन्टे चलाकर उसका पानी समाप्त कर दिया। आज आप कहते हैं कि वहां पर पानी नहीं है। यह किसकी लापरवाही है, आपकी है।

मैं कहना चाहता हूं कि यह इन्जीनियरों के निकम्मेपन के कारण हुई है बिजली की कभी हमारे देश के मन्त्री कहते हैं कि सूखे के कारण पानी की कमी हुई जिसका प्रभाव बिजली उत्पादन पर पड़ा है और नियोजन आयोग कह रहा है कि प्रशासन के प्रबन्ध के कारण यह हुआ है। मैं चाहता हूं कि यह मामला एक कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाये जिससे सदन और प्रदेश को पता चल जाये कि यह हुआ कैसे है। आप देखें कि पिछली योजना का ५२२ करोड़ का प्रारूप था और वह ३३२ करोड़ का स्वीकार हुआ। हमारी योजनाएं कम होती जा रही हैं। इस विभाग का जो टापमोस्ट इन्जीनियर है वह छोटे साहेब से कहता है कि तुम देखो। छोटा साहेब नीचे वाले से कहता है कि तुम देखो और इस प्रकार से यह आदेश कुली तक पहुंचता है और वह उसको देखता है।

मान्यवर, इनका मेन्टीनेंस की तरफ कोई ध्यान नहीं जाता है। उसका उचित रख-रखाव होता ही नहीं है। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी ये ४–५ जिले जब कम्पनियों के अधीन थे तो इनका इन्तजाम ठीक था व्यवस्था बड़ी सुन्दर थी। इनका विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं था इसलिए वहां पर प्रबन्ध अच्छा था। आज आप देखें कि हड़ताल के कारण बिजली नहीं दे पा रहे हैं। मैं कहता हूं कि इन्जीनियरों के पास आज

क्षमता नहीं है कि वे ठीक ढंग से कार्य कर सकें और जनता को असुविधा न उठानी पड़े। ये बिजली पैदा कर नहीं सकते। लखनऊ के बिजली घर इन्जीनियरों की पिछली हड़ताल में काफी उपयोगी सिद्ध हुए। बाहर के बिजली घरों से बिजली मिलना बन्द हो गयी उस समय यहां २३.४८ मेगावाट बिजली बनी और २४ लाख का लाभ हुआ। हरदुआगंज पावर स्टेशन की नं० ए की १ व २ और नं० बी की १, २ और ३ मशीने लम्बे अर्से से बन्द रही। कोयला न मिलने के कारण उत्पादन आधा हुआ लेकिन मिलता नहीं है कोयला। यह किसकी कमी है? क्यों कमी हुई और जो कमी हुई और विलम्ब से भी चली यह क्यों चली, कैसे चली? यह सब इंजीनियर्स के ऊपर आकर पड़ता है। आज हमने बोनस स्कीम चालू कर दी। उस बोनस स्कीम का यह आज हाल हुआ कि ओबरा में ब्रेक डाउन हो गया। उसकी मेंटीनेंस का खयाल नहीं रखा गया। वहां पर बिजली हमको नहीं मिल पाई। आज हरदुआगंज पर ब्वाइलर खराब है। वहां पर एक दर्जन और जापान की मशीन है। वहां पर ब्वाइलर रखा हुआ है। वहां पर एक मशीन हमेशा मरम्मत में रहती है। तीन में कुछ खराबी रहती है, पूरी क्षमता पर कार्य नहीं कर पाती है। इसलिए आज आपको विचार करना पड़ेगा कि आपने कितना मेंटीनेंस की ओर ध्यान दिया। आप का कोई इंजीनियर नहीं देखता है।

आज प्रदेश आप से जबाब मांगता है। आज आपके मन्त्री मुख्य मन्त्री ने कहा कि नवम्बर के महीने में बिजली पूरी कर देंगे। मा० नारायण दत्त तिवारी जी, मैं उनका आदर कतता हूं, उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि मुझे बड़ा भारी दुःख है। मैं खेतों को देख रहा था, वहां पर बाल में दाने नहीं थे और आज उस किसान को डंडे से लूटा जा रहा है। ये बंदूकधारी कहते हैं कि किसानों से कि थाने में चलो और उनसे वहां पर कहा जाता है कि एक नाल पर १० कुंटल और दो नाल पर पांच कुटल गल्ला देना पड़ेगा।

मान्यवर, यहां का किसान बड़ा भोला-भाला है। यहां का किसान कहता है कि हाय यही बदा था। लेकिन भाग्य विधाता यहां पर बैठे हुए हैं उसको पानी नहीं दे पाते हैं। आज किसान लुट रहा है। आज इस प्रकार के खराब इंजीनियर्स हैं और इंजीनियर्स के कारण ही यह सारा काम हो रहा है। मेरे पास ६१ से आंकड़े हैं, जिनको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ६०–६१ में पूंजी ७९.५८ करोड़ रुपया थी, कार्य सम्पादन अनुरक्षण तथा व्याज परिव्यय १७ करोड़ रु०, सकल राजस्व ७.३६ करोड़ रु०, बचत अथवा घाटा—०.८१ करोड़ रु०, पूंजी पर प्रतिशत प्रति लाभ १.० करोड़ रु०। ६१–६२ में पूंजी ९१.३२ करोड़ रु०, कार्य सम्पादन अनुरक्षण तथा व्याज परिव्यय ९.३१ करोड़ रु०, सकल राजस्व ८.७५ करोड़ रु०, बचत अथवा घाटा—०.५६ करोड़ रु०, पूंजी पर प्रतिशत प्रतिलाभ—०.६ करोड़ रु०। ६२–६३ में पूंजी ९७.४२, कार्य सम्पादन अनुरक्षण तथा व्याज परिव्यय ११.०७ करोड़ रु०, सकल राजस्व ११.७५ करोड़ रु०, बचत अथवा घाटा—६८ करोड़ रु०, पूंजी पर प्रतिशत प्रतिलाभ—०.७ करोड़ रु०। ६३–६४ में पूंजी ११४.०८ करोड़ रु०, कार्य सम्पादन अनुरक्षण तथा व्याज परिव्यय १३.१५ करोड़ रु०, बचत अथवा घाटा—०.३८ करोड़ रु०, पूंजी पर प्रतिशत प्रतिलाभ—०.३ करोड़ रु०। ६४–६५ में पूंजी १४९.२५ करोड़ रु०, कार्य सम्पादन अनुरक्षण तथा व्याज परिव्यय १५.६० करोड़ रु०, सकल राजस्व १६.३० करोड़ रु०, बचत अथवा घाटा—०.७० करोड़ रु०, पूंजी पर प्रतिशत प्रति लाभ ०.५ करोड़ रुपया। १९६५–६६ में पूंजी २६१.४४ करोड़ रु०, कार्य सम्पादन अनुरक्षण तथा व्याज परिव्यय २४.७५ करोड़ रु०, सकल राजस्व २२.६७ करोड़ रु०, बचत अथवा घाटा—२.०८ करोड़ रुपया, पूंजी पर प्रतिशत प्रति लाभ—०.८ करोड़ रु० यानी ०.८ प्रतिशत इसको लाभ हुआ। वर्ष १९६६–६७ में ३१५.६३ करोड़ रुपया पूंजी लगी थी जिसमें ३४.१४ करोड़ रुपया कार्य सम्पादन, अनुरक्षण तथा व्याज पर व्यय हुआ और कुल २९.६३ करोड़ रुपया राजस्व में प्राप्त

[श्री हिम्मतसिंह]

हुआ अर्थात् ४.५ करोड़ रुपया घाटा हुआ और १.४ प्रतिशत हानि पूंजी पर हुई। इसी प्रकार से वर्ष १९६७–६८ में ३९३.८४ करोड़ रुपया पूंजी में लगा, ४३.३१ कार्य संपादन आदि पर व्यय हुआ, ३४.३९ करोड़ रुपया राजस्व प्राप्त हुआ और ८.९२ करोड़ रुपया घाटा हुआ अर्थात् २.३ प्रतिशत पूंजी पर हानि हुई।

तो इस घाटे के कारण हमारा व्यय बढ़ रहा है और राजस्व प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार हम को १० करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। एक मैगावाट पर १८०० रुपये की लागत आती है। माननीय मन्त्री जी ने स्वयं १५० करोड़ रुपये का बोर्ड के लिये घाटा बताया था लेकिन कानपुर में जो इंजीनियर्स की मीटिंग हुई थी, उसने १४७ करोड़ और ३३ करोड़ का पिछले वर्ष का घाटा बताया था। इस प्रकार से इनका घाटा बढ़ता चला जा रहा है। अब इनके बस की बात नहीं रह गयी है कि ये बोर्ड की रक्षा कर सकें। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार बोर्ड को भंग कर दे और इसे अपने हाथ में ले ले।

२५ हजार ट्रान्सफार्मर्स उनके मेरठ रीजन में हो गये हैं और अब टेन्डर्स मांगे जा रहे हैं। शिव राज सिंह की वन मैन कमेटी बैठी थी। ३,३४७ ट्रान्सफार्मर्स चोरी गये। उनकी कीमत १.७५ करोड़ आंकी गयी है। इस प्रकार से बोर्ड में घाटे का काम हो रहा है। आज जो बोर्ड का चेयरमैन है, वह इन्जीनियर्स में से है। उनसे आशा तो यह थी कि कुछ सुधार होगा लेकिन इन्जीनियर्स की जो यूनियन है, उसके सदस्य उन्हें घेर कर जिस प्रकार से चाहते हैं, वैसे ही दस्तखत करा लेते हैं। जिन इन्जीनियर्स ने इनकी हड़ताल में सहयोग दिया था, उनको डिमोट कर दिया था, उन्हें फिर बहाल किया जा रहा है। जो चेयरमैन डंडे की वजह से दस्तखत कर दे तो ऐसे चेयरमैन से क्या आशा की जा सकती है कि वह इस परिषद् में कोई सुधार ला सकेगा। उससे वहां पर काम नहीं चलने वाला है। इस लिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्रदेश में जो यह परिषद् घाटे में चल रहा है, वह बर्दाश्त नहीं हो सकता है।

ट्रान्समिशन लाइन्स में इनका घाटा ३३ प्रतिशत है जबकि भारत का यह १६ प्रतिशत और दूसरे प्रदेशों में यह केवल १० प्रतिशत है।

आपका सिंचाई विभाग एक हार्स पावर के लिये इन्हें ३५८ रुपया देता है और उसके बदले वे अपने ट्यूबवेल्स को २८०० घंटे चलाना चाहता है लेकिन ये ट्यूबवेल्स पूरे समय नहीं चल पाते हैं। केवल ३.४ घंटे ही एवरेज आता है। इस प्रकार से कुल १४०० घंटे ही आता है। इस प्रकार से अगर ३५८ का आधा करते हैं तो यह जो ३३ प्रतिशत ट्रांसमिशन लास बताया जाता है, वह और बढ़ जायगा। इससे सिंचाई विभाग मर रहा है। उस पर इस विभाग का ३ करोड़ रुपया चाहिये। वे कहते हैं कि हमको पूरे घंटे बिजली नहीं दी जा रही है। तो यह समझ में नहीं आता है कि परिषद् जो इस समय घाटे में चल रहा है, किस प्रकार से इसे पूरा करेगा।

एक हिन्डैल्को की समस्या है। उनके बारे में यहा पर बार-बार कहा जाता है कि उनको संरक्षण दिया जा रहा है। उन्हें १.९९७७१७ पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती है और इसी प्रकार से कनोरिया को २ १/२ पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाती है। इस का तात्पर्य यह है कि इन दोनों कारखाने वालों से सरकार को १ १/२ करोड़ रुपये का नुक्सान हो रहा है।

एक विभागीय पत्रिका जो हमें बांटी गयी है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि मार्च, १९७१ ई० तक राज्य सरकार को ३५६.६४ लाख रुपये और परिषद् को १९१८.२७ लाख पये की हानि हुई इसलिये समिति की यह राय थी कि ऊपर दिखाई गयी भारी हानियों को दृष्टि में रखते हुए उपर्युक्त फर्मों से किये गये अनुबन्ध के अनुसार २५वें वर्ष में परिषद् को लगभग १०० करोड़ रुपये की हानि होगी।

अर्थात् एक अरब की, और १९वें पृष्ठ पर किस प्रकार से हानि होती है वह दर्शाया गया है। तो जब १०० करोड़ की हानि हो जायगी तो यह विद्युत् परिषद् कहां रहेगा? इसलिए मैंने सुझाव दिया था कि आपको मोह यह है कि निगम बन जाने से आपको विश्व बैंक से रुपया मिल जायगा, लेकिन रुपया मिलेगा या न मिलेगा वह चीज दूसरी है, इसकी बधिया जरूर बैठ जायगी। कब बैठेगी, यह मैं नहीं कह सकता लेकिन बैठेगी जरूर।

हिंडालको के मामले में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी की रिपोर्ट है कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसको समाप्त कर दिया जाय। इतना ही नहीं, उसमें बहुत से अनुच्छेद हैं। जो १४ धारा है अग्रीमेन्ट की, उसके अनुसार जब कभी भी पानी कम होगा या लड़ाई झगड़े चलेंगे तो आप अपना रेट बढ़ा सकेंगे, लेकिन आज तक, पिछले दिनों तो दो-ढाई पैसे बढ़ाया पर पूरे ५ पैसे नहीं बढ़ाया गया, जिसका आपको अधिकार है। इसलिये इन अनुबन्धनों को खत्म कर देना चाहिये अगर आप प्रदेश की भलाई करना चाहते हैं।

आज इस घाटे को पूरा करने के लिये एक तरकीब और निकाली है। हमारे इंजीनियर लोग हर साल पूरे जिन टरबाइन्स को बेकारी घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि नीलाम कर दो।

श्री अधिष्ठाता—

आप कितना समय और चाहेंगे, आपको २२ मिनट हुए हैं।

श्री हिम्मत सिंह—

मान्यवर, मैं अपने आप बैठ जाऊंगा। मैं खुद ही नहीं जानता कि कितना समय लूंगा। जब मैं कुछ इर्रेलेवेंट कहूं तो आप टोक दें, मैं बैठ जाऊंगा।

तो मैं यह बता रहा था कि आज एक परिपाटी घाटा पूरा करने की दृष्टि से, उलटाने की प्रक्रिया निकाली है कि घोषणा कर दी जाती है कि टरबाइंस बेकार हो गये, इंजिन्स बेकार हो गये और नीलाम कर दो। हरदुआगंज में टरबाइंस को बेकार करके मोदीनगर, मेरठ वालों को नीलाम कर दिया। वह वहीं उसको लगवा रहे हैं और इन्हीं के ग्रिड में डालेंगे। मैंने चाहा कि पता लगाऊं कि क्या उनसे अग्रीमेन्ट हुआ है, लेकिन नहीं बताया। लेकिन यह वास्तविकता है कि इन्हीं से लेकर इन्हीं के ग्रिड में वह डालेगा।

५० परसेन्ट आप ट्रांस्मिशन लासेज हैं। उनमें ५ परसेंट लासेज ही लिये हैं। दूसरे देशों में जो १० परसेंट, न वह लिया, न भारत का १६ परसेंट है वह लिया और इनका जो ३३ परसेंट जैसा मैंने बताया कि वह जाकर ५० परसेंट होता है उसका कोई अंश नहीं लिया तो मैं जानना चाहूंगा कि यह जो अग्रीमेन्ट है वह ५ परसेंट लासेज पर रहेगा कितने पर रहेगा? ग्रिड में कैसे पड़ेगा? कौन देखेगा?

जैसा मैंने बताया, मार्टिन बर्न कम्पनी थी, उसके कुछ कार्यकर्ता काम करते थे और २५ मेगावाट की मशीन से २३.४८(१) बिजली बनायी, किन्तु उनको भी नाकारा घोषित कर दिया गया और यह अखबार में निकल गया कि लखनऊ बिजली टरबाइन्स कबाड़े के भाव बिका। रामपुर का था वह मुजफ्फरनगर वाला ले गया—३ करोड़ की संपत्ति कुछ लाखों में ले गया। तो आज जो यह प्रक्रिया इन्होंने निकाली है कि जो बिजली बना कर बेचेंगे उनसे लेंगे और अपने ग्रिड में डाल देंगे यह बड़ी खतरनाक है। मार्टिन ऐंड बर्न की जो मशीनें बिजली बना रही थीं उन सारी की सारी को नाकारा क्यों कर दिया गया? क्या उनका कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा आ रहा था। आज हमको पता चलता है कि वह वर्किंग आर्डर में थीं, हड़ताल के दिनों में वह चलायी गयीं, लखनऊ में बिजली खूब हुई और आस पास को भी दी। आज यह सोचने का विषय बन गया है कि इनका मेन्टिनेन्स कौन कर रहा है। आज, जैसा मैंने ओबरा का बताया, वह हालत हो रही है। आपकी मशीनें चन्द दिनों में

[श्री हिम्मत सिंह]

कबाड़ा कर के चौपट कर देंगे ये इंजीनियर। होना यह चाहिये कि जो इंजीनियर नौकरी में आये वह हर पांच साल बाद अपनी सम्पत्ति का ब्योरा दर्ज कराये। आज आप देखें कि ५ साल में एक इंजीनियर ५० लाख की हैसियत का हो जाता है।

इसके अलावा प्रोमोशन के मामले में भी इस विभाग में बड़ा असन्तोष है और होना भी चाहिये। जिन लोगों के खिलाफ विजिलेन्स की इन्क्वायरी चल रही है, गोरखपुर में ६० लाख के गबन की विजिलेन्स इन्क्वायरी चल रही है लेकिन उसको मेन्टिनेन्स का सब से बड़ा मालिक बना दिया गया। दसियों आदमियों के प्रोमोशन रातों रात कर दिये गये। अगर माननीय तिवारी जी नाम चाहेंगे तो मैं उनको नाम भी दे दूंगा। इतना ही नहीं, चेयरमैन महोदय ने २६ को एक कमेटी बनायी और २७ को सब को एप्वाइंटमेंट दे दिया गया। अलीगढ़ में जिन्होंने पाकिस्तान को तमाम नक्शे वगैरह दिये और नेपाल से स्मगलिंग करते हुए पकड़े गये और रिपोर्ट लखीमपुर में दर्ज है, उनका प्रोमोशन कर दिया गया। तो इस विभाग को कहां ले जायेंगे क्योंकि इन पर अब कोई लगाम तो है नहीं। जब इनकी यूनियन चेयरमैन को घेर कर डंडे के बल पर जो चीज चाहती है करा लेती है तो कोई वारा-पार नहीं रह जाता। इसलिए इसको डिस्बैन्ड कर के अपने हाथों में लीजिये, विश्व बैंक से रुपया मिलेगा अच्छी तरह काम चलेगा। इस देश में तीन बड़े उद्योग हैं। एक तो रेल है, दूसरा नम्बर स्टील का आता है और तीसरा नम्बर बिजली का आ रहा है। वह सब करोड़ों के घाटे में जा रहे हैं यह भी करोड़ों के घाटे में है। इसको बचाने के लिये आप सोचें। आज लगभग ८० हजार और १ लाख के बीच में इसमें आदमी हैं और ३ करोड़ रुपया तनख्वाह में बांटा जाता है। वह भी बेकार जाता है। आप फैजाबाद का लें, बिजनौर का लें, लेटर पैड मौजूद है, कंट्रैक्टर्स और इंजीनियर्स का साझा चल रहा है।

क्या माननीय मन्त्री जी एक इन्क्वायरी कमेटी बिठायेंगे कि जो इंजीनियर्स बोर्ड में हैं कितनों के रिश्तेदारों की फर्में हैं जिनसे सांठगांठ चल रही है? बिजनौर में एम० ए० खान का हिसाब चल रहा है। फैजाबाद में भी ऐसा ही है। तो इसको लूटने का विभाग इंजीनियर्स ने मान रखा है। इतना बड़ा होने के बाद भी आपकी कास्ट आफ प्रोडक्शन किस ओर जा रही है इसको अगर आप देखें तो आपको पता चल जायगा कि वह बढ़ती चली जा रही है। यह है इनका मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेन्ट। पिछले वर्ष माननीय कल्याण सिंह जी ने एक प्रश्न रखा था और यहां यह बताया था कि एक लाइन मैन का ६ बार ट्रान्सफर हुआ और फिर कैन्सिल हुआ। जब कल्याण सिंह जी ने यहां पुरजोर शब्दों में कहा तब जाकर उसका ट्रांसफर हुआ। वह लाइनमैन उनसे कहता था कि उसका संबंध यहां के सबसे बड़े अधिकारी से है। एक बार के तबादले में केवल ५ हजार रुपया खर्च होता है, उसको कोई क्या बिगाड़ सकता है। ऐसे ही एक बिजनौर वाला कहता है कि २५ हजार दिया, ट्रांसफर कैन्सिल हो गया। यह स्थिति है जिस पर माननीय मन्त्री जी को सोचना होगा।

अब आप देखें कि आपके यहां प्रति यूनिट खर्चा बढ़ता जा रहा है। मैं उसके कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। कार्य सम्पादन की मद में १९६६-६७ में ४.३५ और १९६७-६८ में ४.९९। अनुरक्षण की मद में १९६०-६१ में ३.५१, १९६६-६७ में ०.७३, १९६७-६८ में ०.८७। अधिष्ठान में १९६०-६१ में १.०५, १९६६-६७ में ४.८१, १९६७-६८ में ५.७२। ब्याज में १९६०-६१ में २.९२, १९६६-६७ में १.०४, १९६७-६८ में १.५७। अन्य का १९६०-६१ का आंकड़ा है १.४६। इस प्रकार कुल व्यय १९६०-६५ में ८.९४, १९६६-६७ में १०.९३ तथा १९६७-६८ में १३.१५ हुआ है। इससे जाहिर है कि व्यय ८.९४ से बढ़ कर १९६७-६८ में १३.१५ हो गया। यह प्रति यूनिट का खर्चा मैंने बताया।

अब आप प्रति यूनिट जो चार्ज करते हैं तथा अन्य प्रदेश में क्या चार्ज करते हैं उसके सन् १९६६–६७ के आंकड़े देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में कृषि कार्यों के लिये विद्युत की सप्लाई दर प्रति यूनिट है १५.०० पैसे, तमिलनाडु में ९.९०, आंध्र प्रदेश में १०.४५, केरल में ८.८० मैसूर में ११.००, महाराष्ट्र में १३.८७, पंजाबमें११.०२ और पश्चिमी बंगाल में १३.०० है।

लघु उद्योगों उत्तर प्रदेश में १८.०० पैसे प्रति यूनिट, पंजाब में १२.६२, मैसूर में १३.००, मध्य प्रदेश में १४.००, केरल में १५.८४, महाराष्ट्र में १६.११, तमिलनाडु में १६.५६ और गुजरात में १७.६० है।

मध्यम श्रेणी के उद्योगों पर उत्तर प्रदेश में प्रति यूनिट व्यय है—१६.००, पंजाब में ११.०४, मैसूर में १२.४५, दिल्ली में १३.०९, मध्य प्रदेश में १४.००, केरल में १४.७६, तमिलनाडु में १५.४३, महाराष्ट्र में १५.७७ पैसे, तो यह आकड़े जो मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं उनके सम्बन्ध में है।

मान्यवर, यह जो बड़े-बड़े उद्योग हैं उनकी उत्तर प्रदेश में कमी है। यह उद्योग बड़े-बड़े उद्योगपतियों के पास है। इन परचार्ज बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि यह बड़े-बड़े लोगों के पास है। मैं इनके भी आंकड़े दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में १२.२३ पैसे यूनिट, उड़ीसा में १३.३७, गुजरात में १४.२०, पश्चिमी बंगाल में १४.४०, बिहार में १४.५२, आंध्र प्रदेश में १५.०८, तमिलनाडु में १८.८९। यह आंकड़े हैं। अतः जो बड़े-बड़े उद्योग हैं इनमें बढ़ा सकने की गुंजाइश है। यह उद्योग जो हिन्डालको, कनोडिया आदि हैं इन पर बढ़ाया जा सकता है। पर इन पर बढ़ाने की सरकार के पास क्षमता नहीं है। क्योंकि यह आपको चुनाव में पैसा देते हैं। आप चुनाव में खर्च के लिये उनसे पैसा लेते हैं।

एक सज्जन से जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बतलाया कि मैं सारे एम० एल० एज० को जो उत्तर प्रदेश के हैं उनका खर्च उठा सकता हूं और अगर चाहूं तो उनसे अपना काम ले सकूं तो वह नहीं कर सकता हूं। इसलिए इसी माध्यम से खर्च करता हूं और काम लेता हूं।

तो मान्यवर, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। मान्यवर, विद्यार्थियों, किसान और सभी लोग बिजली का उपयोग करते हैं। हमको इनकी तरफ सोचना चाहिये। जो गरीब आदमी हैं उनको ज्यादा रेट पर और जो अमीर आदमी हैं उनको कम रेट पर बिजली दी जाती है। जो उद्योगपति हैं उनको कम रेट पर बिजली दी जाती है, तो मैं आपके माध्यम से बोर्ड के अधिकारियों से, सरकार से जानना चाहता हूं कि उनका यह अन्याय कब तक चलेगा। आज आपके सामने जो यह भावना आ गयी है कि उत्तर प्रदेश में कुछ अधिक टैक्स बढ़ाना चाहते हैं, तो मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह काम ठीक नहीं है।

मान्यवर, प्रदेश में यह जो आपकी बिजली की चोरी होती है। जो लेटर पैड हेड रहते हैं उनके द्वारा ठेकेदारों को सामान देते हैं। आज जो रजिस्टर में चढ़ाया जाता है उसकी तरफ नहीं देखा जाता है कि क्या चढ़ाया जा रहा है। उसका वेरीफिकेशन मेरे ख्याल से जब से यह बोर्ड बना है तब से आज तक उसका वेरीफिकेशन नहीं हुआ है। अगर उसका वेरीफिकेशन हुआ है तो वह हमारे समने आना चाहिये।

यह जो चोरी होती है इन चोरियों में विभाग के अधिकारियों का माध्यम रहता है। इस चोरी को आप ट्रांसमिशन लासेज में दिखाकर पूरी करते हैं। और कहते हैं कि यह ट्रांसमिशन लासेज है। यह जो चोरी होती है आपके विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ और कर्मचारियों की सांठगांठ से होती है। एम० ए० खान और ऐसे बहुत से लोग हैं तो यह भ्रष्टाचार मचाये हैं। लोगों से मिलकर उनके ट्यूबवेल और क्रेशर चलवाये जाते हैं।

[श्री हिम्मत सिंह]

इन लोगों का जब तबादला होता है तो रुकवा दिया जाता है, और वह रुक जाता है। इसलिये मैं फिर कहता हूं कि इन लेटर पैड हेड ठेकेदारों की छानबीन होनी चाहिये।

आपके जो थर्मल प्लांट पर इंजीनियर काम करते थे उनको हाइडिल प्लांट पर ट्रांसफर किया है यह ठीक काम नहीं है। इनको इसकी जानकारी नहीं है और जब ये दूसरे प्लांट पर काम करते हैं तो मशीन खराब कर देते हैं।

मान्यवर, एक बात की ओर मैं और कहना चाहता हूं, यह जो किसानों से ३ रुपये हार्स पावर का चार्ज उनसे लिया जाता है तो मैं यह मांग करना चाहता हूं कि यह उनसे नहीं लिया जाना चाहिये। यह सुविधा उनको मिलनी चाहिये। आज जो उसको बिजली रात में नहीं दी जाती है उससे उसको बड़ा कष्ट होता है। जो नालियां हैं उसमें सांप निकलता है और यदि किसी को काट लेता है तो उससे मृत्यु तक हो जाती है। इसलिये माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि किसान को हमेशा या कम से कम १८ घंटे बिजली दें। परन्तु यहां ६ घंटे भी उनको बिजली नहीं मिल पा रही है। जो खेत लहलहा रहे थे वे आज सूखे हैं। वह सरकार को कहां से गल्ला दे। आज किसान को तंग किया जा रहा है। इसके लिये किसान कभी नहीं क्षमा करेगा।

मान्यवर, विजीलेंस सेल की स्थापना की बात कही गई है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अब तक कितने इंजीनियर सस्पेण्ड किये गये हैं, कितने का चालान किया गया है? विजीलेंस का नाम हमारे सामने आ गया लेकिन किताब में हमने कहीं नहीं पढ़ा है।

मान्यवर, मंत्री जी को आज मेन्टीनेन्स की ओर ध्यान देना चाहिये। आज ७२,५०० के करीब गांव होंगे परन्तु उनमें से २८ फीसदी गांवों में ही बिजली दे पाये हैं। हरिजन बस्तियों में बिजली नहीं जलती है। मान्यवर वहां बिजली नहीं पहुंची है। इसका कारण यह है कि आज गड़बड़ी हो रही है।

मान्यवर, इनके विभाग में ८० हजार से एक लाख के करीब आदमी काम करते हैं। उनमें बहुत आदमी अस्थायी हैं अतः उनको रेगुलर तथा परमानेंट किया जाय। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि जो रोस्टिंग का काम है उसको कम करें। बड़े आदमियों के वहां रेफ्रीजरेटर तथा पंखे २४ घंटे चलते हैं। एयर कंडीशन में रहते हैं। परन्तु दूसरी ओर गरीब लोगों को खाने तक को नहीं मिलता है। एयर कंडीशन से फेफड़ों में दर्द होने लगता है। इसका कारण यह है कि बाहर गर्मी से आते हैं और यहां अन्दर ठंडक रहती है जिससे बीमार होने का भय रहता है। इसलिये मैं कटौती का प्रस्ताव इस आशय से रखा रहा हूं कि बिजली का उत्पादन बढ़ायेंगे और जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करेंगे। योजना को जितने समय के अन्दर पूरा होना है उसको उतने समय के अन्दर पूरा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को रख रहा हूं।

*श्री प्रभुनारायण (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, इस बिजली के अनुदान के अवसर पर इसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आज हमारे समूचे प्रदेश के आर्थिक विकास के सिलसिले में पावर का कितना बड़ा महत्व है। इसके बारे में दो राय इस सदन में नहीं हो सकती है। यह बात सही है कि आज देश के अन्दर जो पब्लिक अन्डरटेकिंग्स हैं उनमें रेलवे और स्टील को छोड़कर आज बिजली का तीसरा स्थान है हमारे प्रदेश में भी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसमें लगभग ५०० करोड़ रुपया इस समय लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में जब प्रदेश और देश की समूची अर्थ-व्यवस्था पावर पर मुनस्सर हो और साथ ही साथ अन्डरटेकिंग के रूप में वह सबसे बड़ी सार्वजनिक संस्थान हो तो उसके क्रिया-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कलापों पर इस पूरे सदन का ध्यान जाना चाहिये और सभी पक्ष के लोगों का ध्यान जाना बहुत ही आवश्यक है। माननीय वित्त मंत्री जी ने पावर बजट के अनुदान का रखते हुये यह बात कही कि जहां तक पावर का प्रश्न है इसमें पक्ष और विपक्ष का प्रश्न नहीं है, बल्कि सभी इस बात के लिये आकांक्षी हैं कि पावर का मामला इस देश और प्रदेश में सुधरे। इस सिलसिले में कटमोशन को रखते समय बहुत सी बातें सामने आईं और मैं भी इस बात को कहूंगा कि पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में पावर के सम्बन्ध में इस प्रदेश में जितना ध्यान जाना चाहिये था उतना ध्यान समय से नहीं जा पाया लेकिन दूसरी तरफ मैं साथ ही साथ विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि मौजूदा सरकार ने जो प्रयास किये हैं इधर की तरफ, उधर भी विरोध पक्ष का ध्यान जाना चाहिये। जब से मौजूदा सरकार ने एफीसिएन्सी बोनस का सवाल चलाया चाहे थर्मल का जो प्रोडक्शन हो या हाइडिल का, उसमें १०% की वृद्धि हुई है।

साथ ही साथ मौजूदा सरकार का ध्यान बिजली का भावी विकास में जो स्थान है, उस में भी बिजली का विकास किस तरह से हो, बिजली उत्पादन का कार्य किसी तेजी के साथ आगे बढ़े, उस तरफ भी ध्यान है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में हरदुआगंज, पनकी, ओबरा के द्वितीय और तृतीय प्लान्ट, टेहरी, ऋषीकेश (हरिद्वार), आदि के संबंध में प्रकाश डाला है और वह इस बात का संकेत है कि पावर की आज की जो आवश्यकता है उस पर सरकार का ध्यान है। जहां तक नरौरा एटोमिक पावर स्टेशन की बात है, उसके पूरा होने पर और उसी के साथ ही साथ जितने प्लान्ट्स और प्रोजेक्ट्स हैं, उन से पूरा होने के बाद इस प्रदेश में जो बिजली की स्थिति आज है उसमें हुत कुछ सुधार हो जायेगा।

लेकिन मान्यवर, इसके साथ ही साथ आज कुछ इलाके ऐसे हैं जिस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। मैं उस तरफ माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। रिहन्द के बारे में मान्यवर, बार-बार इस बात की शिकायत की गई कि रिहन्ड पर सबसे अधिक बोझ डाल दिया गया है। चूंकि रिहन्ड फेल हो गया इसलिये सारा बिजली विभाग फेल हो गया, पूरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फेल हो गया। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने रिहन्ड बनाने का काम किया और डिजाइनिंग की उनसे सारे एक्सप्लेनेशन मांगे गये और उन्होंने दिये। सबका कहना यह था कि रिहन्ड को बेस प्लान्ट मानकर नहीं निर्माण किया गया बल्कि 'स्टैण्ड बाई' प्लान्ट के रूप में, सहायता के रूप में इस्तेमाल करने की बात थी। इस मौके पर मैं यह कहना चाहता हूं कि रिहण्ड का मामला सरकार के विचाराधीन तो है ही, लेकिन उसको ठीक तरह से चलाने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस बार कुछ बरसात होने की उम्मीद है और लगभग उसमें ११ फीट पानी भी आया है।

पिछले साल सिंगरौली बेल्ट में बरसात नहीं हुई और उससे रिहण्ड की हालत बहुत खराब हो गई। लेकिन कनहर को आज रिहेण्ड में मिलाने की बात बार-बार कही जाती है तो उस पर शासन को ध्यान देना चाहिए। अब तो कनहर का डैम बन ही रहा है और सिंचाई का इन्तजाम होने जा रहा है। इसके बाद टनल का सवाल है और कनहर को रिहंड से जोड़ने की बात है जो सरकार इस पर विचार कर ले क्योंकि जो स्थिति है उसमें कनहर को रिहंड के साथ मिला कर विकास की ओर ले जाने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही कि मुगलसराय और चन्दौली के बीच उपयुक्त स्थान है। वहां गंगा का पानी भी है, रेलवे लाइन है और वहां कोयला लाने में उसकी कास्ट भी कम पड़ेगी। ऐसी स्थिति में एक हजार मेगावाट का थर्मल पावर स्टेशन को जो बात है उस पर भी सरकार को सोच विचार करना चाहिए और इस योजना को आगे चलाने के लिए सरकार की तरफ से प्रभावकारी कार्य होना चाहिए। जब योजना के लिए साउंड आधार उपस्थित है तो ऐसी दशा में उस ओर सरकार का ध्यान विशेष रूप से आना चाहिए। मैं मान्यवर, इस मौके पर मैं यह करना चाहता हूं कि आज बिजली के मामले में प्रत्येक की स्थिति बहुत ही दयनीय है।

[श्री प्रभुनारायण]

मान्यवर, इस सदन के सभी सदस्यों को जानकारी है। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखा तो इलेक्शन का जिक्र किया और कहा कि इलेक्शन के समय जाने पर दर्द लगा। उन्हें तो दर्द लगा लेकिन शासक दल को तो चोट खानी पड़ी क्योंकि किसानों का सारा गुस्सा शासक दल पर था। उनकी हालत दयनीय है। आपको तो देख होता है लेकिन हमें चोट खानी पड़ती है।

श्री राम सेवक यादव--

लेकिन मजेदार चोट है।

श्री प्रभु नारायण--

हमारे राम सेवक जी किसानों के दुःख में दुबले पतले होते जा रहे हैं और घुलते जा रहे हैं। मैंने उनको समझाया भी लेकिन वह अपनी बात को छोड़ नहीं रहे हैं। मैं कह रहा था कि बिजली की कमी है। उसकी कमी का कारण हाइडिल तो रहा ही। लेकिन वित्त मंत्री जी से और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आपने १८ घंटे के नाम पर रिहंड को एक्सप्लायट किया। और किसानों को पानी देने का सवाल था तो रिहंड को स्टैण्ड बाई के रूप में रखते। लेकिन आपने रिहंड को इतना एक्सप्लायट किया कि किसानों को पानी देने के लिए रहा ही नहीं। हिमालय में कम बर्फ पिघलने के कारण भी इसमें फेल्योर है। केवल हाइडिल के फेल्योर का ही सवाल नहग है। यह प्राकृतिक कारणों से भी है। थर्मल के मेन्टेनेंस के कारण भी फेल्योर है। उनको ठीक समय पर सर्विसिंग नहीं होती। उनमें स्पेयर पार्ट्स ठीक समय पर नहीं लगते हैं। उस तरफ शासन का विशेष रूप से ध्यान जाना चाहिए। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स की जो लड़ाई थी तो हम टेकनोक्रेट्स के पक्ष में थे लेकिन हम यह नहीं चाहते कि टेक्नोक्रेट्स भी ब्युरोक्रेट्स हो जायं। अगर टेक्नोक्रेट्स भी ब्युरोक्रेट्स हो जायेंगे तो उनके पक्ष की बात करना व्यर्थ होगा। हम कहना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का टेक्नोक्रेट है वह ब्युरोक्रेट से भी बुरी हालत में लग रहा है और यह स्थिति सुधरनी चाहिए। बोर्ड को एक्सपरटाइजेशन की तरफ ले जाने का भी काम होना चाहिए। इंजीनियरिंग पर्सनल मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और इनवेन्ट्री कार्य, यह सभी स्पशेलाइजेशन के काम हैं। बोर्ड के मैनेजमेंट को इक्सपर्टा जेशन की तरफ ले जाया जाय। इंजीनियर के नाम पर छोड़ दिया जायेगा तो बोर्ड की हालत खराब हो जायेगी और उसमें सुधार नहीं आयेगा। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हर प्रोजेक्ट के बारे में उसकी कम्प्लीशन रिपोर्ट तैयार नहीं होती। ९०% ऐसे केसेज होंगे।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री प्रभु नारायण--

मान्यवर, केवल ५ मिनट और दे दें।

इसके अलावा इण्डस्ट्रियल रिलेशन का काम बहुत जरूरी है। पब्लिक अण्डर टेकिंग्स बिना इण्डस्ट्रियल रिलेशन के चल नहीं सकतीं। यदि इण्डस्ट्रियल रिलेशन की प्रणाली मैनेजमेंट में खराब होगी तो चाहे कितना पैसा लगायें, पब्लिक अण्डरटेकिंग्स का कार्य चल नहीं सकता। इण्डस्ट्रियल रिलेशन का कार्य इलक्ट्रिसिटी बोर्ड का अच्छा नहीं है। मैंने सुना है और मेरी जानकारी है कि आज जो चेयरमैन साहब हैं, यदि कर्मचारियों की यूनियन के लोग उनसे मिलने जाते हैं, तो अपना दुख:सुख कहना चाहते तो वह सुनने के लिये तैयार नहीं होते। इसी तरह से जो एप्वाइन्टमेंट होते हैं उनको भी २-२/३ दिन टाल देते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया है। दूसरों को भी बोलना है।

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं कह रहा था कि इण्डस्ट्रियल रिलेशन का काम इनका अच्छा नहीं। ७ लाख बोर्ड के कर्मचारी हैं और केवल ३२,००० रेगुलर हुये हैं और बाकी अधिकांश कर्मचारी अस्थायी हैं। यदि इण्डस्ट्रियल रिलेशन का कार्य और रोजमर्रा की जो कर्मचारियों की जो दिक्कतें हैं, उनको दूर करने की कोशिश न की गयी तो पब्लिक अण्डरटेकिंग्स का कार्य बढ़ नहीं पायेगा। अतः इण्डस्ट्रियल रिलेशन को इम्प्रूव करने का कार्य बोर्ड को अच्छी तरह से करना चाहिये और इसकी तरफ ध्यान देना चाहिये।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारा यह दुर्भाग्य है कि जब भी इस सरकार ने अपनी किसी कमजोरी को छिपाने की कोशिश की तो उसका पूरा बोझ प्रकृति पर डाल दिया, चाहे वह खाद्य की समस्या हो, बिजली का संकट हो या दूसरी समस्यायें हों। ऐसे देश के लिये जिसकी अभी योजनायें तेजी के साथ चल रही हों, बिजली की आवश्यकता सब से बड़ी आवश्यकता है। ऐसे देश में जहां डेवलपमेंट का काम हो रहा हो, पहले से ही इनको दिमाग उसके लिये बना लेना चाहिये था कि हमारी बिजली की क्या आवश्यकता है और उसके लिये जो बुनियादी काम हैं, हम उनको कर रहे हैं या नहीं। मेरा यह इल्जाम है इस सरकार पर और इसके पहली वाले लोगों पर कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण बात को अपने दिमाग में न रख कर बहुत बड़ा विश्वासघात किया है देश के साथ। चाहे उद्योग हो, चाहे खेती हो, या जीवन के अन्य क्रिया-कलाप हों, हमें उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिये बिजली परम आवश्यक है। और इस काम को हमने नहीं किया और उसको न करके प्रदेश को इस स्थिति में पहुंचा दिया जिससे लाखों लोग परेशान हो रहे हैं, हमारे उद्योग ठप्प पड़ रहे हैं और उद्योग यहां से भाग रहे हैं लाखों लोग बेकार हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी से भागने की कोई कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा ने सरकारी पक्ष को तथा प्रदेश के इंजीनियरों को यह जिम्मेदारी वहन करनी होगी कि उनको अप देश व प्रदेश के प्रति जो सजगता बरतनी चाहिये थी उसे उन्होंने नहीं बरता और उससे देश व प्रदेश को नुकसान हुआ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश की हालत तो और भी खराब है। माननीय तिवारी जी कहते हैं कि अपने प्रदेश के उद्योगों तथा खेती को बढ़ाने के लिये बड़ी भारी चाहिये। इधर वाले लोग तो चाहते हैं सेक्रिफाइस करना लेकिन मैं पूछता हूं कि आज जो हालत है उसे देखते हुए आप किसी नौजवान से या विरोध पक्ष के आदमी से सेक्रिफाइस करने को कहेंगे तो क्या वह तैयार होगा? नामुमकिन है। जिस तरह की शान शौकत व अय्याशी आपने देश व प्रदेश में चलाई क्या देश में इतनी पूंजी थी कि वह उसको भार वहन कर सकती थी? यही कारण है कि बिजली जैसी आवश्यक चीज पर भी जिसे प्रदेश पूरे देश व प्रदेश के उद्योग, खेत व खलिहान निर्भर करते थे हम उतना इ वेस्टमेंट नहीं कर सके जितना आवश्यक था। माननीय प्रभु नारायण जी हमारे साथ वर्षों रहे। हमारे वह नेता रहे हैं। हमारा और उनका बहुत पुराना साथ रहा है। गड़बड़ी एक हो गयी है कि इसके पहले वाली कांग्रेसी सरकारों तथा इस सरकार में फर्क हो गया है। प्रभु नारायण, काशीनाथ मिश्र तथा नारायण दत्त तिवारी उधर पहुंच गये। डाक्टर लोहिया की बोली तो उनको आ गयी. . . .

श्री प्रियदर्शी जैतली (जिला फैजाबाद)—

आपका मकसद है कि ज्यादा गड़बड़ लोग जो थे वे इधर चले आये और कम गड़बड़ लोग उधर रह गये?

श्री राम सेवक यादव--

आपको शर्म आनी चाहिये कि आप अपने साथियों को गड़बड़ लोग कहते हैं।

श्री मधुकर दिघे--

पुरानी मोहब्बत है और उसी के कारण मैं उनका नाम ले रहा था। हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति जो खपत है बिजली की क्या कारण है कि पूरे देश में अन्य प्रदेशों के मुकाबले वह एक तिहाई कम है? पूरे देश में प्रति व्यक्ति १०० किलोवाट बिजली है और हमारे उत्तर प्रदेश में ६० किलोवाट प्रति व्यक्ति क्यों है? इसका जवाब उनके पास नहीं है। तामिलनाडु, महाराष्ट्र, आदि में हमसे दुगुनी तथा तिगुनी बिजली प्रति व्यक्ति मिलती है। हमारे प्रदेश के इंजीनियर तथा सत्ता में जो लोग बैठे हैं वे इस लायक नहीं हैं ऐसी बात नहीं है। उनके मन में दबाव रहा है कैसे राज्य चलायें। एक तरफ अमेरिका का स्वप्न उनको दिखाई दे रहा था। वही शान शौकत धन तथा ठाट बाट की जिन्दगी बिताना चाहते थे। दूसरी तरफ दबाव कम्युनिस्ट लोगों का। उनका काम यह है कि वे आप को ऐसी जगह पहुंचा देना चाहते हैं जिससे उनकी नीति चले और आपकी नीति फेल हो और प्रजातंत्र खत्म हो। वह यह काम सीधे सीधे नहीं करना चाहते थे। चालाकी से इस काम को करना चाहते थे। यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस प्रजातंत्र में वे आपके दोस्त हैं और आप उनके जाल में फंसते जा रहे हैं। तो यही कारण है कि आज प्रदेश में बिजली का उत्पादन सब से कम है। मान्यवर, महाराष्ट्र, तामिलनाडु, आन्ध्र तथा दूसरे प्रदेशों के मुकाबले। आपने दिल्ली को कहा कि ५वीं पंचवर्षीय योजना के लिये ५२२ करोड़ रुपया दीजिये लेकिन ३७५ करोड़ रुपया मिला क्योंकि दूसरे प्रदेशों ने जो इस प्रदेश की छोटी बहनें हैं थोड़ा सा इठला दिया जो आप नहीं कर सकते और वे ज्यादा पा गये और आप निरन्तर कम। और इसलिये शायद कि उत्तर प्रदेश को बार बार प्रधान मंत्री का तोहफा मिला। आप इससे दब गये। मैं मानता हूं इसे पर हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि हमारे प्रदेश की बहन जो दिल्ली में बैठी हैं, दबती चली जाती हैं या चाहती ही नहीं हैं। उनके दबने के कारण ही आज हमारे प्रदेश में बिजली की कमी है। वे हमारे प्रदेश के भाग्य को अधरों में लटकाये हुये हैं। मैं उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों पर इल्जाम ऊपर तो कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। मैं तो महाराष्ट्र में पैदा हुआ हूं और सन् ४३ में भागकर यहां आया। कोई महाराष्ट्री भी इल्जाम आज मेरे ऊपर नहीं लगा सकता कि उत्तर प्रदेश के साथ पक्षपात करता हूं लेकिन मैं साफ तौर से कह सकता हूं कि दिल्ली की सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ ज्यादती की है।

मैं पूछता हूं क्या कारण है कि हमारे थरमल पावर स्टेशन जितने हैं, खराब रहते हैं? उसका महज कारण यह है कि हमारी जो सरकार है, रूस के दबाव में आ गयी थी। रूसी मशीन और यहां का कोयला यह संभव नहीं था। उन्हीं से जाकर पूछो, वे क्या कहते हैं। जो इंजीनियर हैं। हम तो इसकी जानकारी नहीं रखते, कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हैं, जेल में ही मैंने डिग्री भी हासिल की है। इसी विषय में मैंने उस दिन भी कहा था कि आपके प्रदेश को २,२०० यूनिट की जरूरत है लेकिन मेरी बात का मजाक उड़ाया गया। इंजीनियरों को मालूम है कि बिजली फेल होने पर आपके पास और कोई स्टैंडबाई व्यवस्था नहीं है लेकिन हरिजनों को बिजली देने के नाम पर तो आपने केवल उनकी बस्तियों में खंभे गाड़ दिये हैं। हमारे यहां बिछिया में एक पी० ए० सी० का कैम्प है वहां पर बिजली है और हरिजनों के क्षेत्र में बिजली नहीं है। हरिजनों की औरतों को उस क्षेत्र में अंधेरे का फायदा उठा कर ये पी० ए० सी० के लोग किस तरह से परेशान करते हैं यह जानकारी करिये। तो उनके लिये आपने कोई बिजली देने की व्यवस्था नहीं की है। गोरखपुर में १५ मेगावाट का पावर हाउस लगा कर व्यवस्था कर दी है (व्यवधान) परन्तु वह कुछ दिनों में वह अपनी क्षमता खो देंगे इनलिये . . .

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री मधुकर दिघे—

सहजनवां में ४०० मेगावाट का संयंत्र लगाने का आपका इरादा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी साजिश उसे फैजाबाद में ले जाने की चल रही है। इसे रोकिये। जब वे किसान जो बिल भुगतान करते हैं २०० रुपये का २,००० रु० और २,००० रुपये वाले को २०० रु० किसानों आज बड़ी परेशानी हो रही है। उनकी कोई नहीं सुनता। गोरखपुर में एक मिश्रा इंजीनियर हैं उन्होंने ३२ किलो का पीतल का पालना अपने बच्चों को झुलाने के लिये बनाया है शिकायत हुई, यूनियन ने की यह चलेगा तो बिजली कैसे मिलेगी। मैं विरोधी दल की ओर से कहता हूं कि हम तैयार हैं बशर्ते सहायता देवें कि इस तरह के भ्रष्टाचार, शान-शौकत को खत्म किया जाय।

श्री लोकपति (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, दिघे जी ठीक ही कह रहे थे, बड़े उत्तेजित थे क्योंकि विषय ही ऐसा है। उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन में आज सबसे बड़ा योगदान राज्य विद्युत् परिषद का है। की चर्चा होती है तो कहा जाता है कि चूंकि इस वक्त पानी नहीं बरसा फलतः बिजली पैदा नहीं हो सकी। यह बड़े दुख की बात है। सम्भवतः या तो राज्य विद्युत परिषद आप को सही आंकड़े नहीं देता है या फिर किसी वजह से वह इनको दबाता है।

१९६९ से १९७३ के बीच केवल १९७२ का ही वर्ष ऐसा था जिसमें बिजली १२ सौ मिलियन मेगावाट के करीब पैदा हुयी थी, उससे ऊपर रही थी, किन्तु और वर्षों में ६९ में, ७० में, ७१ में व ७३ में कहीं कम बिजली हर वर्ष पैदा हुयी। यह कह देना कि रिहन्द में जल नहीं हुआ इसलिए बिजली पैदा नहीं हुयी—यह असत्य है। यह राज्य विद्युत परिषद् के आंकड़े के अनुसार स्वयं सिद्ध है। यदि बोर्ड से वह आंकड़े मांग लिए जाएं, तो यह चीज साफ हो जाएगी। १५ सौ मेगावाट के ऊपर इनका जनरेशन है और उसमें कहते हैं कि हमारा २२ परसेंट का ट्रांसमिशन लाश है। तो यह बड़ा कठिन है कि शत प्रतिशत अपना जनरेशन आप करें। अगर कोई यूनिट भी जो अच्छी तरह चलाई जा रही है, वह अधिक से अधिक ९० या ९२ प्रतिशत जनरेशन कर सकती है। लेकिन तया ७५ से ८० प्रतिशत के बीच में होती है। फिर कहा जाता है कि हमारे यहां २१ परसेंट—२२ परसेंट लास है। १२ सौ करीब की जनरेशन की मात्रा में कमी होती है, क्योंकि किसी सरकारी संस्थान में उतनी खूबी से काम नहीं हो सकता है और इसकी बहुत सी वजह हैं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि सरकारी कारखानों में काम ठीक से नहीं होता है। फिर भी कुछ वजह हैं। जनरेशन में कहा जाता है २२ या २१ परसेंट हमारा लास है, यह भी गलत है।

यदि देखा जाए तो हमारे प्रदेश में विद्युत प्रसारण में जो नुकसान है, वह ३५ प्रतिशत है। यह पनकी बिजली घर से इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड को बिजली दी जाती है जो उसके पास ही है, ओबरा से डाला को बिजली दी जाती है, जो जनरेशन स्थान के करीब है, रिहन्द से हिन्डालको और कनौडिया को बिजली दी जाती है, जो विद्युत उत्पादन आस्थान के नजदीक है। यदि, इनको जितनी बिजली दी जाती है, उसको काट लिया जाए, तो विद्युत प्रसारण में हमारे यहां ३५ प्रतिशत का नुकसान आएगा। ९००–१००० मेगावाट के करीब बिजली पैदा की जा रही है, जो होती है ८००–८५० मेगावाट के करीब। कहा यह जाता है कि राज्य विद्युत परिषद् आर्थिक कठिनाइयों में फंसा हुआ है और मन्त्री जी ने यह भी बताया कि ३५ करोड़ रुपया उपभोक्ताओं पर विद्युत परिषद् का बकाया है। इस बारे

[श्री लोकपति]

में मैं आगे कहूंगा, केवल इस स्थान पर यही कहना चाहता हूं कि राज्य विद्युत परिषद्, जिसकी पूंजी ५०० करोड़ के ऊपर है तथा जो नई योजनाएं आ रही हैं, उसके बाद हमारी विद्युत परिषद् के पास १२ सौ करोड़ के ऊपर पूंजी आ जाएगी। इसके विपरीत केवल ३५ करोड़ का बकाया है। तो यह धनराशि कोई बहुत ज्यादा नहीं है।

आप किसी औद्योगिक संस्थान में देखें, उनका बैलेंस शीट देखें, तो वसूली के मद में १०/१२ प्रतिशत के बीच में बकाया रहा जाता है। तो इसकी वजह से विद्युत परिषद् को कोई किस्म की परेशानी हो यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। केवल परेशानी यह है कि राज्य विद्युत परिषद् को देखने वाला कोई आदमी नहीं है। उसके जो अध्यक्ष हैं, जिनके हाथ में इस बोर्ड का दारोमदार है, उनको आप किसी भी दिन सबेरे १० बजे से रात को ८ बजे तक ढूंढते रहें कहीं उपलब्ध ही नहीं होंगे। वह न दफ्तर में रहेंगे और न सचिवालय के दफ्तर में रहेंगे। हर जगह से यही पता चलेगा कि वह यहां नहीं हैं। यह मेरा कहना नहीं है, मैं ही नहीं कह रहा हूं, यह इस सदन के हर सदस्य का अनुभव है। कोई उद्योगपति आता है इस प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए, राज्य विद्युत परिषद् के समय निर्धारित करके, यहां आता है। यहां आकर आठ-आठ, दस-दस दिन घूमता रहता है। राज्य विद्युत परिषद् के अध्यक्ष से उसकी मुलाकात नहीं हो सकती है। वजह यह है कि दुर्भाग्यवश आज हमारे राज्य विद्युत परिषद् का अध्यक्ष वह व्यक्ति नहीं है जिसको जनरेशन का ज्ञान हो। हमारे प्रदेश की सारी कठिनाई जनरेशन की है। जनरेशन का समुचित वितरण वही व्यक्ति कर सकता है जो वहां पर बैठे। वह व्यक्ति नहीं कर सकता जो चारों तरफ घूमता रहे। आज बम्बई में कहीं सम्मेलन है या राजस्थान में बिजली के कार्य के लिए जाना जरूरी है तो विद्युत परिषद् के बहुत से अधिकारी भेजे जा सकते हैं। क्या आवश्यकता है कि हर जगह चेयरमैन भेजा जाय। जो व्यक्ति अपनी टेबिल पर नहीं बैठेगा वह प्रदेश की रोज-रोज की कठिनाइयों का निवारण नहीं कर सकता।

३४ करोड़ का बकाया छोटे-छोटे लोगों पर है। देहातों में भी बिजली फैल गयी है। पांच सात लाख से अधिक लोगों को बिजली के कनेक्शन दिये गये हैं। किसान को विद्युत परिषद् के मुख्यालय पर पैसा जमा करना होता है। अगर दस रुपये का बिल है और ३५ मील जाना है तो साढ़े पांच रुपये आने में और साढ़े पांच रुपये जाने में बस में खर्च कर देगा। तब पहुंचेगा। और दिन भर लगेगा। तब जमा होगा। नतीजा होगा कि बकाया पड़ता रहता है। व्यक्तियों में बकाया डालने की आदत बन जाती है। आज विद्युत परिषद् के छोटे-छोटे वितरण केन्द्र स्थापित हो रहे हैं देहातों में, पांच, दस, १२ मील की दूर क्यों नहीं इन केन्द्रों पर पैसा जमा करने की व्यवस्था उस क्षेत्र के लोगों के लिए कर दी जाती है? सबसे बड़ी कठिनाई हम विधायकों को होती है। खेती का समय आता है, साल भर उसने बिजली का पैसा नहीं जमा किया। वह हम लोगों के यहां आता है और कहता है कि हमसे कुछ ले लिया जाय बाकी की किस्त करा ली जाय। यह कानून हो जाय कि जो व्यक्ति महीने दो महीने बिल का पैसा नहीं जमा करेगा उसका बिजली काट दी जायगी। हर महीने वह बिजली का बिल जमा करता रहे। तो विद्युत परिषद् की और हमारी भी परेशानी दूर हो जाय।

हमारे यहां राजकीय नलकूप, निजी नलकूप लगाये गये। जो प्रदेश सरकार द्वारा निकाली गयी डायरी है उसमें कहा गया है कि प्रदेश के अन्दर पौने तीन लाख नलकूप तैयार हैं निजी क्षेत्र में और विद्युत परिषद् की जो रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि १६ हजार नलकूपों को बिजली दी गयी जिसमें कुल आंकड़े दिए गए हैं, १ लाख कुछ हजार नलकूपों को बिजली दी गयी। १ लाख ७३ हजार नलकूप हमारे यहां बिना बिजली के कूप की लागत १० हजार है। लाख ७३ हजार नलकूपों का प्रति नलकूप दस हजार, वह पैसा

कहां जा रहा है ? देश में इस तरह की कठिनाइयां हो रही हैं। हम कह रहे हैं कि उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। अभी चर्चा होगी शाम को, गन्ना मिलों को सुधारने के लिए किसानों से पैसा लिया जाय। इस पर सोचना होगा। खाद्यान्न में १९६०–६१ में १९६ किलो प्रति व्यक्ति इस प्रदेश में खाद्य का उत्पादन होता था और १९६०–७१ में साढ़े पांच हजार नलकूप थे। और उतने ही निजी नलकूप थे। १९७३ में जब कि ११ हजार राजकीय नलकूप हैं, सवा लाख निजी नलकूपों का विद्युतीकरण कर दिया। उस समय हमारा प्रदेश १९७ किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पन्न हुआ है। २२१ किलोग्राम ७०–७१ में हुआ था। उस समय बिजली समुचित मात्रा में मिलती थी और किसान ने इतना खाद्यान्न पैदा किया। कृषि विभाग ने आंकड़े दिए हैं कि उस समय ३.८० लाख टन खाद्यान्न पैदा हुआ। इस वर्ष कुल ५८ लाख टन पैदा हुआ यानी ७०–७१ ७०–७१ से २३ लाख टन कम पैदा हुआ। सरकार ने गेहूं का भाव १०५ रुपये क्विंटल रखा है। यदि मोटे-तौर पर १०० रुपये क्विंटल का भाव मान लिया जाय तो २३०० करोड़ रुपये का खाद्यान्न के उत्पादन में नुकसान हुआ है।

१९७३ में राष्ट्रपति शासन था, जून, जुलाई, अगस्त तथा दिसम्बर में सूखा पड़ा था। विद्युत परिषद् से पूछा जाय कि कितनी बिजली पदा की। जलाशय में जल नहीं आ रहा था। उस समय किसान को गेहूं के लिये पानी की जरूरत थी तो बिना किसी सूचना के रेडियो द्वारा किसानों पर कटौती लगा दी गई। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां १८ दिसम्बर १९७३ से ८ मार्च तक पहाड़ी क्षेत्र में जहां इनका सब स्टेशन है, केवल ७८ घंटे बिजली आई है और इस पर यह विश्वास करते हैं कि खाद्यान्न का उत्पादन हो जायेगा। राजकीय नलकूप हमारे यहां ११ हजार हैं। इस वर्ष खरीफ के दौरान इन्हीं के आंकड़े के अनुसार महीने भर में केवल ६० घंटे चले हैं तो इससे खाद्यान्न के उत्पादन में क्या मदद मिल सकती है।

(एक सदस्य के बीच से होकर जाने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बोल रहे हैं, बीच में से कोई सदस्य जाये, यह उचित नहीं है।

श्री लोकपति—

कोई व्यवस्था राज्य विद्युत परिषद् ने नहीं की। बिजली की कमी थी तो प्रदेश को तीन भागों में बांट सकते थे। आज भी कटौती की जा रही है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय प्रकाश नारायण जी, आप तो नये सदस्य नहीं हैं। माननीय सदस्य बोल रहे हैं और आप बीच में आ रहे हैं।

श्री लोकपति—

पिछले तीन चार रोज से वर्षा शुरू हो गई है। राजकीय तथा निजी नलकूपों को बिजली दी जाय।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अब समाप्त करें। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

अधिष्ठाता जी, माननीय वित्त मन्त्री जी ने आज सदन में विद्युत का बजट पेश किया और उन्होंने अपनी बहुत अच्छी स्पीच दी। मैं उनका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता

[श्री राममूर्ति]

हूं कि बिजली का महकमा एक तिजारती महकमा है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस बात की कोशिश करें कि इस विभाग के अधिकारियों के दिमाग पर पहिले इस बात का असर हो कि वह एक तिजारती महकमा है। तब यह मुहकमा जिम्मेदारी से काम कर सकता है।

श्री रामसेवक यादव--

माननीय सदस्य जानते हैं कि तिजारत में दिवाला भी निकलता है।

श्री राममूर्ति--

मैं इसकी चर्चा बाद में करूंगा। मैं चाहता हूं कि उनके महकमे के लोग समझें कि यह तिजारती मुहकमा है और वे इस तरह से जनता के साथ विहैव न करें जो आज से ३० वर्ष पहले करते थे.....

३० साल पहले बिजली धनी मानी लोग या व्यवसायी लोग या बड़े आफीसर ही बिजली का प्रयोग करते थे, लेकिन आज यह सर्वसाधारण के इस्तेमाल की चीज बन गई है। आज अगर हम चाहते हैं कि देश की तरक्की हो प्रदेश की तरक्की हो तो बिजली का सहारा लिए लिए हुए बिना काम नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हिन्दुस्तान पिछड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश और भी पिछड़ा हुआ है। इस उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ केन्द्रीय सरकार का कोई उदारता का वर्ताव नहीं रहा है। जब जब यहां पर रुपये की जरूरत पड़ी और प्रदेशों को जिनकी आबादी कम है जो हम से ज्यादा अच्छी हालत में हैं उनको दे दिया और हमें नहीं दिया। इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रुपया उत्तर प्रदेश के लिये मिले। पिछले दिनों जो केन्द्र के बिजली मन्त्री थे उनका भी उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार रहा। यहां की जो योजनाएं बनीं उनको पीछे डाल दिया जाता था।

लेकिन सौभाग्य है कि आज केन्द्र के बिजली मन्त्री हैं वह हमारे ही प्रदेश के हैं और बड़े प्रोग्रेसिव आदमी हैं। उनसे अधिक से अधिक धन की सहायता ली जाय जल्द ही योजनाओं की मंजूरी ली जाय। आज किसी को कहने का मौका नहीं है। यहां पहले जो बिजली के चीफ इंजीनियर थे उन्हीं को बिजली का चेयरमैन बनाया गया है। लेकिन उसके दिल के अन्दर और नीचे के कर्मचारियों के दिल के अन्दर यह भावना पैदा नहीं हुई है कि हमें पब्लिक की सेवा करनी है। आप बतायें कि कितने अफसर ऐसे हैं जो देहात में जाते हैं या शहर में जाते हैं और लोगों से पूंछते हैं कि बिजली सम्बन्धी तुम्हारी क्या कठिनाई है। यह तो तिजारत है। तिजारत में क्या होता है लोग यह चाहते हैं कि हमारी चीज को कोई इस्तेमाल करे। इसके विपरीत इस विभाग में क्या है? इस विभाग का छोटे-से छोटा अधिकारी जरा सी शिकायत पर कनेक्शन काट देता है और वह नहीं समझता है कि देश पर इस कदम का क्या असर होता है। सरकार चाहती है कि गल्ला पैदा किया जाय। जो गल्ला पैदा नहीं होगा तो गल्ले की गरानी होगी और हर चीज की गरानी होगी। चावल की गरानी हो गई है। कहते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया किसान के पास लाखों रुपया हो गया है। इस तरह के मिथ्या प्रचार अफसरों के दिमाग से निकलने चाहिए। वित्त मन्त्री योग्य एव असरदार व्यक्ति हैं, ऐसा कर सकते हैं। तभी यह मुहकमा कायम हो सकता है। मुहकमें में भारी चोरी हो और सरकार यह कह कर छूट ले लें कि हमारे ट्रांसमिशन में बड़े नुकसान हो रहे हैं। इन बातों से ज जनता जनार्दन है किसान हैं उनके दिल को शांति नहीं होती और जब तक जनता जनार्दन के दिल को शांति नहीं होती है तब तक इन्क्लाबी हालात दिन प्रति दिन पैदा होती जा रही हैं। दूसरी बात जब कभी चर्चा बिजली की कमी की आती है तो रिहंड को सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है। खास तौर पर जब इंजीनियर्स इस बात को कहते हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है।

मैं सन् १९४६ से सदन का मेम्बर रहा हूं। उस जमाने में रिहण्ड बना था। बदनियती से सर्वे उसका नहीं कराया गया। यह तो थोड़े दिनों से दिलचस्पी पैदा हुई है। कोल नेशनालाइज हो गया, उम्मीद की जाती थी कि कौल के साथ जितना आता था आज उतना कोल नहीं मिलता। किसी चीज कों देख लीजिए। ३५ रु० सैकड़ा ईंट मिलती थी और आज ११० रु० हजार ईंट मिल रही है। रेलें सरकार की हैं, इन्तजाम सरकार का है। आपसे मेरा मतलब सरकार से है और फिर भी यह कहना कि हम कोल की सप्लाई नहीं कर पाते हैं। हरदुआगंज से हमारा कोयले का रेक नहीं पहुंचता इसलिए हम बिजली नहीं सप्लाई कर पाते हैं। यह कहना ठीक नहीं है। जब सब चीजों पर कंट्रोल है, तब भी आप चीजों को सप्लाई नहीं कर पाते हैं। आपकी जहां पर ५०,००० किलोवाट बनने की कैपेसिटी है ट्रांसमिशन की और खराब मशीनरी के कारण आधी भी नहीं बनती बिजली तो अधिक से अधिक बननी चाहिए फिर भी कमी रहेगी।

सरकार कुछ भी करे कमी रहेगी क्योंकि हम विकास क रास्ते पर हैं। हमारी जरूरियतें बहुत हैं, हमें उन जरूरियतों को पूरा करने के लिए कितने ही साल लगेंगे। आज इस बात की चर्चा है कि शायद बिजली के रेट कुछ और बढ़ाये जायं। क्यों बढ़ाए जायं साहब? बिजली की जो चोरियां हो रही हैं उनको क्यों नहीं रोकते हैं। बिजली की कमी न कारण कारखाने बन्द होते चले जा रहे हैं। रात के ११ बजे से सुबह ६ बजे तक किसानों को बिजली दी जाती है। इस रसात के जमाने में किसकी हिम्मत होगी कि अपना इंजन और मोटर चलाये। रात को बिजली दी जायगी। आदमी घर से निकल नहीं पाता है। दुश्वारियां भी हैं और साथ-साथ यह भी चाहते हैं कि फसलें हमारी ज्यादा पैदा हों। यह सब बातें कैसे हो सकती हैं?

*श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। पिछल दो तीन वर्षों के भाषण मूझे सुनने का इस सदन में अवसर मिला। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा कि विद्युत का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए .....

लेकिन मान्यवर, इन्होंने विद्युत की कोई योजना नहीं बतायी। पिछले वर्ष माननीय तिवारी जी ने कहा था कि उद्योग और कृषि के लिये बिजली देंगे लेकिन आज जो परिस्थिति है, उससे पूरे प्रदेश में निराशा ही निराशा है। अभी जो उधर के पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जो पूर्व में सरकारें रहीं उनके कारण बिजली की कमी हुई, मेरा निवेदन है कि वे सरकारें भी इन्हीं की रही कांग्रेस की रही हैं। ये दोषारोपण दूसरों पर करते हैं। इसका मुझे बड़ा दुख है। जमीन के नीचे बहुत पानी है। अगर ये बिजली दें तो हर खेत इन्हें हरा भरा नजर आने लगें लेकिन इन्होंने जिन चेयरमैन के हाथ में यह परिषद् सौंप दिया है, वे मिलते ही नहीं हैं। उन्होंने तो हेलीकाप्टर पर चढ़ना सीख लिया है। जो अधिकारी हेलीकोप्टर पर चढ़ना है और वातानुकूलित भवनों में बैठता है, उसको किसानों की क्या परवाह है, वे क्या जाने कि खेतों में कैसे पानी दिया जाता है। राहत में जब पानी निकलता है तो मेड़ पर सांप निकलते हैं और वे किसानों को काट लेते हैं। हर जिले में ऐसा होता रहता है। मेरे ही क्षेत्र में कुछ वर्षों में इस प्रकार से सांप के काटने से ५–१० आदमी मर चुके हैं। मेरी प्रार्थना है कि उनकी मृत्यु का जो हरजाना है उसे परिषद से उनके परिवार वालों को दिलाया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उमानाथ]

माननीय कल्याण सिंह जी ने गत वर्ष कटौती का प्रस्ताव रखते हुए एक मामूली कर्मचारी के बारे में बड़ी गम्भीर आरोप लगाया था और माननीय तिवारी जी ने कहा था कि उनको हटाया जायगा लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह बड़े अफसोस की बात है कि सदन तक में जो आरोप लगाये जाते हैं, उनकी जांच भी नहीं करायी जाती है। यदि इसे सदन का अवमान न माना जाय तो मुझे यह कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि पिछले ५ वर्षों से जिस विभाग का बजट यहां पेश होता है उस विभाग के मन्त्री केवल यह सोचते हैं कि ५ बजे और बजट पास हो और फिर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। सदन में जो कुछ भी उस विभाग से सम्बन्धित कहा जाता है, उस पर फिर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे विद्युत मन्त्री जी का तो बड़ा ही मधुर व्यवहार है, उनकी आलोचना तो कोई कर ही नहीं सकता है लेकिन जिस विभाग को ये संभाले हुए हैं, उसके प्रति जन जन में आक्रोश है। उससे किसान भी प्रभावित हैं, और उद्योगपति भी प्रभावित हैं।

विद्युत की कमी का एक कारण यह भी है कि उनकी लाइन पर बिजली अकारण ही चला करती है। मुझे पता यह भी चला है कि इन्होंने चीनी मिलों की भी बिजली बन्द की है। जौनपुर में केवल एक कोल्ड स्टोरेज में लाखों रुपये का आलू इसलिये सड़ गया कि उसको समय से बिजली नहीं मिल पायी। माननीय सदस्य ऊदल ने बताया कि ७ १/२ लाख रुपये की क्षति हुई है। पूरे प्रदेश में जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं, उन सब में यही हालत हुई है। यहां तक क्षति हुई है कि किसानों को बोने के लिये भी आलू नहीं मिल सकेगा।

पंपिंग सेट्स के लिये किसानों को कहा जाता है कि हम कमर्शियल योजना चला रहे हैं, बहुत जल्दी कनेक्शन्स देंगे। पहले ५०० रुपया फिक्स हुआ, फिर २ हजार रुपया और फिर ३००० रुपया कर दिया गया फिक्स डिपोजिट्स के रूप में। मुझे ऐसा भी मालूम होता है कि माननीय तिवारी जी को किसी जिले के कार्यालय में जाने का अवसर नहीं हुआ है। एक किसान कितनी ही बार उन दफ्तरों के चक्कर लगाता फिरता है। पहले तो उसे २५ रुपया जमा करना होता है, फिर लाइन का एस्टीमेट बनता है तब लाइन इन्सपैक्टर्स और इन्जीनियर्स के पास दौड़ता है और फिर एग्रीमेन्ट के लिये उसे दौड़ना पड़ता है। इस प्रकार से न जाने उसे कितने चक्कर इन दफ्तरों में लगाने पड़ते हैं। जौनपुर ज़िले को मैं एक उदाहरण माननीय मन्त्री जी के सूचनार्थ देना चाहता हूं। वहां पर कम से कम सैकड़ों कनेक्शन ऐसे लगाये गये हैं, जिनमें न वह २५ रुपया दिया और न कोई एग्रीमेन्ट हुए। वह सारे का सारा रुपया जो हजारों रुपये होता है, वहां के वकीलों ने खा लिया। वहां के एक क्लर्क का जौनपुर से गोरखपुर ट्रांसफर किया गया लेकिन आज तक उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई बल्कि उल्टे वहां के किसानों को जिन्होंने शिकायतें कीं, जेल में भेज दिया गया कि तुमने ऐसा काम किया है। जो धांधली आज विभाग में चल रही है, ऐसा लगता है कि यह सरकार उसका सुधार नहीं कर सकती है। और जैसा कि माननीय प्रभुनारायण सिंह जी ने और लोकपति जी ने कहा, मैं अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उनके मिलने के बारे में अगर ऐसी बातें फिर रहीं तो हम लोग इन्हें इस सचिवालय भवन में बैठने भी न देंगे। मान्यवर, इस प्रकार की चेतावनी देना चाहता हूं। इनके यहां थोक क्रय-विक्रय होता है। मुझे अच्छी तरह से जानकारी है कि जो ट्रांसफार्मर्स बनाये जाते हैं, गवर्नमेन्ट की भी फर्में हैं, उनसे नहीं खरीदते ये प्राइवेट ठेकेदारों से खरीदते हैं। जौनपुर के एक माननीय सदस्य ने खुला आरोप लगाया था कि फैक्टरी के मैनेजर विद्युत परिषद् में गये और हफ्तों बाद भी उनको मिलने का अवसर नहीं दिया गया। तो गवर्नमेन्ट फैक्टरीज से नहीं खरीदना चाहती।

राज्य विद्युत बोर्ड के भंडार प्राप्ति मंडल द्वारा थोक क्रय करने के अतिरिक्त बोर्ड के विभिन्न डिवीजन अधिकारियों ने अपनी वित्तीय सीमा के परे बिना सार्वजनिक टेंडर मांगे बहुत अधिक माल क्रय-आर्डर दिये जिससे बहुत बड़ी क्षति हुई। ऊंची दरों पर खरीद के आडिट रिपोर्ट में सैकड़ों मामले पड़े हैं, ऐसे हैं जिसमें स्वीकृत दरें उसी माल की उन दरों की तुलना में अधिक थी जो बोर्ड की ठेकों के लिए निर्धारित थीं।

मिर्जापुर में सौ वर्क आर्डर १० हजार साल की बल्लियों की पूर्ति के लिये चार माह के दौरान जनवरी से अप्रैल १९७० में ९४, ९५ रुपया प्रति बल्ली एफ० ओ० आर० मिर्जापुर की दर से दिये गये जबकि बोर्ड द्वारा किये गये पूर्ति करार में जो कि उस अवधि में लागू था उनकी दर ४८ रुपया प्रति बल्ली एफ० ओ० आर० गोरखपुर थी। डिवीजन में आयी हुई ८७०० बल्लियों में से ९०० जौनपुर भेजी गयीं। इस सौदे के परिणामस्वरूप लाखों का अतिरिक्त व्यय हुआ। इस प्रकार से प्राइवेट ठेके करते हैं। और मनमाने रेट से करते हैं और लाखों, करोड़ों की क्षति हो रही है। तो मैं निवेदन करूंगा कि उनके पास ट्रकें और साधन हैं, इसलिये प्राइवेट ठेका प्रथा समाप्त करें विद्युत परिषद् से।

कनेक्शन के सम्बन्ध में यह स्थिति है कि सैकड़ों बार चक्कर लगाइये, मिलता नहीं। आप एक अवधि निश्चित कीजिये कि कब तक मिल जायगा। २५ रुपया जमा होगा इतने दिनों में, इतने दिनों में अग्रीमेन्ट और टी० सी० मिलेगा और इतने दिनों में कनेक्शन मिल जायगा। ऐसा कर दीजिये। जौनपुर में एक बार एक गांव से १० हजार रुपया मांगा गया। मैंने जिलाधिकारी को पत्र लिख कर दिया, स्वयं मिला कि इस प्रकार की स्थिति है। १० हजार रुपया लाइन इंस्पेक्टर और इंजीनियर लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नोट पर दस्तखत कराओ। मैंने कराये और पुलिस अधिकारी को लेकर जब रात में पहुंचा तो पुलिस अधिकारियों की स्थिति ऐसी होती है कि थानेदार संबंधित होते हैं। थानेदार को पता लग गया और उसने उस इंजीनियर को बता दिया। हम रात्रि भर बैठे रहे और संयोग से इंजीनियर साहब अपना कमरा बन्द करके बैठे रहे। तो कनेक्शन की अवधि निश्चित करें जिससे लोगों को कनेक्शन प्राप्त हो सके।

भ्रष्टाचार की बात तो मैं करना नहीं चाहता। यह सरकार ही उसमें डूब चुकी है, उससे उबरना मुश्किल है। इनके इंजीनियर या लाइन इंसपेक्टर की हालत यह है कि वाजिद अली शाह भी होता तो लाइन इंस्पेक्टर से मात हो जाता। अगर किसी अंग्रेजी शराब की दूकान का पता लगाया जाय तो पता लगेगा कि सबसे महंगी शराब लाइन इंसपेक्टर और इंजीनियर पीते हैं। तो पिछले वर्षों में जो उद्योग लगाने के लिये मोहक नारा लगाया गया था कि सस्ती बिजली दी जायगी, उनको छूट दी जायगी, ऐसा जो मोहक आश्वासन दिया था मन्त्री जी ने उसका परिणाम क्या हुआ? आज जौनपुर तो बहुत पिछड़ा जिला है, लाल बत्ती आपने दिखा दी। अपने कुछ माननीय सदस्यों ने बताया था कि बस्ती में मेहदावल तहसील है, ३० हजार की आबादी है। वहां सैकड़ों पावरलूम और छोटे उद्योग हैं लेकिन बिजली की व्यवस्था नहीं है। बिजली केवल १–२ घंटे के लिये आती है। उससे कपड़े की समस्या बड़ी जटिल हो गयी है क्योंकि पावरलम काम नहीं करते, ठप पड़े हैं। उसका परिणाम यह है कि धोती जोड़ा ८० रुपये का मिलता है जबकि पहले बड़ी सस्ती धोतियां मिला करती थीं। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि तिवारी जी अपने मोहक शब्दों के द्वारा ही प्रश्न हल करने का प्रयास न करें, कुछ करने का भी प्रयास करें। जैसे आज आपने पूर्व की सरकारों पर दोषारोपण किया दस साल बाद यहां पर बैठने वाले आपकी सरकार को दोषी ठहरायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री आबिद अली (जिला सीतापुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बिजली का बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के

[श्री आबिद अली]

लिये खड़ा हुआ हूं और माननीय सदस्य जनसंघ ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं । हमारे कटौती के प्रस्ताव ने यह कहा कि सरकार तीन प्लान्स में बिल्कुल सोती रही । मैं समझता हूं कि यह कुछ ज्यादा बात है इस वास्ते कि अगर उन्होंने फीगर देखी होती तो शायद ऐसी बात नहीं कहते। सन् ५१ में १७९ मेगावाट बिजली बनती थी और चौथी प्लान के आखिर में करीब १७०० मेगावाट बिजली बनने की क्षमता हुई है। यह जरूर है कि इतनी बिजली बन नहीं पा रही है मगर क्षमता तो है । करीब ६०० मेगावाट बिजली हाइडिल से बनने को है और करीब साढ़े ८ सौ मेगावाट थर्मल टरबाइन से बनने को है । करीब दो साल से बारिश की बहुत कमी है जिसकी वजह से हाइडिल प्लान्ट्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और ६०० मेगावाट्स में से सिर्फ १०० मेगावाट बिजली दे रहे हैं, यानी करीब १६ परसेंट बिजली दे पा रहे हैं। जाहिर है कि जब सिर्फ १६ परसेंट बिजली बनेगी तो बिजली की कितनी कमी होगी । लेकिन जो थर्मल प्लान्ट्स से साढ़े ८ सौ मेगावाट बिजली बनने की क्षमता थी उसमें से करीब साढ़े ७ सौ मेगावाट बिजली बन रही है जो करीब ८५–८६ परसेंट पड़ता है । यह यू० पी० का रेकार्ड है । इसके पहले करीब ६०–६२ परसेंट बिजली थर्मल प्लांन्ट्स से बनती थी । मैं समझता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री जी, एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसके चेयरमैन और जो और लोग काम करने वाले हैं वे सब बधाई के पात्र हैं और जो उन्होंने मेहनत से काम किया है उसका एप्रिशियेशन करना चाहिये, हर वक्त एतराज करना ही ठीक नहीं है । जो काम गलत है उसको गलत कहना चाहिये और जो काम मेहनत का है उसकी दाद देनी चाहिये ।

बिजली की जो सब से परेशानी है वह यह कि हम हाइडिल पर ज्यादा डिपेन्ड नहीं कर सकते, थर्मल के लिये हमें ज्यादा कोशिश करनी है । जो जनरेटर्स बन रहे हैं उनका लगभग १४० करोड़ रुपया भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स को देना है जैसा कि मन्त्री जी ने कहा । मैं समझता हूं कि वह कहीं न कहीं से इन्तजाम करके उनको पैसा देंगे क्योंकि अगर उनको समय से पैसा न मिला तो मुमकिन है कि बजाय यहां देने के वह किसी दूसरे सूबे को दे दें या जैसा अखबारों में आया है शायद हिन्दुस्तान से बाहर भेजने की सोच रहे हैं। अगर वह जनरेटर्स हिन्दुस्तान से बाहर चले गये और यहां बिजली का अकाल पड़ा रहा तो यह हमारे लिये बड़े शर्म की बात होगी ।

अब रहा यह कि बिजली का जो ट्रांसमिशन में लास हो रहा है वह कैसे कम हो इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है । कुछ तो वाकई लाइन में नुक्सान हो जाता है, कुछ चोरी भी होती है अ र कुछ और भी बातें हैं। देहात में बाज औकात ऐसा भी होता है कि लोग चोरी छिपे भी बिजली ले लेते हैं और कर्मचारी जाते हैं तो मारे भी जाते हैं। मेरे यहां ऐसे ही एक आदमी बिजली चोरी से लेने के लिये खम्भे पर चढ़ा। उसे बिजली लग गयी, वह गिरा और अब मरने के करीब है । तो अगर बजाय मीटर लगाने के फ्लैट रेट कर दिया जाय सब के ऊपर तो यह बेईमानी काफी हद तक कम हो जायगी और लोग ज्यादा बेईमानी करना नहीं चाहेंगे दूसरे, हर डिवीजन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं । अगर यह कर दिया जाय कि हर डिवीजन में कितनी बिजली जाती है, कितनी खर्च होती, कितना लास होता है, परसेन्टेज बता दिया जाय कि इतने तक हम टालरेट करेंगे और उसके बाद अगर होता है तो उसके जिम्मेदार वह खुद होंगे वह खुद उसको देखें । अगर ऐसा होगा, तो काफी हद्द तक उसमें बचत हो सकती है ।

एक चीज और है । ३५ करोड़ का एरियर बताया गया । बड़े-बड़े कुछ लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक चले गये हैं। काफी रुपया छोटे छोटे लोगों पर भी है जो वसूल नहीं हो पाता है । उनकी तादाद बहुत ज्यादा है । बकाया के लिये इन्जीनियर अपनी डिमान्ड बना कर डी० एम० को भेज देता है, वह उसे तहसीलदार को भेज देता है । उनके पास

और भी कई तरह के ड्यूज वसूल करने का काम रहता है। इस कारण इस विभाग की वसूली की ओर वे अधिक ध्यान दे भी नहीं पाते हैं। मेरा सुझाव है कि इसके लिये आप हर डिवीजन में एक एस० डी० एम० मुकर्रर कर दें और वह इस काम को देखे। जो ट्रांसफार्मरों की चोरी होती है उस काम को भी तुरन्त वह मौके पर जाकर देख सकता है और आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। इससे वसूली भी अधिक और जल्दी होगी तथा ट्रान्सफार्मरों की चोरी भी कम होगी। अधिक दिनों तक वसूली न होने से एकदम जब काफी रुपया बकाया हो जाता है तो उससे किसानों को भी देने में बड़ी कठिनाई होती है।

मिनिमम गारन्टी की बात चल रही थी। जब आप पूरे समय बिजली देते थे उस समय तो मिनिमम गारन्टी वाली बात समझ में आती थी। आज जब पूरे समय बिजली नहीं दे पाते, केवल कुछ घंटे ही बिजली देते हैं तो बिजली जितनी खर्च हो उसी हिसाब से पैसा वसूल करना चाहिये, मिनिमम गारन्टी खत्म कर देना चाहिये।

जो लोग सूत का काम करने वाले हैं वे बहुत गरीब हैं। पहले उनकी दो शिफ्ट अवश्य चलने दी जाती थीं और कुछ नरमी का रुख उनके साथ बरता जाता था, भले ही बिजली का संकट क्यों न हो। उनके लिये यही रा मैटीरियल है। अब एक शिफ्ट करने से उनको बहुत परेशानी हो गयी है। उनकी बिजली में कोई कटौती नहीं होना चाहिये क्योंकि वे बहुत गरीब है और बैकवर्ड हैं।

ओबरा के करीब कुछ और थर्मल जेनरेटर्स लगाने की तजवीज है। हाइडिल में बहुत से जेनरेटर्स लगे हुए हैं, मगर पानी की कमी के कारण वहां बड़ी परेशानी हो रही है। ओबरा में अधिक थर्मल जेनरेटर लगाने के बाद कहीं ऐसा न हो जाय कि उनको ठंडा करने के लिये पानी की ही कमी हो जाय। और बाद को फिर इनको बन्द करना पड़ जाय। इसलिए लगाने से पहले इसको अच्छी तरह से देख लिया जाय। अगर ऐसा हो तो इलाहाबाद और मुगलसराय के करीब इनको बढ़ा दिया जाय। मैं समझता हूं कि एक्सपर्ट्स को अच्छी तरह से इस चीज को देख लेना चाहिये। कहीं ऐसा न हो कि १२–१४ सौ मेगावाट के जनरेटर आप लगायें और बाद को ठंडा करने के लिये पानी की दिक्कत हो जाय।

जेनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिये अलग अलग जो दो बोर्ड बनाने की तजवीज है वह अच्छी है। अगर यह दोनों काम अलग अलग कर दिये जायें तो काम में एफीसिएन्सी ज्यादा बढ़ेगी।

श्री अधिष्ठाता––

अब आपका समय समाप्त।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, दुनियां में किसी भी देश की तरक्की के लिये, तेल, लोहा, बिजली और कोयले की विशेष आवश्यकता होती है। लेकिन आज हमारे देश में २७ वर्षों की आजादी के बाद भी इन सभी चीजों पर हमारी सरकार फेल हुई है और इसके बावजूद सरकार बराबर कह रही है कि हमारी बिजली का उत्पादन बढ़ रहा है। और आज माननीय तिवारी जी ने कहा कि बिजली का उत्पादन बढ़ रहा है। लेकिन इस बढ़ोत्तरी की कसौटी क्या है? आप इस बढ़ोत्तरी को किस कसौटी पर आकेंगे। इसको हमारे भूत के आधार पर या प्रतिशत के आधार पर या हिन्दुस्तान के अन्य सूबों के आधार पर, इसको कैसे आंकेंगे। अगर भूत के आधार पर देखा जाये तो कुछ बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन आज अगर देखा जाय तो बिजली का उत्पादन ठप्प हो रहा है। अभी श्री दिघे ने कहा था कि जब हमारी सरकार किसी काम में असफल होती है तो कहती है कि यह प्रकृति की वजह से हुआ है। हमको पानी नहीं मिला है।

श्री मुलायम सिंह—

मेरा कहना है कि दूरदर्शी सरकार को इस पानी का विकल्प भी सोच लेना चाहिये था। आज उत्तर प्रदेश की बिजली चौपट है, सारे उद्योग चौपट हैं, खेती चौपट है और आज किसान परेशान फिर रहा है क्योंकि उसको बिजली भी नहीं मिल रही है चार्जेज भी देने पड़ रहे हैं। अगर यह सब बातें जो हैं १० मिनट में कही जायें तो नहीं कही जा सकती हैं। इसलिये मैं तिवारी जी से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में बिजली का महान संकट है और वह सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से यह संकट है। और वह है विद्युत परिषद् का चेयरमैन। इस विद्युत परिषद के चेयरमैन के कारनामों की गतिविधियों से आज यह हाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश की पूरी बिजली को चौपट करने के सम्बन्ध में अगर कहा जाय तो मुश्किल होगा लेकिन मैं कुछ बातों के उदाहरण देना चाहता हूं।

पहला कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बड़ी दृढ़ता से कहा था कि मैं एक हफ्ते में बिजली की स्थिति को दुरस्त कर दूंगा, लेकिन आज वह चुप हो गये हैं। लेकिन जब चुनाव नजदीक थे तो इसी विद्युत परिषद् के चेयरमैन ने लाखों रुपये कांग्रेस पार्टी को देकर मुख्य मन्त्री का मुंह बन्द कर दिया।

इसी तरह से रामपुर की घटना है। रामपुर का पावर हाउस, जिसकी चल और अचल संपत्ति लगभग १ और २ करोड़ के बीच में है। आज ही उसकी जांच करा लें। आज सरकार करप्शन को मिटाने की बात कहती है, भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कहती है। मैं कहता हूं रामपुर पावर हाउस को ले लीजिये। इस विद्युत परिषद् के चेयरमैन ने १२ लाख रुपये लेकर वहां पर ३० लाख रुपये में दे दिया है और अगर यह बात सत्य है तो माननीय तिवारी जी जांच करा लें। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण हैं।

जैसा कि बताया गया कि विद्युत परिषद् में ५०० करोड़ पूंजी लगी है और लगभग १ लाख कर्मचारी हैं। इनमें से १८ सौ इंजीनियर्स हैं। लेकिन इंजीनियर्स में केवल ३०० इंजीनियर्स काम कर रहे हैं और शेष १५०० केवल तरक्की और ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। वह केवल पत्रावलियों को देखने और हस्ताक्षर करने का काम कर रहे हैं। यह केवल क्लर्क का काम कर रहे हैं। इनको ट्रेनिंग मिली हुई है और यह प्रशिक्षित हैं और यह अगर फील्ड में जा कर काम करें तो कुछ हो सकता है। मगर यह विद्युत परिषद् के चेयरमैन श्री एल० बी० तिवारी को घेरे रहते हैं। हरदुआगंज की जांच करा लें। जब यह आपके हाथ में था तो यह असफल हो गया। लेकिन जब हरदुआगंज मोदी ने ले लिया तो सब ठीक हो गया। इसी तरह से बरेली के ठेके के बारे में है। बरेली में स्टील वर्क्स जिस को ठेका 3 करोड़ रु० का दिया गया। इसके ठेकेदार तथा दूसरे ठेकेदारों की जो मांग थी उनमें सबसे लोएस्ट मांग मेसर्स एस० ए० इ० दक्षिण भारत की थी, जिन्होंने पहले विद्युत परिषद् के काम भी किया था, उसको ठेका नहीं दिया गया। बरेली के ठेकेदारों को ठेका दिया गया जो आपकी ब्लैक लिस्ट में है। उसने पहले भी काम नहीं किया था किन्तु उसी को ठेका 6 लाख रु० लेकर के ३ करोड़ रुपये में ठेका यह कहकर कि उत्तर प्रदेश की इन्डस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिये दिया गया।

आज १२० करोड़ रु० का सामान विद्युत परिषद् खरीदता है। लेकिन ७० करोड़ रु० का सामान ऐसा है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इस ७० करोड़ रु० के सामान को काफी पहले खरीद लिया गया था, कि कहीं चेयरमैन का ट्रांसफर न हो जाय या कोई शिकायत न हो जाय, जिसका कि कोई उपयोग नहीं है। मद्रास की पोर्टट्रस्ट से एक नोटिस आई है कि १७ जुलाई तक अपना सामान यदि नहीं उठाते हैं तो उसको नीलाम कर दिया जायगा। मुझे आज तक पता है कि वह रुपया नहीं भेजा गया है। आपके विभाग पर इतना कर्जा लदा है कि यदि ५०० करोड़ रुपये की संपत्ति भी बेच दें तो भी

कर्जा निकलेगा। मान्यवर, जितनी भी योजनायें चलाई हैं वे इन इंजीनियरों से निश्चित रकम से पूरी नहीं हो पाती हैं। इन सब की यदि आप जांच करवायें तो सब में विद्युत परिषद् के चेयरमैन ही दोषी निकलेंगे। किसी काम की पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। यदि इसकी भी जांच करवायें तो बहुत से इंजीनियर जेल में जायेंगे।

विद्युत परिषद् के ३० इंजीनियरों को विजलेन्स की रिपोर्ट में पहले सस्पेन्ड करने की संस्तुति की थी। लेकिन इंजीनियरों से रिश्वत लेकर छोड़ दिया गया। यह नहीं बल्कि जिनसे अधिक रिश्वत मिली उनको प्रमोशन भी दे दिया गया। इसलिये विद्युत परिषद् के चेयरमैन के हाथ में बिजली है। जब तक इनके हाथ में बिजली रहेगी तब तक उत्तर प्रदेश की खेती और उद्योग नहीं चल पायेंगे। इससे करोड़ों रुपये की हानि होने जा रही है और एक मामूली आदमी करोड़पति होने जा रहा है। अतः इसमें यदि जांच करवायें तो विद्युत परिषद् के चेयरमन के ऊपर करवायें। इसने भाई, भतीजावाद बहुत फला रखा है। यदि कोई शिकायत लेकर जाता है तो चेयरमैन को मिलने में बहुत कठिनाई होती है। और जैसा मैंने कहा है वह हेलीकोप्टर में उड़ा करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)––

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बिजली के प्रस्ताव पर बोलने का जो मौका दिया है, अपने नजरियात और ख्यालात जाहिर करने का मौका दिया है उसके लिये मैं शुक्रगुजार हूं। मोहतरम, हमारी जिन्दगी, हमारी खुशहाली, हमारे रोजगार, हमारे बेकारी को दूर करने का एक मात्र जरिया इलेक्ट्रिसिटी है। इसी से हमारे कल-कारखाने, फैक्ट्री, खेत के लिये पानी मिलने की आशा है और आज हाउस में एक ही आवाज उठी है कि हर तरफ संकट दिखाई पड़ रहा है और बिजली के संकट ने हमारी जिन्दगी को मफलज कर लिया है। ऐसी हालत में जब हर तरफ संकट ही संकट दिखाई पड़ रहा है हमने जिन्दगी का नाम संकट ही रख दिया है। मैं आपके जरिये इस सरकार से कहना चाहता हूं कि बिजली का नुक्ता नेशनल पालिसी की हैसियत से शुरू से ही देखना चाहिये था। इस सरकार के पहले जो सरकार थी उन्होंने शायद ही इस बिजली की आवश्यकता को समझा होगा। उन्होंने बिजली की जरूरत केवल पंखे और रेफ्रीजिरेटर और कुछ मामूली घरेलू उद्योग धंधे के लिये काफी समझा और जितनी तवज्जह देनी चाहिये थी वह नहीं दी गई। इसकी मिसाल में यह देना चाहता हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में इन्होंने दावा किया था कि १,१७० मेगावाट बिजली बनेगा, लेकिन मुश्किल से ३०० मेगावाट बिजली तैयार हुई। इससे साफ जाहिर है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि क्यों और कैसे ऐसा हुआ। इसकी भी छानबीन शायद नहीं हुई।

इस सिलसिले में मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इस सरकार ने नई जिन्दगी लाने, नये तरीके अपनाने के लिये और इस संकट से निकालने के लिये कोई रास्ता निकाला? अब पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ४,५०० मेगावटट बिजली पैदा करने की बात कही गई है और कहा गया है कि ४२,००० ग्रामों और हरिजन बस्तियों में बिजली देंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि सरकार ने पीछे की तरफ खिसकना शुरू कर दिया और अब कहा जा रहा है कि २६,००० ग्रामों को बिजली देंगे और ४ लाख पंपिंग सेट के बजाय तीन लाख पंपिंग सेट को बिजली देंगे। इस तरह से हमारी योजना की जो भूमिका बनाई जाती है जो प्रचार किया जाता है, कोई भी योजना वक्त से पूरी नहीं होती। हमारे थर्मल सावर स्टेशन को बहुत सोच-समझकर बनाना चाहिये था और वहां बनाना चाहिये था जहां पर कोयले की खानें हों। क्योंकि थर्मल स्टेशन पर कोयला समय से पहुंच नहीं पाता और बिजली की पदावार में काफी कठिनाई पदा होती है। यही नहीं आज मसले दो तरह के

[श्री जफ़र आजमी]

हैं---एक फौरी तरह से निपटने के लिये। अगर इन मसलों को युद्ध स्तर पर निपटने के लिये क्या वह कुछ उद्योगपति, कुछ किसानों के नुमाइन्दों और मजदूरों के नुमाइन्दों तथा साथ साथ मीनियर आफिसर्स, टेक्नीकल हैण्ड्स की कमेटी बनाकर फौरी तौर पर इस मसले का हल निकालने के लिये तयार हैं। एक दूसरा तरीका है कि क्या हम अगला प्रोग्राम टाइम बाउन्ड बनाने के लिये मजबूती के साथ कदम उठाने को तैयार हैं। अब तक जो योजनायें बनी उनमें हमने देखा कि हमारी योजनाओं ने हमें पीछे हटाया है।

बिजली के मामले में ही देखें कि जहां १ ०२० कदम आगे बढ़ना चाहिये था वहां हम पीछे हटे हैं और यह बात साफ है कि हम में बिजली की पैदावार को रुकना है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज हमारे और हमारी जिन्दगी है लेकिन उसको रोटी नहीं मिल रहा है। कम से कम कृषि को उद्योग मानकर ही १८ घंटे बिजली दें तो हमारी जिन्दगी में एक नया मोड़ आये। हमारे प्रदेश से कारखाने बाहर जा रहे हैं। अभी हमने पढ़ा कि ४ कारखाने उत्तर प्रदेश के बाहर जा रहे हैं इसलिये कि सरकार बिजली देने में असमर्थ है। अब जाहिर है कि हमारी जिन्दगी पर कितना बुरा असर इसका पड़ेगा। बेकारी और बढ़ेगी। हम लोगों को कुछ बात पर रुका होये दे रहे हैं तो सोचते हैं कि क्या किया जाय। आज बिजली बोर्ड की जितनी शिकायतें की गयी हैं मैं समझता हूं वह जायज हैं। १९४८ में जिस वक्त बोर्ड बनाने की बात थी अगर उसी वक्त बन जाता तो ज्यादा मौजू रहता लेकिन यह ५९ में बना और तब तक कम्पनियां लगी रहीं। यह बोर्ड जो बना इसमें भी पब्लिक सेक्टर के ऐसे लोग होते जिनका पब्लिक सेक्टर पर ईमान होता और इसके साथ ही यह बोर्ड आजादी के साथ काम करता।

रूस में आजाद होने के बाद लेनिन ने कहा कि शक्तिशाली जनता कमेटी बनानी चाहिये और पावर को सारे देश में फैला दिया जाय और इन दो कारणों से ही वहां कामयाबी हुई। हमें तो कामयाबी का यह देखना नहीं है। बोर्ड की शिकायत जायज है। बोर्ड में काम करने वालों में मैं एक इंसान वाकिफ हूं जिनसे मिलने से मालूम होता है कि कुछ जिन्दगी है। वे हैं मि० पंत। मैं यह भी अर्ज कर दूं कि ४ पुराने कनेक्शन जो पंपिंग सेट्स के लिए मंजूर हुए हैं मार्च के पहले उनके लिए हुक्म दे दिया गया है कि बिजली नहीं दी जायगी। मैं निवेदन करूंगा कि पहले बिजली दी जाय और साथ ही साथ बलिया में रानीपुर तहसील में जो सात घंटा बिजली लगी है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिये। साथ ही मैं एक बात कहूंगा कि मीटर से बिजली की चोरी होती है। पूर्वांचल का कर लाखों रुपये की बड़े लोग चोरी करते हैं। इसका उपाय यह है कि जिस क्षेत्र से बिजली गायब होती है और कम वसूली दिखाई पड़ती है तो कम से कम वहां के इंजीनियर को नियुक्त किया जाय। अगर इस तरह से कड़ा कदम उठाया जायगा तो बिजली की चोरी कम होगी। आखिरी बात कह कर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। एक साल बराबर हमारी योजनाओं के तहत काम कर रहा है। अर्थराजन कमेटी की सिफारिश हुई थी १९७० में कि जिनकी सर्विसेज ३ साल की हो चुकी हैं उनको पुस्तकिल कर दिया जाय। आज जुलाई १९७४ है लेकिन एक मजदूर की सर्विस भी मुस्तकिल नहीं हुई। इस तरह से मजदूरों के अन्दर असंतोष होता है। इससे इन्डस्ट्रि काम में दिक्कत पैदा होती है, मजदूर अपनी लड़ाई लड़ेगा और हड़ताल करेगा।

श्री भारत सिंह (जिला पौड़ी-गढ़वाल) ---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विद्युत बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यदि हम इस प्रदेश में आर्थिक और हरित क्रांति लाना चाहते हैं तो हमें विद्युत का सहारा लेना ही पड़ेगा। आज जो बजट है उसमें और भी अधिक पैसे की बात होनी चाहिये था। पंच वर्षीय योजना

में अनेकानेक परियोजनाओं को चलाना पड़ेगा ताकि अधिक से अधिक विद्युत पैदा की जा सके और भूमिगत पानी को ट्यूबवेल के जरिये ऊपर लाया जा सके। इसके लिये पहाड़ों में बड़ी बड़ी परियोजनायें चलायी जा रही हैं ताकि हम औद्योगीकरण की दिशा में आगे बढ़ सकें। मैं समझता हूं कि बिजली के मामले में जहां २०–२२ साल पहले १९७ मेगावाट बिजली पैदा होती थी अब १,५०० मेगावाट बिजली पैदा होती है। यह संतोषजनक प्रगति का द्योतक है। लेकिन जब औद्योगीकरण और हरित क्रांति की बात आती है, तो और भी अधिक बिजली की आवश्यकता महसूस की जाती है। सरकार ने जो पांचवीं पंच वर्षीय योजना रखी है उसमें जो परियोजनायें बिजली के लिये रखी गयी हैं, उनके नाम मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं कालागढ़ की विद्युत योजना के बारे में निवेदन करूंगा जिससे १९८ मेगावाट विद्युत पैदा होगी। इसके लिये गढ़वाल में डैम बना है। वहां के चारागाहों को काट कर पहाड़ में यह डैम बना है। इस डैम के बनने से मैदानी भागों में १७ लाख एकड़ भूमि को पानी मिलेगा और १४ जिले लाभान्वित होंगे। यह मेरे जनपद में आता है। गढ़वाल के रहने वालों की मांग है कि सबसे पहले इस डैम से बिजली पहाड़ों को मिलनी चाहिये, क्योंकि यह वहां की जमीन को काट कर बनाया गया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस डैम के समीप पिछड़े क्षेत्र हैं उनको बिजली मिलनी चाहिये, जैसे दुगड्डा, रिखमी खाल, लैंसडाउन, नैकीदांडा, बीरीखाल, ढांगू आदि विकास खंडों को ताकि यहां औद्योगीकरण का विकास हो। मेरे निर्वाचन क्षेत्र गढ़वाल में दूसरी परियोजना बन रही है जिसका नाम है ऋषिकेश-हरद्वार परियोजना, जिससे १०८ मेगावाट बिजली पैदा होगी। गढ़वाल जनपद के लोगों की मांग है कि इस परियोजना का नाम गढ़वाल चीला जल विद्युत परियोजना होनी चाहिये, क्योंकि यह वहीं बनी है। इससे जो बिजली पैदा होगी, वह उसके समीप जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उनको मिलनी चाहिये, जैसे ढांगू क्षेत्र आदि। उसके बाद मनेरी भाली परियोजना है जिससे प्रथम चरण में ९३ मेगावाट बिजली पैदा होगी। इसी मनेरी भाली परियोजना से द्वितीय चरण में १५६ मेगावाट बिजली पैदा होगी। दूसरी परियोजना पाला मनेरी की है जिससे २०८ मेगावाट बिजली पैदा होगी। लोहारी नागा पाली परियोजना से २८८ मेगावाट बिजली पैदा होगी। विष्णुप्रयाग विद्युत परियोजना से २६४ मेगावाट बिजली पैदा होगी। टिहरी बांध से 600 मेगावाट बिजली पैदा होगी। कोटेश्वर बांध से १८० मेगावाट बिजली पैदा होगी। धौली गंगा, पिथौरागढ़ परियोजना चल रही है, जिससे ३०५ मेगावात बिजली पैदा होगी। इसके बाद गोरीगंगा से २०० मेगावाट बिजली पैदा होगी।

इस तरह से पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हमारी सरकार की इच्छा है कि अधिक से अधिक प्रदेश की बिजली दे तो उसके लिये ५०० मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी। जो प्रयोजनायें मैंने बतलाई हैं उनके पूर्ण होने से लगभग आधी से अधिक आवश्यकता प्रदेश की पूर्ण हो जायगी। सरकार ने इसको प्रस्तावित किया है तथा उनका सर्वेक्षण भी किया अतः उनकी सरकार जल्दी से जल्दी पूर्ण करे। रिहन्द डैम के बारे में हर साल बात आती है। मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी प्लानिंग में बहुत बड़ा दोष रहा है। इसके पूर्व गढ़वाल में भी मरोड़ा डैम बनने जा रहा था। ३०,४० लाख रुपया उस पर खर्च भी हो गया। आज से १५,२० साल पहले यह डैम बन भी गया होता और प्रदेश में आज जो बिजली का संकट आ गया है। यह न आया होता। मैं पुनः मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मरोड़ा डैम पर पुनः काम शुरू किया जाय। अमेरिका के टेक्नीशियन्स ने इसका सर्वे भी कर लिया है। उन्होंने सिफारिश की है कि यह डैम बहुत सुन्दर है पश्चिमी जिलों को पानी देने के लिए और प्रदेश को बिजली देने के लिए यह वरदान सिद्ध होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस डैम को फिर से बनाया जाय और इस पर शीघ्र काम चालू किया जाय।

श्री भारत सिंह--

इसके अलावा पहाड़ों में एक नहीं सैकड़ों ऐसी नदियां हैं, झरने हैं जिन पर बहुत कम पैसा लगाने से बहुत अधिक लाभ हो सकता है, ज्यादा बिजली पैदा हो सकती है और प्रदेश का बिजली का संकट दूर हो सकता है । उन का सर्वेक्षण किया जाय और जो करोड़ों रुपये की योजनायें बन रही हैं उनके स्थान पर ये छोटी छोटी योजनायें बनाई जायं, जो जल्दी बन सकती हैं और बहुत अधिक बिजली उनसे पैदा हो सकती है ।

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इसके लिये एक अनुसंधान केंद्र खोला जाय और वहां इन सारी योजनाओं पर सर्वेक्षण किया जाय । इनमें से बहुत सी योजनाओं पर पहले भी काम हो चका है । खोह नदी पर छोटा सा डैम बन सकता है । नयार घाटी पर भी डैम बन सकता है । गौणीछड़ा पर बिजली बन सकती है । हमारे यहां कोटद्वार में बिजली रोस्टरिंग सिस्टम पर भी सही ढंग से नहीं आती है । रोज बिजली टटती है । बिजली विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि जो बड़े-बड़े उद्योग प्लेन्स में लगे हुए हैं चोरी से बिजली वहां चली जाती है, उस चोरी को रोका जाय और कोटद्वार को बिजली दी जाय ।

पुनः मैं अनुदान की मांग का समर्थन करता हूं, और कटौती के प्रस्ताव का विरोध । धन्यवाद ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया । किसी भी राष्ट्रीय जीवन में बिजली का अपना स्थान है । अगर हम अपने प्रदेश को इस संदर्भ में देखें तो एक धूमिल तथा तेजहीन तस्वीर हमारे सामने आती है । जो रिपोर्ट सदन में पेश की गयी है उसको देखने से पता चलता है कि चालू पंचवर्षीय योजना के अन्त में भी हमारे प्रदेश में बिजली की खपत ५०,६० किलोवाट के हिसाब से जायगी जब कि दूसरे प्रदेशों में वह २०० किलोवाट जाने वाली है । ऐसा क्यों हो रहा है । इस संदर्भ में हमको सोचना चाहिये, तब मैं सदन का ध्यान कुछ तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । यह बिजली उद्योग पब्लिक अंडरटेकिंग में है । यह सरकार अपने को समाजवादी सरकार कहती है और समाजवादी सरकार के लिये पब्लिक अंडरटेकिंग अथवा सरकारी सेक्टर जो होता है उसकी एक अहमियत होती है ।

हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस सेक्टर के कार्यकलापों की एक नंगी तस्वीर हमारे सामने रखी गई है जिससे न केवल जनता का ही विश्वास खो गया बल्कि ऐसे प्रगतिशील लोग जिनका कि पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग में विश्वास था उनका विश्वास भी इनके प्रति खो गया है । आज इस विद्युत बोर्ड की तस्वीर हमारे सामने है जिसको कि एक सफेद हाथी कहा जाता है प्रदेश की करोड़ों गरीब जनता का टैक्स का पैसा, जो बिना खाना खाये खेतों में काम करते हैं, पसीने से तर-बतर होकर काम करते हैं, हथियार चलाते हैं उनका पैसा फिर आज इस सदन के द्वारा हम देने जा रहे हैं जिसे वह हजम कर देंगे । श्रीमन्, मैंने कभी भी यहां पर एक लाख रुपये से कम के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया । आज भी मैं यहां पर इस विद्युत बोर्ड के ऊपर करोड़ों रुपये के गबन का आरोप लगाने के लिये आया हुआ हूं । सन् १९७१ में बिहार की एक कम्पनी है जो कि सरकारी सेक्टर में काम करती है उसने ट्रांसफारमर को सप्लाई करने का टेंडर दिया । वहां के जो सरकारी अधिकर हैं, डाइरेक्टर हैं वे यहां आकर २५ दिन तक विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष के बंगले चक्कर लगा रहे और चूंकि वे ५ फीसदी कमीशन देने के लिये तैयार नहीं थे, न दे सकते थे इसलिये चेयरमैन ने उनके टेंडर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का नुकसान कर दिया और ऐसी फर्म का टेंडर स्वीकार किया जिससे पर्याप्त मात्रा में उनको कमीशन मिला ।

हमारे माननीय सदस्य ओम प्रकाश जी ने भी यही आरोप लगाया किन्तु उसका कोई असर मंत्री जी पर नहीं पड़ा । १९७३ में फिर उसी बिहार की कम्पनी ने टेंडर दिया और कहा कि जिस रेट पर आप दूसरी फैक्टरी से खरीदना चाहते हैं उसी रेट पर हम भी देने को तैयार हैं, हमें भी मौका दिया जाय कि हम भी टेंडर दें, किन्तु उसे भी अस्वीकार कर दिया गया । यह रहा एक स्कैंडल । अतः मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रकार से करोड़ों रुपये विद्युत् बोर्ड के चेयरमैन निगलने की तलाश में हैं । आधा तो वे निगल ही चुके हैं, पेट फट न जाय इसलिये कुछ गति उनकी धीमी हुई है ।

एक आदेश हुआ कि तांबे का तार वापस ले लिया जाय और अल्मूनियम का तार लगाया जाय । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कितना आज तांबे का तार लगा हुआ है, कितना वापस हुआ है, कितना आपके स्टोर में गया है, कितना वहां पर पड़ा है और कितना तार ब्लैक हुआ है । मेरे पास आंकड़े हैं, हो सकता है आप इन आंकड़ों पर भरोसा न करें लेकिन आप इसकी इन्क्वायरी अवश्य करा लें । मैं सबूत देने के लिये तैयार हूं । मैं अदालत में मुकदमा चलाने के लिये भी तैयार हूं । मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि आज ४० करोड़ रुपये की ब्लैक मार्केटिंग इस कापर वायर में हुई है । इस पर मंत्री जी आज मुझे फैसला दें और साथ ही मैं उनसे यह भी प्रार्थना करूंगा कि इसकी जांच हेतु वे एक रिटायर्ड जज की नियुक्ति कर दें और तब आपको पता चलेगा कि कितनी धांधली है । कोई हिसाब नहीं है आज ४० लाख का कोपर सड़ रहा है । कितने की खपत हुई है, कितना बच जाता है और कितना इस्तेमाल होता है । इसका कहीं कोई लेखा-जोखा नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि और मांग करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें । जनता के पैसे का दुरुपयोग करने वाले लोगों को एयर कंडीशन्ड बंगलों में रहने का अब कोई स्थान नहीं रह गया है बल्कि उनको जेलों में जगह मिलनी चाहिये उनको मुअत्तल कर दिया जाना चाहिये । मंत्री जी एक रिटायर्ड जज की नियुक्ति इन सारे मामलों की छान-बीन करने हेतु, कर दें तभी इस विद्युत बोर्ड की घिनौनी, नंगी और भ्रष्टाचार में लिप्त तस्वीर जनता के सामने आयेगी, प्रदेश के सामने आयेगी और देश के सामने आयेगी ।

मैं आपका ध्यान एक दूसरी की ओर खींचना चाहता हूं । पिछली बार इंजीनियर्स की हड़ताल हुई थी और उसके फलस्वरूप उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई थीं । यह एक अच्छी बात है कि मजदूरों के लिये ऐसा किया गया । लेकिन आज लगभग 1 लाख मजदूर इसमें काम करता है जो छोटे कर्मचारी थे उनका क्या हुआ ? बड़े लोगों की तनख्वाहें बढ़ीं छोटे लोगों की वही रह गयीं । समाजवाद का स्वप्न कागज पर रह गया । आमदनी की खायी बढ़ती गयी । विषमता की खायी घटी नहीं और चौड़ी होती गयी । इसलिये मैं मांग करता हूं कि छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहों पर फिर से विचार किया जाय और उनको दूसरी सुविधायें दी जायं ।

मैं आपका ध्यान गोरखपुर जिले की ओर ले जाना चाहता हूं । एक पावर स्टेशन सहजनवा में बनने वाला था । बड़े परिश्रम के बाद हम लोगों ने दिल्ली की सरकार से लड़ कर सहजनवा में पावर स्टेशन स्थापित करने की योजना बनवाई । उससे पूर्वी जिले के १५ जिलों को बिजली मिलेगी । लेकिन बड़े-बड़े भूमिपतियों ने एक्सपर्ट्स को घूस देकर इस बात की हमें आशंका है, ऐसा प्रतिवेदन भेजवाया है दिल्ली को कि वहां पावर स्टेशन नहीं बन सकता है । राप्ती का पानी नहीं आया है । बलरामपुर में बैरियर है, जब कि कोई बैरियर नहीं है । सरकार केन्द्र को लिखे कि सहजनवां में बिजलीघर जो लगने वाला है वह न हटाया जाय नहीं तो पूर्वी जिले के लोग सत्याग्रह करें, संघर्ष करेंगे और उसे जाने ही देंगे । मैं आग्रह

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

करूंगा कि जैसा आपने आश्वासन दिया है इस मामले को केन्द्र तक ले जायं, फिर से सर्वेक्षण करवायें, किसी प्रकार पानी की कमी नहीं है। कोई बन्धा नहीं है। जो स्टेशन बनेगा उससे १५ पूर्वी जिलों को बिजली मिलेगी। इन शब्दों में साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(इस समय ४ बजकर ८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री जयराज गौतम (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे इस सम्मानित सदन में माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है।

मान्यवर, जारशाही से जब रशा मुक्त हुआ तो बिजली के महत्व पर जोर देते हुए मजदूरों के मसीहा लेनिन ने कहा था कि "इलेक्ट्रिसिटी प्लस सोवियत इज इकुअल टू रशियन सोशलिज्म।" उसी तरह से हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने भी इस दिशा में सोचते हैं, कि बिजली का जो संकट इस प्रदेश में है शीघ्रातिशीघ्र हम इसका सही सोल्युशन निकालें, इस प्रदेश की नौ करोड़ जनता को हम सही दिशा दे सकें, बिजली और पानी दे सकें। चूंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, मेरा भी कुछ अपना अनुभव है, उसको मैं आपके माध्यम से विद्युत मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहता हूं।

पहली बात यह कि बिजली का घाटा क्यों होता है। उसका एक कारण यह है कि बड़े-बड़े मिल मालिक मीटर रीडर्स से मिल कर यदि एक हजार यूनिट खर्च होती है तो केवल २ सौ यूनिट खर्च हुई दिखायी जाती है जिससे ८ सौ यूनिट की चोरी हो जाती है।

दूसरे इनके जितने भी स्टोर्स हैं किसी भी स्टोर की अगर जांच करवा ली जाय तो उसमें ऐसे भी यन्त्र, पुर्जे मिलेंगे जिनकी कोई उपयोगिता नहीं।

तीसरे इनके ट्रांसफारमर देखने पर ऊपर से उसकी शक्ति कुछ और है अन्दर कुछ और है। उसमें जब उसकी कैपेसिटी से ज्यादा बिजली आती है तो वह जल जाता है और किसानों को संकट का सामना करना पड़ता है।

चौथी बात यह है कि विद्युत् बोर्ड ने किसानों की मिनिमम गारंटी देने की व्यवस्था की है चाहे बिजली मिले या न मिले। यह उनके साथ अन्याय होता है।

पांचवीं बात यह है कि जब कभी जन प्रतिनिधि अपने सुझाव विद्युत् बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों के पास भेजते हैं तो सबसे पहले उनके सुझावों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। जब टेलीफोन से पूछा जाता है तो पता चलता है कि मीटिंग में बैठे हैं। भगवान से मिलना, माननीय मुख्य मंत्री से मिलना, माननीय विद्युन मंत्री से मिलना सम्भव है। लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों से जनता के प्रतिनिधियों का मिलना सम्भव नहीं है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि इन पर जबरदस्त अंकुश लगाया जाय। मैंने केवल ३ मिनट के समय के लिये आपसे अनुरोध किया था, मैंने पहले ही अनुरोध किया था कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से चुनकर आता हूं, मेरा सुल्तानपुर जिला है और दोस्तपुर टाउन एरिया, जो वहां का सबसे बड़ा कस्बा है। सुना जाता है कि ऐसी व्यवस्था है कि टाउन एरिया, म्युनिसिपल बोर्ड इनको बिजली अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा दी जाय, लेकिन दुर्भाग्य है कि यह कर्मचारी सदा किसानों को परेशान रखते हैं। तो मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि माननीय विद्युत् मंत्री जी उस तरफ ध्यान दें। मैं अन्त में जो हमारे विरोधी दल के सम्मानित साथी ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसका विरोध करता हूं और माननीय विद्युत मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

१९७४–७५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ७४५ ५६—विद्युत् विकास तथा अनुदान संख्या ९५—ऋण और अग्रिम विद्युत्

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

मैं आपका मान्यवर, आभारी हूं कि आपने कुछ समय इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए मुझे दिया। मान्यवर, आज की डिबेट से यह साबित हो गया कि इधर और उधर दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने माना है कि बिजली जीवन में इतनी उपयोगी और जरूरी चीज है कि इससे बढ़कर कोई चीज जरुरी नहीं है। किन्तु उसमें सबसे ज्यादा खराबी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस विभाग में मौजूद हैं। जो जीवन में जरूरी चीज है, उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, बुराई और चोरी हो तो जीवन का अस्त-व्यस्त हो जाना लाजिमी हो जाता है। इधर और उधर के लोगों ने विद्युत परिषद् के चेयरमैन के बारे में बात कही। मेरे भाई ने भी, जो कटौती के प्रस्ताव के विरोध में बोल रहे थे, किन्तु उसके समर्थन में सारी चीजें कहीं, यह साफ साफ कह दिया कि भगवना से, मुख्य मंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से मिलना आसान है, किन्तु विद्युत विभाग के अधिकारियों और उस परिषद् के चेयरमैन से मिलना बहुत कठिन है। आज धनाभाव की बातें सब जगह कही जाती हैं, लेकिन मैं तिवारी जी से कहूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जो हेलीकाप्टर दे दिया गया है, ठंडा और गर्म कमरा, बंगला दे दिया गया है, ताकि उन्हें सर्दी गर्मी से बचाया जा सके और जनता का दुःख दर्द सुनने के लिये उसके पास समय न रहे, वह कतई ठीक नहीं है। इतनी गड़बड़ी करने वाला आदमी आजादी से घूमता रहे, मस्ती में अपने को रखे, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात अपने लिये कोई नहीं हो सकती है। मैं मंत्री जी से और अपने समस्त साथियों से कहूंगा कि एक हाई पावर कमेटी गठित की जाय, जो ऐसे अधिकारी और पहले के अधिकारियों की जांच कराये और उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाये जिससे काम सुधरे और जनता की जन धन की बर्बादी रुके। यदि यह सरकार ऐसा नहीं करती है, भ्रष्ट अधिकारियों क भ्रष्टाचार का भण्डा फोड़ नहीं करती है तो वह दिन दूर नहीं जब जनता, जो एक एक घूंट पानी के लिये तरसती है, उनसे स्वयं बदला लेगी और वह उनको बख्श नहीं सकती है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह दुर्दिन न आने दें। और समय रहते चले जायं, भ्रष्टों को सजा दें।

मान्यवर, जितने मिल मालिक हैं, जितने बड़े लोग हैं, उनको बिजली की कमी नहीं है, उनको बिजली मिल जाती है किसी न किसी बहाने, लेकिन जो किसान है, जिसे खेती के लिये पानी के लिये बिजली चाहिये, वह उसके लिये तरस कर रह जाता है। सरकार ने ट्यूबवेलों पर पाबन्दी लगा दी है कि अब नये कनेक्शन नहीं मिल सकते हैं। जिनको मिली हुई है, उनकी ऐन मौके पर काट दी जाती है। रात को सिंचाई के लिये बिजली मिलती है। मौके पर बिजली बन्द कर दी जाती है बिजली के मालिक आजकल लाइन इंसपेक्टर बने हुये हैं। बिजली के छोटे-छोटे अधिकारी और कर्मचारी मालूम होता है कि उनके घर की चीज है। मैं गोरखपुर के नालनवां हल्के का एक बात बताता हूं। मैं एक मिल पर बैठा हुआ था। शाम को ६ बजे बिजली उस समय आती थी लेकिन एक आदमी ने खबर दी कि ४/५ मिलें चल रही हैं। जब यह बात सुनी तो मैंने पूछा कि क्या बात है तो मुझे बताया गया कि लाइन इंसपेक्टर है वह मिलों को जब चाहता है बिजली दे देता है। मैं खुद इंसपेक्टर के पास गया और उसको बुलाया। उसके आने में एक डेढ़ घंटा लग गया। उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने कहा कि आप देख लीजिये। यह बहुत ही मोतबिर आदमी है। इस बात का पता लगा लीजिये। उसने जवाब दे दिया कि ऐसी गड़बड़ी नहीं है। बाद को उसने घूम घूम कर मिल मालिकों से जहां वह बिजली दे दिया करता था उनसे कह दिया आपके यहां के विधायक शिकायत कर रहे हैं। इसलिये अब हम आपको बिजली नहीं देंगे। उसने बिजली देना बन्द कर दिया। लोग हमारे पास आने लगे और कहने लगे कि हमारा किसी तरह से काम चल रहा था लेकिन आपने उसको भी बन्द कर दिया। मालूम यह हुआ कि यह मालिक बना हुआ था। नैपाल की बिजली की लाइन से यह बिजली देता था। इस तरह से बिजली की चोरी चल रही थी। इस तरह से चोरी होगी तो कैसे काम चलेगा। जब मेड़ ही खेती खाने लगेगी तो खेत की रखवाली नहीं हो सकती है। इसका एक मात्र उपाय है कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाय और सख्त से सख्त सजा दी जाय जिससे वह एक नमूना बने और भ्रष्ट अधिकारियों को डर लगे तभी इसकी चोरी बन्द हो सकती है।

[श्री अब्दुल रऊफ़ लारी]

मान्यवर, कारखानों की हालत यह है कि उनमें बड़े-बड़े अधिकारी आर्डर देकर अपना घरेलू सामान बनवाते है । ऐसा मालूम होता है कि उनके घर की ही चीज है । एक रोज हमको खबर मिली थी । डी० एम० के यहां शिकायत आई थी । उस वक्त मैं भी वहां बैठा हुआ था । डी० एम० ने कहा कि इसकी रिपोर्ट पुलिस में कर दो । यह बात एस०पी० पर गई, वहां से इन्सपेक्टर के पास और फिर थानेदार तक पहुंची तो बात फैल गई और वह चीज हटा दी गई । जब यही लोग चोरी करने लगेंगे तो क्या हालत होगी । इसको समझने की जरूरत है । मैं यह अर्ज करूंगा कि इधर ध्यान दिया जाय और खासतौर से बुनकरों को बिजली की खास जरूरत है, किसानों को जरूरत है, इनको पहले बिजली दी जाय ताकि जन जीवन पनप सके और लोगों की हालत संभल सके । अगर यह नहीं हुआ तो हालत दिन ब दिन बदत्तर होती जा रही है । मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री हिम्मत सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, बिजली के ऊपर उधर के बोलने वाले और इधर के बोलने वाले सदस्यों ने भाषा वही बोली जो मैंने कही और मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, यह व्यवस्था की गयी है कि स्थान पर ही बिल बनाकर कंज्यूमर को दे देंगे लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है । लखनऊ में ४ महीने से बिल नहीं बने । लखनऊ में छोटे-छोटे कन्ज्यूमर हैं जो १७ लाख रुपया रेवेन्यू देते हैं और जो बड़े-बड़े हैं वह ८ लाख रुपया रेवेन्यू देते हैं । इस प्रकार से ४ महीनों में २५ लाख का रेवेन्यू लखनऊ में बाकी है और केवल इसलिये बाकी है कि इन लोगो ने बिल बना कर नहीं दिया । छोटे-छोटे दुकानदार है और जो उद्योग चलाते है उनके कनेक्शन कटने की नौबत आ जाती है क्योंकि बिल उनके पास पंहुचता नहीं और वे रुपया जमा कर नहीं पाते हैं । उनके ऊपर इस प्रकार से एक बड़ी रकम बकाया हो जाती है । क्या आप उनकी किश्त करेंगे जिससे उनपर भार न पड़े ? अब बिल-कम-नोटिस दिया जाने लगा है जो बिजली ऐक्ट की धारा २४ के अन्तर्गत वर्जित है । मैं माननीय मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि बोर्ड के आदमी अपना पैसा वसूल करने में स्ट्रिक्ट नहीं है ।

मान्यवर, इस सदन में बिजली बोर्ड के चेयरमैन पर बड़ा हमला किया गया है । चाहे इधर के बोलने वाले हों या उधर के बोलने वाले हों बिजली बोर्ड के चेयरमैन पर हमला किया है । उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है । टेन्डर आता है और उसे अधिक कमीशन देने वाले को दे देते है । इसके साथ ही साथ जो ब्लैक लिस्टेड थे उनको ठेका दे दिया जो इन्जीनियर जूनियर थे उनको सीनियर बना दिया । आज सदन यह मांग कर रहा है कि चेयरमैन के खिलाफ एक इन्क्वायरी बैठे । इसलिये कि अगर वह बेइमान है तो सारे का सारा विभाग डूब जायेगा । तो आप विजिलेन्स से इन्क्वायरी कराये और साबित करें कि वह इमानदार है । दूसरी बात मैं ओबरा की कहना चाहता हूं । वहां जो होता है और वह पानी की वजह से वहां तापमान होगा । मशीनों के ठन्डे करने की बात आयी । माननीय मंत्री जी का विचार है कि रिहन्ड की सिचुएशन गलत है । ३ मशीनें दो दो सौ मैगावाट की है और द्वितीय चरण में २ महीने दो-दो सौ मेगाटवाट की लग रही हैं तो पता चलेगा कि यह स्थान गलत हो गया है । इसकी वजह से काफी लेबर ट्रबुल हो जायेगी । यह भी शोर हुआ कि बोर्ड का ३३ करोड़ रुपया बाकी है । किन पर बाकी है वह आपके सामने है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस धनराशि को जल्दी से जल्दी वसूल किया जाये । छोटे किसानों के कनेक्शन न काटे जायें । इसलिये मैं आपसे यह कह रहा हूं कि यह ३२-३३ करोड़ रुपये को जैसा आपने बताया कि कुछ सरकारी विभागों पर है और बड़े-बड़े उद्योगपतियों पर भी है । तो मेरा सुझाव है कि जैसे रेवेन्यू वसूल किया जाता है उसी तरह से उसको वसूल करना चाहिये । आज करीब-करीब ३,००० से ऊंचे ट्रांसफारमर चोरी हो गये हैं । या जल गये है और किसानों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को बिजली देने में कंजूसी करते है और कास्तकारों को बिजली नहीं दी जाती है । किसानों को कहा जाता है कि तुम्हारा नम्बर नहीं है, मुद्दत बाद नम्बर आवेगा । जब वह किसान उनको १००–२००, ५०० रु० दे देता है तो उनको तुरन्त बिजली दे दी जाती है और उसका नम्बर तुरन्त आ जाता है । मेरा सुझाव है कि एक रजिस्टर बनाया जावे जो कि सामने रखा रहे कि ट्रांसफ मर कब जला है और कब नहीं जला है और उस रजिस्टर में सब दर्ज होता रहे। वरना ट्रांसफार्मर के नाम पर लूट हो रही है । वह शायद यह समझता है कि शा द वह अपने घर से बिजली देता है । बिजली इन्हीं के घर से चोरी करके इन्हीं को देता है । तो इस तरह से बिजली की चोरी का जो माध्यम है वह बच जायगा ।

दूसरी बात अभी कही गई कि हम तो बड़ी भारी बिजली पैदा कर रहे हैं और तरक्की की ओर जा रहे हैं । मंत्री जी का स्टेटमेंट है कि देश के अन्दर २५ प्रतिशत बिजली का उत्पादन बढ़ा । मानता हूं उत्पादन बढ़ा, परन्तु मांग भी ७० प्रतिशत बढ़ गई । यह कह देना कि हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं लेकिन मांग भी उसी रूप से तेजी से बढ़ रही है । आपको सोचना पड़ेगा कि हमारा उत्पादन भी उसी तेजी से बढ़े तो हम समझें कि हमारी मांग को आपने पूरा किया है और मांग को पूरा कर नहीं पा रहे हैं। आज हम प्रदेश को ४ हिस्सों में बांटे हुये हैं लेकिन केन्द्र के मंत्री कहते हैं हम प्रान्त को एक ग्रिट बनाने जा रहे है । तय कर लें कि हमको प्रदेश में और देश में क्या करना है । एक ग्रिट बनाना है या चार भाग में रखना है । इसको सोचें और काम करें। इसके अलावा मान्यवर अभी यहां कहा गया कि थर्मल प्लान्ट में ८०–८५ परसेंट बिजली पैदा की गई है। मैंने माना और पहले भी मैंने माना और कहते हैं कि आपने यह कहा नहीं । एक बात और कहा कि बोनस की लालच में आकर मशीनों को घड़ाघड़ चलाया गया, उसका परिणाम यह निकला कि जो रिक्वायर समय है,उस रिक्वायर समय में नहीं करेंगे, तो प्रदेश के सारे जनरेटर्स ठप हो जायेंगे और आपको पछताना पड़ेगा । मैंटीनेंस के लिए स्पेयर पार्ट्स और स्पेयर जनरेटर्स भी जरूरी हैं जो आपके पास नहीं हैं ।

अभी हमारे माननीय सदस्य जो इटावा से आते हैं, माननीय मुलायम सिंह जी, उन्होंने अच्छी बात बताई । उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशनों पर सामान पड़ा हुआ है और उन पर डैमेज लग रहा है । आपकी भारत हेवी इलेक्ट्रिक कम्पनी ने सामान देना बंद कर दिया है क्योंकि आपकी यह परिषद् दिवाले में चल रही हैं और कर्जे में चल रही है । इसलिए आपको विचारना पड़ेगा कि आपकी शाख बिलकुल खत्म हो गई और जब शाख खत्म हो गई तो फिर कुछ कहना ही नहीं है, तब फिर इसको खत्म कर दिया जाय । एक बात और कहना है कि जो १५ हजार, ३० हजार आबादी वाले घंटे लगे हैं नोटीफाइड एरिया और म्युनिसिपल एरिया में उनको बराबर बिजली दें जिससे कि उनका कल्याण हो । ऐसा नहीं कि देवरिया जिले में बिजली २४ घंटे जले और अन्य जगहों पर बिजली न मिले । जिन जिलों को बिजली बराबर नहीं मिल रही है उनको भी २४ घंटे बिजली मिले । जैसे बांसी हैं, डिबाई है और कंकरखेड़ा है । जो कस्बे बड़े शहरों से मिले हुए हैं, उनको भी आप बिजली पहुंचायें । मुझे आशा है जो सुझाव मैंने सदन के समक्ष रखे, माननीय मंत्री जी उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)––

माननीय अध्यक्ष महोदय. . . .

श्री अध्यक्ष––

आप कृपया बैठें । अब बीच में आपको बोलने का समय नहीं है ।

(इसी बीच में श्री बांकेलाल के खड़े होने और कुछ कहने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

(माननीय नेता विरोधी दल को सम्बोधित करते हुए) मैं कितनी ही बार निवेदन कर चुका हूं लेकिन आपके सदस्य नहीं मानते हैं। माननीय चौधरी चरण सिंह ने जिनको नामजद किया कि ये प्रस्ताव रखेंगे, उन्होंने जवाब दिया। आपको इस प्रकार से बीच में नहीं बोलना चाहिए। माननीय हिम्मत सिंह और माननीय मंत्री जी के भाषण के बीच में आप नहीं आ सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य, बुलंदशहर, श्री हिम्मत सिंह जी को बधाई देना अपना गर्व समझता हूं। उन्होंने आरम्भ में जो भाषण दिया उससे विदित हुआ कि उन्होंने बहुत गहराई से इस विषय पर अध्ययन किया। आज आवश्यकता यह है कि विद्युत के उत्पादन और वितरण के विषय झगड़े को समाप्त करने के लिए एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाये और उसमें जो हमारा पिछला इतिहास है, उसका न केवल सिंघावलोकन करें बल्कि गहराई से अध्ययन करें। जो आंकड़े माननीय सदस्य ने दिए हैं, वे करीब करीब सही थे। जो बातें हमने कहीं उनसे ५-१० फीसदी कुछ हेर फेर हो सकता है लेकिन तत्वतः सही थीं। कुछ आंकड़े भिन्न हो सकते हैं लेकिन उनकी लम्बी बहस में जाना मैं आवश्यक नहीं समझता लेकिन निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या निष्कर्ष यह निकलता है कि बिजली पर व्यय अधिक है और यह केवल १ रुपया कर दिया जाय। जो प्रस्ताव उन्होंने रखा उसमें अभूतपूर्व बात तो यह है कि बिजली पर जो प्रस्तावित व्यय है वह ४०-४५ करोड़ रुपया है और मांग उनकी है कि एक रुपया कर दी जाय। जो निष्कर्ष उन्होंने निकाला वह त्रुटिपूर्ण है और पुनर्विचारणीय है। बिजली की कमी आज हमारे प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, बल्कि संसार के सभी देश एनर्जी क्राइसिस, विद्युत क्राइसिस से ग्रस्त है। मैं यह नहीं कहता कि अगर और जगह है, तो हमारे यहां भी हो।

श्री हिम्मत सिंह--

एक रुपये कर देने का तात्पर्य यह है विभागीय नीतियों की आलोचना करना और सुझाव देना।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

तो कम से कम माननीय सदस्य यह तो कह सकते थे कि सम्पूर्ण अनुदान की राशि में से एक रुपया कम कर दिया जाय।

श्री माधाव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

उससे कम में हो सकता है?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह तो सारा माधव जी का प्रसाद है। श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मेरे पास में केवल उदाहरण के लिए "न्यूज वीक" मैगजीन की प्रति है, जिसका मुख्य पृष्ठ पर हेडिंग है, "ब्रिटेन्स न्यू डार्कएज" यह पिछले दिनों का है। इसमें मोमबत्ती जल रही और दूकान चल रही है। दूसरा "टाइम" मैगजीन है उसमें अमेरिका का चित्रण है। उसमें हेडिंग है, "ब्लैक आउट इन मियामी" और आगे है "विल फ्यूचर बी दिस डार्क? मियामी जो अमेरिका का सबसे अधिक संपन्न क्षेत्र है और ये दोनों मैगजीन अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के हैं. . . . (व्यवधान)

अब यहां पर प्रश्न यह है कि उत्पादन बढ़ाना है नियंत्रण ठीक करना है। कहा गया कि हमारे लाइन लासेज बहुत ज्यादा है। मैं मानता हूं कि वह ऐवरेज से ज्यादा है, लेकिन क्यों है? आज हमारे देश में जिन प्रदेशों में ट्यूबेल की लाइन लम्बी है, ग्रामीण लाइनें लम्बी हैं वहां लाइन लासेज होना अनिवार्य है, जबतक हम सारे सिस्टम को बहुत ज्यादा संगठित न कर लें।

पंजाब छोटा प्रदेश है हमारी तुलना में, वहां सबसे ज्यादा ट्यूबवेलों का इस्तेमाल होता है। वहां की जनसंख्या कम जो ग्रिड है वह छोटा है और लाइनें छोटी हैं, जिले कम हैं संख्या में। तो वहां लाइन लासेज का ३३.३५ ऐवरेज है और ऐवरेज २२ है, चूंकि खेती में बहुत ज्यादा बिजली का प्रयोग होता है। तामिलनाडु में जहांपर औद्योगीकरण बहुत ज्यादा है उद्योग बहुत हैं और बिजली का विकास प्रथम पंचवर्षीय योजानकाल में ही कामराज के जमाने में वहां हुआ उन्होंने पावर बेस बना लिया। स्कूल-कालेज बन्द करके उन्होंने पहली प्राथमिकता पहली और दूसरी योजना में बिजली को दी। वहां लाइन लासेज १७ परसेंट हैं।

हरियाणा में जहां प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच गयी, छोटा राज्य है, वहां लाइन लासेज २८.५२ हैं। आंध्र प्रदेश में जहां ऐग्रीकल्चरल प्रदेश है लाइन लासेज २९.१३ परसेंट है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि लाइन लासेज कम होना चाहिए––मैं स्वीकार करता हूं लेकिन इसके कुछ कारण हैं। इनको कम करने की कई चेष्टाएं की जा रही हैं। एक तो कैपेसिटर यन्त्र होता है जो इस प्रकार के लाइन लासेज को रोक सकता है, तो इसमें यह तय हुआ है कि ८० स्थानों में सबस्टेशंस बनाये जायं। तो ४२ नये सब स्टेशन ४२८ किलोमीटर लम्बी लाइनें और के०बी० की अन्य लाइनें बनायी जा रही हैं और उसके लिए ६ करोड़ रुपया स्वीकार हो चुका है।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)––

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब इसपर चर्चा हो रही है तो इस सदन में दो दल हो गये है––एक विरोध-पक्ष और एक सरकार का पक्ष। लेकिन इस रिपोर्ट को जो राज्य विद्युत् परिषद् की है, पढ़ने से पता चलता है कि सारी बहस में एक पार्टी और है––राज्य विद्युत् परिषद् उस पार्टी ने इस रिपोर्ट में सरकार के ऊपर आरोप लगाये हैं––१७ पृष्ठ पर देख लें––कि सरकार की फ़लां फलां नीतियों की वजह से करोड़ों रुपयों का घाटा रहता है। तो वह पार्टी चूंकि बोल नहीं रही है . . .

श्री अध्यक्ष––

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह तो भाषण में कहा जा सकता है।

श्री सत्यपाल मलिक––

इसको कौन रखेगा ? इसका जबाव दिलवा दीजिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी––

मैं उसका उल्लेख करूंगा जब आप चाहते हैं। हाल में जो कदम उठाये हैं मुख्य मंत्री जी ने कि हर जोन में मीटरिंग कर दिया है सारी लाइन में और उसका रास्टरिंग रखा जायगा कि क्यों बिजली गयी। इसके अलावा चार नये रीडिंग मोबाइल स्क्वाड्स की नियुक्ति की गयी है, मैजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की गयी है और डिप्टी एस०पी० और पब्लिक प्रासीक्यूटर सब साथ-साथ जायेंगे और जो चोरी करेंगे उनको मौके पर सजा देंगे ऐसी व्यवस्था की जा रही है।

यह कहा गया कि हरदुआगंज का स्टेशन ठीक से कार्य नहीं कर रहा है और बोनस स्कीम की वजह से ऐसा हुआ ऐसी कुछ माननीय सदस्य बलन्दशहर को सूचना मिली। हो सकता है कि इक्का दुक्का कर्मचारी ने ऐसा किया हो लेकिन आमतौर से बोनस स्कीम से जो उत्पादन क्षमता बढ़ी है वह यह कि ४०२५ किलोवाट आवर से बढ़ कर ५,१३३ किलोवाट आवर हो गयी। अब जो केन्द्र ने निर्णय लिया है, जो उत्तर प्रदेश में भी लागू है, उसके हिसाब से यह ५,१३३ किलोवाट आवर से बढ़ा कर ६,००० किलोवाट आवर उत्पादन किया जाय। और भी निर्णय लिये गये हैं ब्वायलरों की ओवरहालिंग चार हफ्ते में हो जानी चाहिये।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

स्पेयर पार्ट स के लिये ठीक कहा कि उनकी कठिनाई है। तो भारत हैवी एलेक्ट्रिकल्स से चेष्टा की गयी है कि स्पेयर पार्ट स का एक पूल बनाया जाय। अभी माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि इनवेन्टरी कंट्रोल हमारा उतना सही नहीं है जितना होना चाहिये। अगर उसको सेन्ट्रलाइज करते हैं तो समय से उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है। इसलिये बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। एक तरफ इन्वेन्टरी कांट्रोल ठीक से हो और यह भी न हो कि जो आवश्यक उपकरण है वह समय पर मिलें नहीं। यह ठीक है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में पहली बार हमारे देश में बड़े पैमाने पर भारी मशीनें बनानी शुरू हुई हैं। कुछ मशीनें पहले से विदेश की आई रखी है। बायलर एक जगह बनते हैं, पाइप दूसरी जगह बनता है। हजारों पुर्जे बनते हैं। हो सकता है कि एक दूसरे की चूले न बैठे और यह किसी भी विकासोन्मुख देश में जो सैकड़ों वर्षों की पराधीनता के बाद आर्थिक स्वतंत्रता के लिये संघर्ष कर रहा हो और नये नये भारी उपकरणों का उत्पादन कर रहा हो, हो सकता है कि वही पारदर्शिता, दक्षता और सूक्ष्मता शुरू-शुरू में न प्राप्त कर पाये उन देशों के मुकाबले में जहां सैकड़ों वर्षों से इस प्रकार के उपकरणों का उत्पादन हो रहा है। शुरू शुरू में यह दिक्कत होती है कि जिसे टीदिंग ट्राबल कहते हैं। एक सौ मेगावाट का ओबरा में लगा रहे हैं। तो पहले पहल कुछ टीदिंग ट्रबल्स रहेंगे। हर मशीन में यह होता है। इसी प्रकार की कठिनाइयां हरदुआगंज में हुई हैं। उन कठिनाइयों का निराकरण करने की चेष्टा की जा रही है। जो अलग अलग मशीनें हैं उनका तालमेल बैठे इसकी चेष्टा की जा रही है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेसेज नम्बर ११० जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एस० पी० एस० ओ० २८ मई को जारी किया गया कि २९ और ३० मई को बड़हरा कप्तानगंज फीडर पर कांटीन्यूड सप्लाई की जाय क्योंकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की लड़की की शादी है। यह गम्भीर बात की गयी है। अगर आपने इस बात का जवाब नहीं दिया तो मैं समझूंगा कि आप विद्युत मंत्री नहीं है अन्धकार मंत्री है। २९ और ३० को उस फीडर पर बिजली नहीं मिलती। दो दिन मिनिस्टर वहां दावत खाने गये। तो 2८ मई को यह जारी किया गया है, मंत्री जी इसके बारे में जवाब दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

माननीय सदस्य, देवरिया, प्रसंग से बाहर चले गये आप लिख कर दें तो मैं उसको (व्यवधान) दिखवा सकता हूं।

मान्यवर, मैं हरदुआगंज में होने वाली कठिनाइयों को बता रहा था। कोयले की बात कही गयी। कोयला अच्छा नहीं आ रहा है यह कहा गया। केन्द्रीय सम्मेलन में अब यह निर्णय हुआ है कि सेन्ट्रल फ्यूल रिसर्च इन्सटीट्यूट के जरिये कोयले की खानों में भी टेस्टिंग होगी और जिस पावर हाऊस में वह आयेगा वहां पर भी पुनः उसकी टेस्टिंग होगी। दोनों जगह टेस्टिंग हुआ करेगी।

जो और बातें कही गयीं, लोड कर्व है, लाइन लासेज है, समय से बिजली न मिलने की बातें हैं, इसको भी हम देख रहे हैं। मेरे सामने यह एक दिन की बिजली का चार्ट है, बाहर से जो बिजली आती है उसका। ४ जुलाई को जो बिजली आयी उसमें १०-११ घन्टे के अन्दर इतने फ्लक्चुएशन्स हुये कि उसकी तादाद १९० तक हो गयी और इसका असर बिजली पर पड़ता है। (व्यवधान) इसकी वजह से आम तौर से ग्रिड में भी कठिनाई पैदा होती है।

माननीय प्रभुनारायण सिंह जी ने बड़े अच्छे सुझाव दिये हैं जो मुझे स्वीकार हैं। उन्होंने रिहन्ड के बारे में चर्चा की। हमने यह कभी नहीं कहा कि रिहन्ड टकनीकली गलत बना। प्रश्न यह है भी नहीं कि टेकनीकली गलत बना या सही। प्रश्न पानी का है। वह नहीं मिल रहा है। जितनी आशा थी वह नहीं मिला। कनहर नदी से पानी रिहन्ड में लाने की बात

चलायी जा रही है। चूंकि मध्य प्रदेश का कैचमेंट एरिया इसमें आता है, इसलिये उनसे भी बात करना होगी, बिना उनकी मदद के यह नहीं हो पायेगा। हम उसके लिये केन्द्र से भी बात करेंगे। जो प्राथमिक विश्लेषण हुआ है उसके अनुसार करीब ४० करोड़ की कनहर योजना बन रही है। बिहार को भी सिंचाई के लिये पानी इसमें से जाता है। उनसे भी बात करना होगी।

श्री प्रभु नारायण—

डैम तो बन ही रहा है, तो उसकी धारा को मजबूत करने के लिये टनल की बात थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ठीक है, वह सिंचाई की योजना है जब पावर परपजेज के लिये बनायेंगे तो उसका वृहदाकार करना होगा। तो इस संबंध में हमें उनसे बातचीत करनी पड़ेगी।

जहां तक बिजली बोर्ड के संगठन का सवाल है, यह सर्वसम्मति से और सदन की राय से तय किया गया था कि जैसे रेलवे बोर्ड है उसी तरह से इस बिजली बोर्ड के इंजीनियरों को अवसर मिलना चाहिए कि वह उसको चलायें। और यह सर्व सम्मति से राय दी गयी थी कि उनको अवसर दिया जाय। लेकिन जो कुछ इसके अन्दर हो रहा है मैं उसकी अधिक चर्चा नहीं करना चाहता। इस सदन में जो भावना व्यक्त की गयी है मुझे विश्वास है कि बोर्ड उस भावना का आदर करेगा।

मुझे यह बतलाया गया कि बोर्ड के चेयरमैन और अन्य अधिकारियों से माननीय सदस्यों को मिलने का समय कम मिलता है। अगर इतने माननीय सदस्य कहते हैं तो इसमें अवश्य सार होगा। मैं बोर्ड के अधिकारियों से और चेयरमैनों से आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्यों के सुझाव के लिए और परामर्श के लिए कम से कम 2 घंटे का समय रोज निश्चित करें। जिससे माननीय सदस्यों को सुविधा हो।

जहां तक बोर्ड के विकेंद्रीकरण का प्रश्न है, यह सुझाव विचाराधीन है कि जनरेशन बोर्ड अलग किया जाय जो उत्पादन कार्यों को देखे। जैसा कि मैसूर में है। वहां मैसूर कर्नाटक पावर कारपोरेशन अलग बना है। इस तरह से सोचा जा रहा है।

श्री कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, माननीय तिवारी जी मुझे क्षमा करेंगे। जब यह रिहन्द बन रहा था तो आप हम लोगों के साथ थे, उस समय आपने कहा था कि रिहन्द गलत जगह पर बना है और आज कह रहे हैं कि सही जगह पर बना है। तो क्या प्रकाश डालेंगे सही बात पर ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आभारी हूं कि माननीय श्रीपाल सिंह पुरानी बात याद दिला रहे हैं। उस समय तो मैंने कहा था, मैं अपेक्षा करूंगा कि जहां आप अपनी जगह पर नहीं हैं वहां मैं अपनी जगह पर नहीं हूं। उस समय भी रिहन्द के बारे में मैंने जो कहा था वह आज भी कह रहा हूं। रिहन्द के बारे में केवल शिकायत यह है कि वह गलत जगह पर बना है। रिहन्द को बाढ़ का पानी मयस्सर नहीं होता है। यह कठिनाई है और यह सही है। इसको दूर करने के लिए हमारी कोशिश जारी है। यह भी सही है कि रिहन्द जब शुरू में बन रहा था तो वह पूर्वी जिलों की ट्यूबवेल प्रणाली के लिए बनाया गया था और यह विचार था कि उसका ज्यादा उपयोग नहीं किया जायगा। लेकिन आज बिजली की कमी है और अब रिहन्द सारे उत्तर प्रदेश की ग्रिड का आधार बना हुआ है। इसमें रिहन्द का दोष

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

नहीं है। जिस काम के लिए वह बनाया गया था वह उस काम के लिए पर्याप्त है। लेकिन जब बिजली की आवश्यकता बढ़ गयी और उसका 24 घंटे इस्तेमाल करने लगे तो यह कठिनाई सामने आई। तो उसमें उसका दोष नहीं है। हमको उसका निराकरण करना चाहिए। हमको उसका नवीनीकरण करना चाहिए।

तो श्रीमन्, यह जो कहा गया कि इस बोर्ड के जो अधिकारी हैं और यहां पर जो भ्रष्टाचार है तो उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों कहा गया कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय, मैंने जो देखा और जो सूचना मुझे मिली है कि पिछले वर्ष लगभग १३० लोगों के खिलाफ जांच की कार्यवाही की गयी है। उसमें से कुछ को कम्पसलरी रिटायरमेन्ट, एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेन्ड कुछ को सेन्सर इन्ट्रीज तथा वार्निंग दी गई। इस प्रकार कुल मिलाकर १३० आदमियों को दंडित किया गया।

एक सदस्य—

पहले चेयरमैन के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

अब आगे के लिये और सावधान होना है। मैं आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य अब अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ें। यही हमारी पुरानी संस्कृति है, यही हमारी पुरानी धारणा है कि 'तमसो मा ज्योतिगमे'। इसलिये माननीय सदस्य इसके भाव से अंधेरे को अब और, अन्धेरा न करें और कटौती को कृपया वापस ले लें।

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ७० करोड़ रु० का सामान पड़ा हुआ है और उसका इंटेरेस्ट पड़ रहा है। तो यह कहां तक सही है कि जो पहले मंगाया जाने वाला नहीं था तो क्यों पहले मंगा लिया गया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

कुल सामान ७० करोड़ रुपये का नहीं है। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ दिन हुये लगभग ५ करोड़ रुपये का सामान सेक्योर्ड कर दिया गया ताकि उसे छुड़ाया जा सके।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५६ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५६—विद्युत विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९९,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९७४–७५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ७५३ ५६—विद्युत् विकास तथा अनुदान संख्या ९५—ऋण और अग्रिम विद्युत्

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९५ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९५—ऋण और अग्रिम–विद्युत् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४१,९९,८७,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ के अन्तर्गत आज ८ सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इनमें एक हमको महत्वपूर्ण दिखाई पड़ी और वह है कि श्री मुहम्मद मसूद खां, श्री दयाराम भास्कर तथा श्री राम बचन की नोटिस जो चकबन्दी के सवाल को लेकर है, यह कानून कायदे के अलावा यहां से संबंधित है। इसको स्वीकार किया।

आपको (श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होते ही) प्रारम्भिक ज्ञान नहीं है कि जब स्पीकर बोलता है तो उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिये।

राम बचन यादव जी का चकबन्दी के विषय में जो नोटिस आई है वैसे जो चकबन्दी अच्छी हो गई या बुरी, इसका उपचार तो न्याय है, लेकिन चूंकि यह प्रश्न यहां उठा था और मुझे मालूम पड़ा है कि यहां से कोई ऐसी बात हुई है, इसलिये मैं इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं। शेष सभी अस्वीकार।

देवरिया जिले के भूतपूर्व विधायक श्री कैलाश सिंह कुशवाहा की गोली मार कर हत्या किए जाने की घटना के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ८–७–७४ को ८–१५ बजे रात्रि में श्री कैलाश कुशवाहा निवासी ग्राम खोरीबारी, रामपुर थाना भटनी देवरिया अपने पुत्र श्री जय प्रकाश नारायण के साथ अपने ट्यूबवेल की मशीन पर जो उनके दरवाजे के सामने है, जा रहे थे कि रास्ते में सर्व-श्री बृजकिशोर राय, राम बड़ाई राय, कमला राय व पुलेना राय आये और धारा ३९४ भारतीय दंड विधान के मुकदमे की बात करने लगे। इस मुकदमे में श्री कुशवाहा वादी थे व बृज किशोर आदि अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा सेशन सुपुर्द हुआ था। सुलह के बारे में कहा सुनी होने लगी। श्री कुशवाहा ने बताया कि जो कुछ होना है कोर्ट से होगा। बाते सुनकर कुछ अन्य लोग भी वहां पहुंच गये। इतने में अभियुक्त राम बड़ाई आदि के ललकारने पर बृजकिशोर राय ने अपने देशी रिवाल्वर से श्री कुशवाहा पर फायर कर दिया। गोली श्री कुशवाहा के पेट में लगी। लोगों की सहायता से उन्हें भटनी के सरकारी अस्पताल लाया गया जहां उनकी प्राथमिक चिकित्सा हुई। इसके उपरान्त उन्हें डाक्टरी राय के अनुसार सदर अस्पताल, देवरिया ले जाया जा रहा था कि रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई।

[श्री राजमंगल पाण्डेय]

श्री जय प्रकाश नारायण पुत्र श्री कैलाश कुशवाहा ने उक्त घटना सम्बन्धी थाना भटनी में उसी दिन (८–७–७४) को लिखित रिपोर्ट ११–३० बजे रात में चारों उक्त अभियुक्तों को नामजद करते हुये दी जिसके आधार थाने पर धारा ३०७ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम हुआ व थानाध्यक्ष ने तुरन्त विवेचना प्रारम्भ की। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुकदमा धारा ३०२ भारतीय दंड विधान में परिवर्तित किया गया। पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी फोर्स के साथ ९–७–७४ को घटनास्थल पर पहुंचे। श्री कुशवाहा के घर पर सशस्त्र गार्ड नियुक्त किया गया। सभी नामजद अभियुक्तों की तलाश की गई परन्तु कोई पता न चला। उनके विरुद्ध धारा ८२ / ८३ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। उनकी तलाश व गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

मृतक व बृजकिशोर में ग्राम प्रधान के चुनाव के समय से वैमनस्य चला आ रहा था जिसके फलस्वरुप दोनों पक्षों के ३४/३४ व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस ने धारा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रेषित की थी जो न्यायालय द्वारा खारिज की गई।

यह सही नहीं है कि श्री कुशवाहा ने बार-बार पुलिस संरक्षण की मांग करने पर भी उन्हें पुलिस संरक्षण नहीं दिया गया। इस बारे में श्री कुशवाहा ने २९–५–७४ को पुलिस अधीक्षक देवरिया को अपनी जानमाल की रक्षा हेतु एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसे थानाध्यक्ष भटनी के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था। इसके बारे में थानाध्यक्ष ने स्वयं जांच की थी जिसमें ज्ञात हुआ कि श्री कुशवाहा तथा उनके विरोधियों में राजीनामे की बात हो रही है। श्री कुशवाहा ने थानाध्यक्ष भटनी एवं सहायक सब इन्सपेक्टर से स्वयं भेंट करके उक्त प्रार्थना पत्र के बारे में स्पष्ट रूप से बताया था कि उसमें किसी प्रकार की कार्यवाही न की जाय। विरोधी पक्ष से उनका राजीनामा हो गया है। श्री कुशवाहा को विरोधी पक्ष के कुछ लोगों के साथ घूमते और भटनी में चाय की दूकान पर बैठे देखा गया।

यह भी सही नहीं है कि यह एक पूर्व नियोजित राजनैतिक हत्या है तथा सत्तारुढ़ दल या किसी अन्य पार्टी का इसमें कोई हाथ है।

यह भी सही नहीं है कि पिछले दो मास में भाटपार रानी क्षेत्र में पांच से अधिक हत्याएं हुई है। यथार्थ में थाना खामपार के अन्तर्गत वर्ष १९७४ में हत्या की घटना का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।

घटना से जनता में किसी प्रकार का आतंक एवं तनाव नहीं है। स्थिति पूर्णतया सामान्य है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, अपने एक भूतपूर्व विधायक मारे गये हैं और यह जो वक्तव्य दिया है मंत्री जी ने तो इससे बड़ा घृणित रुप पुलिस साजिश का उभर कर सामने आता है। मंत्री जी ने कहा कि १०७/११७ का मुकदमा पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के विरुद्ध चलाया जा रहा था। मान्यवर, अगर मिसाल देखे तो हजारों मिलेंगी कि अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो १०७/११७ का मुकदमा खारिज नहीं होता जब तक कि पुलिस की साजिश न हो। दूसरी बात यह है कि पुलिस में रिपोर्ट मांगी जाती है कि जब तक पुलिस लिख कर न दे दे कि अमन को खतरा नहीं है तब तक खारिज नहीं होता। मान्यवर, तीसरी बात यह कि उन पर ३९४ का मुकदमा चल रहा था। २९–५–७४ को स्वर्गीय कुशवाहा ने पुलिस संरक्षण की मांग की। एक दरख्वास्त दी कप्तान साहब के यहां। कप्तान साहब ने उसको दरोगा के यहां भेज दिया। यह वही दरोगा थे जो सारी साजिश के जिम्मेदार थे। मंत्री जी फरमाते हैं कि इन दोनों को चाय की दुकान पर साथ-साथ चाय पीते देखा जबकि मान्यवर, अल्टीमेंट रिजल्ट यह हुआ कि श्री कुशवाहा की हत्या हुई। ऐसी परिस्थिति में मैं जानना चाहता हूं कि राजीनामा लिखित में लिया गया और

अगर लिया गया तो कब लिया गया और वह क्या है। अगर लिखित नहीं लिया गया तो यह दरोगा और पुलिस की सारी साजिश थी ।

श्री राज मंगल पांडेय--

जो दरख्वात कुशवाहा ने दी और कह दिया कि कोई झगड़ा नहीं है तो फिर क्या बात है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी उचित समझते हैं कि ऐसी परिस्थिति में जबकि वह आदमी पुलिस संरक्षण की याचना करता हो, पुलिस यह कहकर टाल दे कि चाय की दुकान पर दोनों को चाय पीते देखा था। जो मृतक है उसने लिखित नहीं दिया. . . .

(व्यवधान)

श्री राज मंगल पांडेय--

आप देखेंगे कि २९-५-७४ की बात और मर्डर होता है ८-७-७४ को। इसी से जाहिर है कि दरोगा का जो वर्जन है कि राजीनामा हुआ था वह सही है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं। एक विधायक मारा गया है और हम भी मारे जा सकते हैं। क्या गवर्नमेंट की निगाह में पुलिस का यह कंडक्ट, पुलिस का यह कह देना कि राजीनामा हो गया था, जबानी हमसे कह दिया था और चाय की दुकान पर दोनों को चाय पीते देखा था सही था और अगर सही नहीं था तो गवर्नमेंट क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

कार्यवाही का प्रश्न तब उठता है जब कि २९-५-७४ को जो दरख्वास्त दी थी जिसमें उन्होंने अपनी जान को खतरा के बारे में बताया है, उसके बाद वहां पर दरोगा जाता है तो वह उससे यह कह देते हैं कि अब कोई खतरा नहीं है। इसलिये प्रश्न नहीं उठता।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

उस दरख्वास्त को, जिसको कुशवाहा जी ने २९-५-७४ को दी थी और जिसके बारे में मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने दरोगा से कह दिया कि विरोधियों से सुलानामा की बात हो रही है, तो क्या दरोगा ने उस दरख्वास्त को कप्तान के पास भेजा होगा। तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसमें क्या लिखा है ? क्या उसे माननीय सदन की सेवा में और माननीय अध्यक्ष को उसको देने की कृपा करेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय--

एस० पी० की रिपोर्ट का प्रश्न तब होगा, जब उस संबंध में रिपोर्ट मांगी जायेगी।

श्री ओम प्रकाश (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, किसी दूसरे मंत्री जी से जबाव दिलवाया जाय, क्योंकि यह मंत्री महोदय खुद इस मामले से संबंधित हैं।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, दरोगा ने कोई लिखित रिपोर्ट देने की बात नहीं की। उसने तो केवल कहा कि उन्होंने जबानी बता दिया कि अब खतरा नहीं है। मान्यवर, इस दरोगा का इतिहास बता दूं।

[श्री रामसेवक यादव]

३९५ की डकैती का केस, ३९४ का कुशवाहा का केस, फिर १०७/११७ के केस। इन्हीं मुल्जिमान पर ३०२ का कत्ल का केस चल रहा है। इन तमाम बातों के बाद भी ऐसे दरोगा ने कह दिया कि अब उन्होंने, श्री कुशवाहा ने जबानी कह दिया कि अब किसी कार्यवाही की जरूरत नहीं है, इसको कैसे मान लिया जाय। श्री कुशवाहा ने लिखकर ऐसी नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं कि यह सब होते हुये भी क्या श्री कुशवाहा ने एक महीने या डेढ़ महीने में कप्तान, देवरिया को फिर एक प्रार्थना-पत्र दिया कि उनकी जानमाल का खतरा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हुई है ? ऐसे दरोगा के रहते, ये मुल्जिमान जो कई मुकदमे में जिम्मेदार हैं, क्यों उस दरोगा के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी ? लेकिन मुझे दुख है बजाय सरकार की तरफ से कोई रोकथाम की जाय, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की सफाई मंत्री जी पेश कर रहे हैं। मान्यवर, यह प्रदेश के लिये बड़ी खतरनाक बात है और प्रदेश की ला ऐण्ड आर्डर की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है।

(शेम-शेम के नारे)

मान्यवर, इसी सदन के कई माननीय सदस्यों के खिलाफ दुर्घटनायें घट चुकी हैं। एक साथ १० आदमियों की हत्या होती है, एक साथ ३ आदमियों की हत्या होती है, लेकिन इस सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती और दलील पेश की जाती है भ्रष्ट लोगों के पक्ष में। मान्यवर, इस तरह से ये संख्या के बल पर सरकार को भले चला लें और इसके लिये खुश हो लें, लेकिन इस तरह से यह लोकतंत्र का तरीका नहीं है। तो मैं जानना चाहूंगा कि मंत्री जी से क्या कार्यवाही की गई इस पर ?

श्री राज मंगल पांडेय--

१९-५-७४ को दरख्वास्त पुलिस अधीक्षक को श्री कुशवाहा के माध्यम से नहीं दी गयी।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

जब ३९४ का मुकदमा चल रहा था अदालत में और उसके बाद १०७/११७ की कार्यवाही भी थी तो पुलिस ने किस कानून के अन्तर्गत ३९४ का मुकदमा होते हुए १०७/११७ को खारिज करा दिया ?

श्री राज मंगल पांडेय--

माननीय सदस्य जानकार व्यक्ति हैं कानून के। पुलिस १०७/११७ का मुकदमा खारिज नहीं करती, वह तो अदालत ही करती है।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)--

माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि यह सत्य नहीं है कि यह राजनीतिक हत्या थी लेकिन वक्तव्य का एक एक शब्द कह रहा है, पुलिस का आचरण सिद्ध कर रहा है और मंत्री जी द्वारा जो संरक्षण दिया जा रहा है पुलिस को उससे यह सिद्ध होता है कि यह राजनीतिक हत्या थी। ८-७-७४ को कुशवाहा की मृत्यु होती है। उनका गांव पुलिस चौकी से १०० गज के फासले पर है। वहां गोली चली। बहुत से लोग इकट्ठा हुए लेकिन पुलिस चौकी का एक भी सिपाही लाश के पास नहीं पहुंचा। कुशवाहा की भटनी थाने पर पहुंचाया गया लेकिन पुलिस का कोई कर्मचारी थाने पर नहीं गया। भटनी थाने पर एस० ओ० श्री अवस्थी ने अनावश्यक बिलम्ब किया ताकि देवरिया पहुंच कर वह डाइंग डिक्लेरेशन मैजिस्ट्रेट के सामने न दे सकें और रास्ते में ही मृत्यु हो जाय। इस तरह से अर्द्ध-मृत अवस्था में कुशवाहा को

रेल से ले जाया जाता है और साथ में पुलिस का कोई कर्मचारी नहीं जाता है। रास्ते में दो बार ट्रेन की चेन पुल की जाती है और ट्रेन को रोका जाता है और यह कोशिश की जाती है कि उनकी लाश को गायब कर दिया जाय। तो क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि आपकी साजिश थी, पुलिस की साजिश थी और यह राजनीतिक हत्या थी वर्ना पुलिस के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री राजमंगल पांडेय--

अभी तक तो कुछ ही लोगों पर इस बात का भूत था देवरिया जिला होने के नाते लेकिन माननीय सदस्य जिस भाषा में बोल रहे हैं और यह भी कहते हैं कि जो कातिल है वह ३०२ के मुकदमे का मुलजिम है तो दोनों विचारों में अन्तर है। यह मैं समझता हूं कि उनके लड़के ने रिपोर्ट दी कि चारों आदमी देखे गये। साढ़े ८ बजे का आकरेंस है और उसके बाद, ९ बजे थाने में रिपोर्ट आती है। यह सब होने के उपरान्त पुलिस के सिपाही थे या नहीं थे ट्रेन में साथ गये या नहीं गये यह सब इत्तिला तो मेरे पास है नहीं।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

उनका लड़का कातिल का वकील है। उनके बयान से सदन संतुष्ट हो सकता है या उनका बयान दिलवाया जा सकता है। यह मान्यवर, एक नैतिक प्रश्न है कि जिनका लड़का कातिल का वकील हो, वे यहां पर कैसे सदन को संतुष्ट कर सकते हैं। मुख्य मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिये। यदि आपकी व्यवस्था ऐसी हो कि इन्हीं का बयान यहां पर हो सकता है तो मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं कम से कम इस सदन का बहिष्कार करूंगा . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इसके लिये कोई नियम या संविधान नहीं है. .व्यवस्था तो उन्हीं चीजों पर दी जा सकती है जो नियमानुसार हो।

श्री सत्यपाल मलिक--

तो यह विषय उसी वक्त रखा जाना चाहिये जब यहां पर मुख्य मंत्री जी हों. . . . (व्यवधान)। उन्हीं से आप जबाव दिलवाते. . . .

(बहुत से विरोध पक्ष के माननीय सदस्य खड़े हो गये।)

श्री सत्यपाल मलिक--

तो मैं सदन में बैठना नहीं चाहता।

(श्री सत्यपाल मलिक सदन त्यागकर चले गये।)

श्री राम सेवक यादव--

मान्यवर, जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और उसमें मुख्य मंत्री जी का सवाल है तो क्या इसे स्थगित नहीं किया जा सकता ?

(सदन में बहुत शोर होने लगा)

श्री हरिकेवल (जिला गोरखपुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस विषय पर चर्चा की मांग करता हूं। मंत्री जी ने इस प्रश्न पर तोड़-मरोड़ कर उत्तर दिया है। मैं आपके सामने ६-६ दरख्वास्तें पेश करना चाहता हूं जो कि मई से जून तक कुशवाहा जी के पुत्र श्री जय प्रकाश ने दी हैं. . . . . (सदन में घोर व्यवधान हो गया।)

श्री कल्याण सिंह--

ये अभियुक्त हैं, अपराधी हैं ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर, दुनिया के इतिहास में ऐसी सरकार कभी नहीं बैठी थी जैसी कि आज गंगा और यमुना के प्रदेश में यहां पर सरकार बैठी है ।

एक सदस्य--

इनसे जबाव दिलाओ.....

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ देर पहले उधर से एक मानतीय सदस्य ने माननीय राजमंगल जी पांडेय पर चार्ज लगाया कि इसमें मंत्री जी भी शामिल हैं । मैं नहीं कहता कि वह चार्ज सही है, लेकिन आरोप है । दूसरी बात एक सदस्य की तरफ से यह कही गई कि माननीय मंत्री जी के सुपुत्र एक्युज्ड की तरफ से वकील हैं और उन्होंने जमानत भी करायी है । किसी मिनिस्टर का लड़का वकील हो सकता है, सरकारी वकील भी हो सकता है और जमानत भी कर सकता है या करा सकता है । कांस्टीट्यूशनली और लीगली उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो सवाल उठाया है सत्यपाल मलिक ने ऐसी सूरत होते हुए, यदि यह बात सही है, ऐसी परिस्थितियों में माननीय पांडेय जी को इस प्रश्न का उत्तर देने की जिम्मेदारी ओढ़नी चाहिये थी । और यदि दे दी गई है तो उनके लिए मुनासिब यह होता कि वह कहते कि मैं चूंकि इस पर परोक्ष रूप से संबंधित हो जाता हूं, तो मुझसे यह कहना कि मैं इसका जवाब दूं, यह मेरे लिये मुनासिब नहीं है । इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि आप इस मामले को आज मुल्तवी कर दें बजाये इसके कि पांडेय जी को कष्ट दिया जाये । तिवारी जी भी बैठे हुए हैं, लेकिन वह इस पर बिलकुल चुप हैं । तो मेरा सुझाव यह है कि इस सवाल को मुल्तवी कर दें आप और बहुगुणा जी से कहें कि वह खुद इसका जवाब दें सदन में ।

(व्यवधान)

(श्री राजमंगल पांडेय के बोलने हेतु खड़े होने पर शोर व्यवधान)

श्री हरिकेवल--

यह कैलाश कुशवाहा के कातिल हैं, इनके द्वारा जवाब यहां नहीं होने पायेगा।

(व्यवधान)

कई सदस्य--

हत्यारे का भाषण हम लोग नहीं सुनना चाहते ।

श्री रामअधार (जिला आजमगढ़)--

मैं निवेदन करूंगा कि जिस पर माननीय सदन को आपत्ति है । जिनका हत्या में हाथ रहा है, इसलिये माननीय नेता विरोधी दल की बात मान ली जाये । आप इस पर व्यवस्था दें ।

(व्यवधान)

श्री ऊदल--

श्रीमन्, आपने क्या व्यवस्था दी है?

श्री अध्यक्ष--

एक जो नेता विरोधी दल ने कहा कि सत्यपाल मलिक ने यह एतराज किया है सही या गलत कि इसमें मंत्री जी का निकट या दूर का, सही या झूठ, प्रच्छन्न या अप्रच्छन्न संबंध रहा है, उसको इसका जवाब देने दिया जाये या न दिया जाए या जो उनसे बड़ा मंत्री है, उसको जवाब देने दिया जाए । इस पर यही मैंने उनसे कहा कि यह प्रश्न पहले ही आपको उठाना चाहिये था । मैं ऐसे मौके जानता हूं जब इस सदन ने चाहा है कि मुख्य मंत्री जी आ जाये, तो वह बुलाये गये हैं और उन्होंने जवाब दिया है । हमारा सबका पिछला ऐसा अनुभव है । अब बात यह है किसी मंत्री के विरुद्ध आपने आरोप लगाये, वह जवाब दें या न दें, लेकिन स्पष्टीकरण का हक उनका अवश्य हो जाता है । जितने आरोप आपने लगाये हैं, उस पर मंत्री जी को बोलने का अधिकार है, उसका स्पष्टीकरण देने का उन्हें अधिकार है । यह नियम है।

श्री राजमंगल पांडेय--

मैं इस मामले में सारे सदन को विश्वास में लेना चाहता हूं और चौधरी साहब को अपना पंच माने लेता हूं । (व्यवधान) अभी कल भी नोटिस निकली है, जिसमें मुख्य मंत्री जी तक के बारे में कहा गया है कि कातिल उनके पास भी गये थे कांड के बाद । तो यह ऐसी साजिश है, जिसका कोई जवाब नहीं है । मैं चौधरी साहब को इस मामले में पंच बनाता हूं । इस से मेरा रंचमात्र भी सम्बन्ध हो यह सिद्ध हो तो ऐसी अवस्था में मैं त्यागपत्र दे दूंगा ।

(सदन में शोर)

मान्यवर, दूसरी बात मेरा लड़का ए०डी० जी० सी० है । वह सरकार के खिलाफ मुकदमा ले ही नहीं सकता है अगर उसके बारे में कहा जाय कि वह मुलजिम की पैरवी करेगा, जो नियमों के बिलकुल विपरीत है, इस किस्म की बातें कह कर सारे लोगों को धोखे में डालना और किसी की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचाना यह कुछ लोगों का काम हो चुका है, जो राजनीतिक द्वेष से सारी बातें कर रहे हैं । अगर किसी के ऊपर आरोप लगाने की बात है कल से हम भी वही शुरू करें । कहीं न कहीं कोई चीज होगी । उनका लड़का नहीं कहता । चार आदमियों के नाम पर रिपोर्ट है । उस व्यक्ति के ऊपर ३९४ का मुकदमा और १०७/११७ का मामला हो चुका है । हमारा उससे क्या संबंध हो सकता है । इस तरह से आरोप लगाना अगर उनके बारे में मैं कहना शुरू करूं तो मेरी जीभ गन्दी हो जायगी । उनके काम यही हैं ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

मैं जानना चाहता हूं कि न्याय मंत्री से कि जिस रिवाल्वर से कैलाश कुशवाहा की मृत्यु हुई है क्या यह रिवाल्वर आप के ही पत्र के लिखने पर प्राप्त हुआ है । उस आदमी का नाम मैं बता रहा हूं ।

(व्यवधान तथा शोर)

मेरी पूरी बात सुन लें ।

एक सदस्य--

व्यवस्था का सवाल है ।

श्री बांकेलाल--

जिस रिवाल्वर से कैलाश कुशवाहा की मृत्यु हुई है वह रिवाल्वर विजय बहादुर खरे के नाम से है जो बिहार में रहते हैं और विजय बहादुर खरे का थाना बनकटा, ग्राम महवरिया, जिला देवरिया का झूठा पता दे कर, मंत्री जी ने एक पत्र डी०एम० को लिख कर वह रिवाल्वर

[श्री बांकेलाल]

दिलवाया, उससे मृत्यु हुई है । क्या मंत्री जी ने कोई पत्र विजय बहादुर खरे के नाम से रिवाल्वर के लिए डी०एम० को लिखा है या नहीं?

श्री राजमंगल पांडेय--

मैंने न कोई पत्र लिखा है और देशी पिस्तौल से मृत्यु हुई है ।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

(शोर के बीच) माननीय सदस्य यहीं बैठ कर सुनते हैं । जब भी कोई प्रश्न विरोधी पक्ष के सदस्य उठाते हैं तो गालियां देते हैं । अभी माननीय सदस्य हरिकेवल बोल रहे थे, उस दिन भी उस प्रश्न को लेकर उन्होंने सदस्यों को (व्यवधान) कहते हैं तुम बैठो (शोर) यह जो गालियां देता (शोर)--

एक सदस्य--

माननीय सदस्य जो कह रहे हैं अशोभनीय है ।

श्री हरिकेवल--

कैलाश कुशवाहा को जो गोली लगी, मुझे लग रहा है कि यह गोली मेरे ऊपर लगी है । वह गरीब किसान का बेटा था (श्री हरिकेवल ने चप्पल हाथ में ले कर दिखायी) ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

किसी माननीय सदस्य को गालियां देना या (व्यवधान और शोर के बीच) मान्यवर, सदन में गालियां देना या दुर्घटना होना बड़ी शर्मनाक बात है । आप इसकी इंक्वायरी करें कि किस ने गाली दी और जो आप कहेंगे वह हमको मान्य होगा। (व्यवधान) आप सोच लीजिये कि यह बड़ा गम्भीर मामला है । इसे अपने हाथ में ले लीजिये । माननीय नेता विरोधी दल और नेता सदन इस पर निश्चय लें कि ऐसी दुर्घटना नहीं होनी चाहिये । आप इसका निर्णय करें ।

एक सदस्य--

चप्पल दिखा रहे हैं । इसके बारे में आपका क्या कहना है। (व्यवधान) आप इसके बारे में अपनी रूलिंग दें ।

चौधरी चरण सिंह--

श्रीमन्, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस समय सदन में काफी गरमी पैदा हो गई है और ऐसे समय में न तो सवाल पूछे जा सकते हैं और न गवर्नमेंट की तरफ से ठंडे दिल से जवाब दिये जा सकते हैं । इसलिये मैं आप से दरख्वास्त करता हूं कि कोई और बिजनेस हो तो वह ले लिया जाय। इसको आज आप मुल्तवी कर दें और मुख्य मंत्री तक हमारी बात पहुंचा दें कि कल वह इस प्रश्न का जवाब दें । (व्यवधान तथा शोर)

(सदन में इतना शोर हो रहा था कि कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था । कई सदस्य खड़े होकर बोल रहे थे।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इसी सदन में बड़ी जबरदस्त दुर्घटना हो जायेगी अगर आप इसका निराकरण नहीं करेंगे इस तरह से गाली क्यों दी जाती है । सदन में विरोधी दल के लोगों को गाली दी जाय । यह कहां तक ठीक है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जैसा कि··· (व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

गाली दी गई । इस तरह से सदन चलेगा। (व्यवधान)।

श्री बांकेलाल—

यह नहीं चल सकता है । सरकारी पक्ष के लोग गाली देते हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं (व्यवधान)।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि जिस सदस्य ने गाली दी है (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह कह रहा हूं कि माननीय नेता विरोधी दल ने एक सुझाव रखा है (व्यवधान)।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मान्यवर, गाली दी गई है । जिसने गाली दी है वह माफी मांगें। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

किस ने गाली दी ? हमने नहीं सुना है।

(व्यवधान तथा शोर)

माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि इसको दूसरे दिन लिया जाय । मैं इस सवाल को आज स्थगित करता हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या आप इसको एलाऊ करेंगे कि यहां पर मां-बहन की गाली दी जायं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मुझे नहीं मालूम है, आप लिख कर दें, क्या गाली दी और कौन किस को गाली दे रहा है । मैं नहीं सुन रहा हूं (व्यवधान)।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, जो वातावरण पैदा हुआ है उसके लिए मुझे हार्दिक क्लेश है। माननीय सदस्य जो शिकायत कर रहे हैं कि किसी ने गाली दी तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह लिखकर अपनी बात को आपको दे दें और जैसा नेता जनसंघ ने कहा आप बेशक उसकी जांच करें, मुझे आपत्ति नहीं है । मेरी एक ही प्रार्थना है कि न तो नेता जनसंघ ने सुना और न मैंने सुना, लेकिन···

(शोर)

मेरा स्पष्ट मत है और इस माननीय सदन की परम्परा है कि जब कोई माननीय सदस्य गलती करता है तो दूसरा सदस्य उसके विरुद्ध ब्रीच आफ प्रिविलेज लिखकर देता है कि सारे सदन का अवमान हुआ है । और जिस किसी सदस्य ने आपत्ति उठायी है वह लिखकर देवें माननीय अध्यक्ष को । ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल आये तब मैं उसको देख लूंगा और सारा

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

सदन देख ले । जहां तक इस दुर्घटना का संबंध है जिसके सिलसिले में वक्तव्य दिया गया है, जैसा कि नेता विरोधी दल ने कहा, कल भी प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री राजेंद्र सिंह दौनेरिया (जिला आगरा)---

जूता जो दिखाया गया है उसका भी निर्णय होगा?

श्री अध्यक्ष--

जो जो लिखकर आयेगा उसके ऊपर जो नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है, की जायेगी ।

श्री राजमंगल पांडेय---

मेरा निवेदन है कि चौधरी साहेब जा रहे हैं मैंने चौधरी साहेब को पंच माना है वह फैसला कर दें कि मेरा इस मुकदमें से किसी तरह से संबंध है या नहीं है। चौधरी साहेब उसका फैसला करके तब जायें।

चौधरी चरण सिंह---

मैं केवल यह सजेस्ट कर रहा था कि जब इस तरह के आरोप लगाये गये हैं, वह गलत हैं तो भी उचित यह था कि माननीय पांडे जी कहते कि मेरे लिये उत्तर देना उचित नहीं है। जब उनका कोई वास्ता नहीं है तो हक है, कानूनन हक है । मैंने तो सजेशन दिया । जब विरोधी पक्ष को उन पर विश्वास नहीं है तो मुनासिब यह था कि वह कहते मैं उत्तर नहीं दूंगा ।

श्री राज मंगल पांडेय—

यह मेरे उत्तर देने के बाद कहा गया । अगर पहले कहते तो मैं न देता ।

चौधरी चरण सिंह---

मैंने सुना था कि यह कहा जा रहा था कि मुलजिम लखनऊ में घूम रहे हैं और शायद पांडेय जी के मकान पर हैं । वह गलत होगा । मैं मानता हूं ।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, १९७४† (क्रमागत)

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)---

मा० अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक द्वारा जो कर बढ़ाये गये हैं उससे जो अतिरिक्त पैसे बढ़ेंगे उनमें से २/३ भाग फैक्टरी पर खर्च करने की व्यवस्था की गई है और १/३ भाग गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है । लेकिन श्रीमन् कल मंत्री जी बोलते हुए कहे थे कि गन्ना का उत्पादन दक्षिणी प्रदेशों में अच्छा है वहां पर फैक्टरियां अच्छी काम कर रही हैं उनके मुकाबिले में उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। इस प्रकार से धन इकट्ठा करके फैक्टरियों को दिया जायगा और अधिक सुधार किया जायगा । इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है । गन्ने की फैक्टरियां जो हैं वह गुड़ बनायें या शुगर बनायें लेकिन जो परता होता है शुगर का, गुड़ का उसके पीछे ३-४ बातें होती हैं । जमीन जो होती है उसमें कौन सा पदार्थ गुड़ का, शुगर का या माल का आता है । गन्ने की सिंचाई, टाइम से हुई है या नहीं हुई है, खाद ठीक से टाइम से मिली है या नहीं । जलवायु कैसी रही है । यह सब बातें हैं गन्ने के उत्पादन तथा रिकवरी बढाने में । यह सब ३-४ बातें आती हैं ।

---

†१६ जुलाई, १९७४ की कार्यवाही से ।

रिकवरी को लेकर खाली फैक्टरी का खर्च करने के लिए किया जायगा और २/३ पैसा फैक्टरी के ऊपर रखने के लिए कर दिया गया है। इससे फैक्टरियों के माध्यम से लूट घसोट होगी। इस तरह से पूंजीवादी को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही फैक्टरियां हैं जो पहले ढंग से पैसा देती थीं, ढंग से बिक्री होती थी और कोई तबाही किसानों को नहीं होने पाती थी। आज यही फैक्टरियां तबाह हो रही हैं। फैक्टरियां ठीक से नहीं चल रही हैं। रिकवरी ठीक से नहीं हो पा रही है। इन सब बातों के कारण हैं फैक्टरियों के राष्ट्रीकरण की बात, आज मिल मालिक उसके पीछे सतर्क हो गये और सोच रहे हैं जैसे जमींदारी के बारे में हल्ला हो गया कि जमींदारी एबालिश होने वाली है और जमीनें छिपा दी गईं और भिन्न-भिन्न तरीके से लोग जमीनों पर कब्जा कर बैठे हैं। राष्ट्रीयकरण के बजाय समाजीकरण हो या राष्ट्रीयकरण हो या कोई करण करना है तो उसके पीछे उन्हें सूचना दे दी गई और वे लोग फैक्टरी की सारी लागत, सारी जो उसकी सम्पत्ति है अलग-अलग ले जाने लगे। परिणाम यह हुआ कि फैक्टरी की हालत खराब हो गई। अच्छे-अच्छे पुर्जे निकाल लिये गये। उसमें काम चलाऊ काम किया जा रहा है। उसकी कैपेसिटी घट गई और गन्ना पड़ा रह जायगा। लेकिन उसका दोषी किसान है, ऐसी बात नहीं है। उसका दोषी सरकार है या फैक्टरी। सरकार इस बात की दोषी है कि उस ने ऐसा करने से पहले उस को अगाह किया है। सरकार को राष्ट्रीयकरण करना नहीं है, बल्कि उसको खतरे की घंटी बजाकर आगाह करना है और उसने खतरे की घंटी बजाकर आगाह किया है। उसमें कुछ पायेंगे नहीं सिर्फ राष्ट्रीयकरण करेंगे। इस तरह से जो फैक्टरियां खुद अपने को बरबाद कर रही हैं जानबूझ कर पैसा निकाल रही हैं, उन फैक्टरियों पर पैसा देने का गन्ने की रिकवरी से सम्बन्ध नहीं होता है। अगर औसत परता, चीनी का ठीक नहीं है तो गन्ने के विकास की ओर ध्यान देना पड़ेगा। अगर किसानों को गन्ने का अच्छा दाम मिलने लगेगा तो उसके पास खुद भरती हो जायगी, अपना कैपिटल हो जायगा, वह अच्छी खाद ले सकेगा, अच्छे किस्म के बीज बो सकेगा, अच्छी सिंचाई कर सकेगा। इधर सरकार ने १९७१–७२ में गन्ने का मूल्य ७.३५ रुपया प्रति क्विन्टल दिया था। उसका परिणाम यह हुआ कि गन्ने का रकबा घटा, प्रोडक्शन घटा लेकिन उसके बाद जब गन्ने का दाम ८ रुपया कर दिया गया यानी केवल ८ आने बढ़ा दिया तो औसत पैदावार बढ़ गयी और गन्ने का रकबा भी बढ़ गया। आज गन्ने के किसान पूंजीपतियों के हाथ में खेल रहे हैं, उनकी मर्जी पर खड़े हैं। वे मोलवाई के आधार पर कुछ ले पाते हैं तो ले लेते हैं लेकिन गरीब किसानों की शक्ति कहां है कि वे इन मिल मालिकों से लड़ें।

इस वर्ष फैक्ट्रियों ने १२.२५ रुपया प्रति क्विन्टल दाम दिया वह फैक्ट्री ओनर्स की मरजी से ही उन्हें मिला है। सरकार ने तो ८ रुपये ही गन्ने का मूल्य रखा था। ये फैक्ट्रियां बाउंड नहीं हैं कि वे १२ रुपया २५ पैसे प्रति क्विन्टल के हिसाब से किसान को दें। तो मतलब यह है कि गन्ने पर जो आपने क्रय कर लगा दिया जो कमजोर होगा, उससे कटौती करने की कोशिश की जायेगी। आज गन्ने के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर किसानों को अपना गन्ना कांटे तक पहुंचाने की ठीक व्यवस्था हो जाय तो उतना गन्ना ताजा भी जाय और मिलों में उसका परता भी अच्छा हो और उसमें से किसी प्रकार की गड़-बड़ी नहीं हो सकती है। अगर किसान को अच्छा पैसा मिलेगा तो उसकी पैदावार भी अच्छी हो सकती है।

जहां तक औसत पड़ते की बात आपने कही, कि फैक्ट्रियों की कैपेसिटी कम है, १९५९–६० में पेराई की जो उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत की कैपेसिटी थी, उन दोनों की आप तुलना कर लें। १९५९–६० में उत्तर प्रदेश में ७० फैक्ट्रियां थीं जिन्होंने ७९,४८८ टन गन्ना पेरा, बिहार में इसी वर्ष में २८ फैक्ट्रियों ने पेरा है और २८,३३७ टन गन्ना पेरा। महाराष्ट्र में ३६ फैक्ट्रियों ने गन्ना पेरा और ३६,६५० टन गन्ना पेरा। गुजरात की दो फैक्टरियां हैं जिन्होंने १८०० टन गन्ना पेरा है। आंध्र में ११,६५० टन गन्ना पेरा गया।

[श्री दशरथ सिंह]

मद्रास में ६ फैक्टरीज हैं जिन्होंने ६,३४० टन गन्ना पेरा। तो ७० फैक्टरियों में ७९,४८८ टन गन्ना पेरा गया। महाराष्ट्र को ले लें वहां २६ फैक्टरीज ने २६,६८० टन गन्ने की पेराई की। तो उत्तर प्रदेश की पेराई की क्षमता महाराष्ट्र से अधिक है। कहने का मतलब यह है कि १९५९-६० में हमारी फैक्टरियों की पेराई कैपेसिटी अधिक थी, आज घट कैसे गयी? उसके लिये सरकार जिम्मेदार है। फैक्टरियों पर पैसा खर्च करने से कुछ फायदा नहीं होगा। अगर गन्ने को उन्नत करने की बात है तो जरूरी है कि किसान को सही दाम दिया जाय उसको बीज और खाद का प्रबन्ध किया जाय तो गन्ने की उपज बढ़ेगी और रकबा बढ़ेगा, गन्ना का पर हेक्टेयर अधिक बढ़ेगा। आप अधिक पानी, खाद और बिजली का इस्तेमाल सही करा दें तो जो गन्ना सूख जाता है वह नहीं सूख पायेगा। जब गन्ना सूख जाता है तो उसका पड़ता नहीं रहता, उसकी कुछ राब बनती है, शीरा बन जाता है और शुगर की फैक्टरियों में देख लीजिये तो पता चल जायगा कि चीनी का पड़ता कम रहता है। इसलिये उधर ध्यान दें। सिंचाई की व्यवस्था सुचारुरूप से कर दें, गन्ना पहुंचाने की व्यवस्था सुचारुरूप से कर दें और खाद की व्यवस्था हो तो किसान को अच्छा दाम मिल जायगा और यह रिकवरी भी अच्छी हो जायगी। उतना फर्क नहीं है।

१९५९-६० में उत्तर प्रदेश में रिकवरी ९.६९ रही, बिहार में ९.४३ रही, आंध्र की ११.७३, मद्रास की ९.८५ और मैसूर की १०.६५। तो इतना बड़ा अन्तर नहीं है। जो जमीन का अन्तर है उससे कुछ फर्क हो जाता है, वह तो होगा ही, उसको तो हम नहीं मिटा पायेंगे। लेकिन अगर सुधार किया जाय तो काफी अन्तर मिटाया जा सकता है। लेकिन दुख इस बात का है कि आज हमारी सरकार उन डाक्टरों जैसी हो गयी है कि जो मर्ज की तसखीस करते हुए भूल जाते हैं कि मर्ज क्या है और इसकी दवा क्या करनी है और भले ही डाक्टर पढ़ा-लिखा क्यों न हो लेकिन देहाती पुराने जो हकीम रहे वह आज के एम० बी० बी० एस० डाक्टर से कहीं बेहतर थे। क्योंकि वह बहुत ज्यादा अनुभवी थे। मैं यह नहीं कहता कि वह अनुभवी नहीं हैं, लेकिन वह अनुभव उलटा ही लेते रहे हैं क्योंकि तुगलक बादशाह की तरह से वह अगर देहली और दौलताबाद में घूमते रहेंगे तो मर्ज का इलाज उलटा हो जायगा। तो आज मंत्री लोग उलटा सोच रहे हैं। गन्ने का दाम सही न दिलवा करके वह कम करने के चक्कर में फंसे हैं और कर जो लगाना है उसके लिये तीन सदस्यों की समिति बनायी जा रही है। उसमें वही लोग हैं जो हमेशा लूटते रहे हैं और खाने वाले हैं। अगर किसान की गरीबी मिटाना है, मजदूरों को प्रोत्साहन देना है तो किसान का नेतृत्व भी उस समिति में होना चाहिये। एक आदमी, दो आदमी किसान के शामिल होने चाहिये थे। इतने एम० एल० ए० चुनकर आये हैं इनमें से एक व्यक्ति होना चाहिये था जो जनता के इन सब दुखदर्दों को जानने वाला आदमी होता, जो समझता कि गन्ने के लिये सही व्यवस्था क्या होनी चाहिये। लेकिन उसमें वे लोग गये जो एयर कंडीशन में बैठे हुए मस्ती से हवा काटते हैं। जो हमेशा लूटते रहे। इसलिये मैं कहता हूं कि इस समिति में दो किसान, दो विधायक और एक एम० एल० सी० को अवश्य शामिल किया जाय।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)--

अध्यक्ष महोदय, कभी हम बोले नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--

एक-दो मिनट के लिये बोल लीजिये।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी--

अध्यक्ष महोदय, वाकई हम दिहात के आदमी हैं। हमार निवेदन है कि हमें बोलने का मौका मिले। इस हबड़सबड़ में हम कुछ कहि नहीं सकित। यह हल्ला गोहारि हमरी समझ

मां आवति नहीं कि हमरे किसानों की बाबत भी कुछ कहति होई। तो हम तो यही खुश हन कि आज कहै का मौका पायन। वैसे तो कागज पतुर में और भाषण में सुना ही करति हन कि किसानों के लिये कुछ कहा जाति है लेकिन गन्ना और अनाज का भाव करीब करीब वही है। कटौतीएक रुपया प्रति क्विंटल किसान से लीन्ह जाति है लेकिन जौन खर्च वर्च का हिसाब करे वाले आदमी हैं वहिमा किसान का आदमी कोई हमरी समझ में नहीं है। हमरे सुझाव में इतना जरूरी जोड़ दिया जाय कि काश्तकारों की तरफ से उसमें कोई सदस्य जरूर रखा जाय और गन्ने का बकाया जो ४० करोड़ रुपया है उसको जरूर वसूला जाय और किसानों को दिलाया जाय बल्कि गवर्नमेंट से जितना हो सके अपनी तरफ से मिला कर किसानों के प्रति जो भी सुविधा हो सके स्पेशल तरीके से की जाय।

ज्यादा बोले की हमें प्रैक्टिस है नहीं। काफी बोलने वाले, पढ़े लिखे होशियार लोगों के यहां आने के बाद भी किसान को सन्तोष नहीं है। अब ऐसे कुछ देहाती भेजेंगे जो उनकी बात यहां आकर कहें और वह अच्छी तरह से समझ लें कि हमरे कैन्डीडेट ने हमारी बात कही। हमें ज्यादा से ज्यादा मौका देने की कोशिश करिये ई हमार प्रार्थना है। नये नये आये हैं, आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ेंगे।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

मैं बहुत आभारी हूं माननीय सदस्यों का जिन्होंने सिद्धान्ततः इस विधेयक को स्वीकार किया और इसके महत्व को स्वयं अंगीकार किया। जैसा कि मैंने प्रारम्भ में ही कहा यह विधेयक गन्ना व चीनी उद्योग को प्रदेश में बढ़ावा देने वाला है और उसके लिये एक निश्चित धनराशि को सुनिश्चित करता है। माननीय सदस्य आदरणीय वीरेन्द्र वर्मा जी ने यह सुझाव दिया था कि पहले डाक्टर कैलाशनाथ काटजू ने यहां पर आश्वासन दिया था लेकिन वह गन्ना क्रय कर फिर गन्ना विकास में नहीं खर्च हो सका और अधिकांशतः उसका जनरल बजट में चला गया। उसी भावना से अब हमने इसको बिलकुल इयरमार्क कर दिया है और गन्ना विकास और चीनी उद्योग में ही यह धन लगेगा। जो यह कहा गया कि इससे राष्ट्रीयकरण के निर्णय में कोई बाधा पड़ेगी ऐसी बात नहीं है। प्रदेशीय सरकार का जो निर्णय पहले से है वह कायम है। हमने भारत सरकार से इस बात को कह रखा है। वहां एक भार्गव कमीशन बैठा था जिसकी रिपोर्ट भारत सरकार के विचाराधीन है। गन्ना और चीनी मिलें केन्द्र के नियन्त्रण में हैं। उसी के निर्णय इस सम्बन्ध में हो सकते हैं। तो हमारी नीति स्पष्ट है। भार्गव कमीशन की रिपोर्ट पर निर्णय केन्द्र लेने वाला है। तो यह विधेयक इसी पृष्ठभूमि में देखा जाय। इसका रुपया इतना तो होगा ही नहीं कि ४-६ साल में भी पूरा कर लें तब तक चीनी उद्योग का क्या भविष्य होगा? वह तो हमारी नीति के अनुसार होगा इतनी हमें आशा है। तो मान्यवर, एक विशेष परिस्थितियों में यह विधेयक लाया गया है। सभी की मंशा के मुताबिक यह बिल है। गन्ने की बकाया के लिये हम कोशिश कर रहे हैं। पहले २१ करोड़ की बकाया धनराशि थी पिछले दिनों में। उसमें से ५ करोड़ का और भुगतान हो चुका है, बाकी की भी कोशिश की जा रही है। आशा है यह सदन इस पर विचार करेगा और पारित करेगा।

एक सदस्य--

जो सरकारी मिलें पैसा नहीं दे रही हैं उनसे तो दिलवा दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

उसके लिये भी कोशिश कर रहे हैं, मैं माननीय सदस्य से बात करके उनकी शंका का समाधान कर दूंगा।

एक सदस्य--

गन्ने के भाव के बारे में आपने क्या सिफारिश की है?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

इस विधेयक से उसका कोई संबंध नहीं है। अभी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७४ को सदन की एक प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय, जो अपनी रिपोर्ट एक माह के अन्दर प्रस्तुत कर दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७४ पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७४

उत्तर प्रदेश में दो विशेष निधियों के जिनमें से एक, गन्ना अनुसंधान एवं विकास के लिये, और दूसरी, शक्कर फैक्टरियों के पुनः स्थापन, आधुनिकीकरण तथा स्थापना के लिये हो, सृजन की व्यवस्था करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, १९७४ कहलायेगा।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे, राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

उ०प्र० अधिनियम सं० ९, १९६१ की धारा ३ का संशोधन

२--उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ३ में--

(क) उपधारा (१) के खण्ड (क) में, शब्द "सड़सठ पैसे" के स्थान पर शब्द "एक रुपया" रख दिये जायें।

(ख) उपधारा (९) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्:--

"(१०) उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन लगाये गये कर में उस सीमा तक जहां तक कर की दर प्रति क्विंटल गन्ने पर साठ पैसे से अधिक हो, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, विधि द्वारा सम्यक् विनियोग किये जाने के पश्चात्, राज्य सरकार राज्य की संहृत निधि में से उतनी धनराशि निकालेगी जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान वसूल किये गये कर के आगम

के बराबर हो, और उसे नीचे लिखी दो पृथक् निधियों के खातों में निम्नलिखित अनुपातों में जमा करेगी, अर्थात्:—

(क) एक तिहाई भाग, 'उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान एवं विकास निधि' के खाते में, और

(ख) दो-तिहाई भाग, 'उत्तर प्रदेश शक्कर फैक्टरियां पुनः स्थापन, आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि' के खाते में।

(११) उपधारा (१०) में अभिदिष्ट दोनों पृथक् निधियों में उस उपधारा में निर्दिष्ट आगमों का जमा किया जाना राज्य की संहत निधि पर भारित व्यय होगा।

(१२) उक्त दोनों निधियों का अनुरक्षण तथा प्रवर्तन एक समिति में निहित होगा जो उत्तर प्रदेश शक्कर विशेष निधि समिति कहलायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, शक्कर उद्योग विभाग, जो समिति का संयोजक होगा;

(ख) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड;

(ग) गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

(१३) उपधारा (१२) में अभिदिष्ट समिति एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा, और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा, और उसे निधियों की धनराशि को ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, विनिहित करने की और निधियों के उपरोक्त नामों में क्रमशः इंगित पर उद्देश्यों पर व्यय करने की शक्ति होगी।"

श्री आशाराम यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ (क) में शब्द "एक रुपया" के स्थान पर शब्द "पचहत्तर पैसा" कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ (क) में शब्द "एक रुपया" के स्थान पर शब्द "पचहत्तर पैसा" कर दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री त्रिवेणी सहाय—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में मूल अधिनियम की धारा ३ की प्रस्तावित उपधारा (१०) के भाग (क) में 'एक तिहाई भाग' के स्थान पर "दो तिहाई भाग" तथा भाग (ख) में "दो तिहाई भाग" के स्थान पर "एक तिहाई भाग" रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ में मूल अधिनियम की धारा ३ की प्रस्तावित उपधारा (१०) के भाग (क) में 'एक तिहाई भाग' के स्थान पर 'दो तिहाई भाग' तथा भाग (ख) में 'दो तिहाई भाग' के स्थान पर 'एक तिहाई भाग' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री आशाराम यादव---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में मूल अधिनियम की धारा ३ की प्रस्तावित उपधारा (१२) के अंत में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय---

(घ) केन डेवलपमेंट फेडरेशन का एक प्रतिनिधि

(ङ) विधान सभा के २ तथा विधान परिषद् का एक प्रतिनिधि, जो सदन का सदस्य भी होगा ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २ में मूल अधिनियम की धारा ३ की प्रस्तावित उपधारा (१२) के अंत में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय---

(घ) केन डेवलपमेंट फेडरेशन का एक प्रतिनिधि,

(ङ) विधान सभा के २ तथा विधान परिषद् का एक प्रतिनिधि, जो सदन का सदस्य भी होगा ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री दशरथ सिंह---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में मूल अधिनियम की धारा ३ की प्रस्तावित उपधारा (१२) (ग) के बाद निम्नलिखित लिख दिया जाय---

(घ) गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधि जिनकी संख्या २ होगी ।

(ङ) २ विधान सभा सदस्य तथा १ विधान परिषद् सदस्य ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २ में मूल अधिनियम की धारा ३ की प्रस्तावित उपधारा (१२) (ग) के बाद निम्नलिखित लिख दिया जाय---

(घ) गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधि जिनकी संख्या २ होगी ।

(ङ) २ विधान सभा सदस्य तथा १ विधान परिषद् सदस्य ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री त्रिवेणी सहाय---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड (२) में मूल अधिनियम की धारा ३ की प्रस्तावित उपधारा (१२) के अंत में भाग (घ) करके निम्नलिखित जोड़ दिया जाय---

'चेयरमैन यू० पी० केन फेडरेशन'

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड (२) में मूल अधिनियम की धारा ३ की प्रस्तावित उपधारा (१२) के अंत में भाग (घ) करके निम्नलिखित जोड़ दिया जाय---

'चेयरमैन, यू० पी० केन फेडरेशन'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २, खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७४ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७४ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल फिर ११.०० बजे बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर १३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
१७ जुलाई, १९७४

विधान सभा सदस्य दर्शिका

नत्थी "क"

[देखिए नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७० पर]

(१) सायर पम्प नहर की क्षमता वृद्धि की योजना- निर्माण कार्य हो रहा है।

(२) अमौरा पम्प नहर की क्षमता वृद्धि की परियोजना बनाई जा रही है।

(३) ताजपुर-कुर्रा पम्प नहर--सर्वेक्षण हो रहा है।

(४) भतौरा पम्प नहर--सर्वेक्षण हो रहा है।

(५) इस तहसील में वर्ष १९७४--७५ में ३ नलकूप जिला नलकूप चयन समिति ने बनाने का निर्णय लिया है।

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८५ पर)

सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिनांक २३-१-७३ को सार्वजनिक निर्माण मंत्री के समक्ष प्रस्तुत मांगों का विवरण

*(१) समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जाय।

*(२) अप्रैल, १९७१ से दी गयी अन्तरिम सहायता वर्क-चार्ज व मस्टर रोल के कर्मचारियों को दी जाय।

*(३) एक वर्ष के सेवा काल वाले सभी कर्मचारियों को बिना किसी भेद भाव के नियमित किया जाय।

*(४) मार्च ६८ व मार्च ७१ के बकाया वेतन के एरियरों का तुरन्त भुगतान किया जाय।

*(५) अस्थायी गैंगों के कर्मचारियों को भी त्योहारों का अवकाश सवेतन किया जाय।

*(६) विभाग के समस्त कर्मचारियों को तरक्की के लिये चैनल आफ प्रोमोशन पद्धति अपनायी जाये।

*(७) मैकेनिकल स्टाफ को माइलेज एलाउन्स, ड्यूटी एलाउन्स और ड्राइवरों को रोड एलाउन्स प्रदान किये जायें।

*(८) सभी कर्मचारियों को मौसम के अनुसार वर्दियां दी जायं।

*(९) वर्कचार्ज में जो कर्मचारी पुराने वेतन क्रम में वेतन पा रहे हैं उन्हें नये वेतन क्रम बनाकर वेतन प्रदान किया जाय।

*(१०) जिन कर्मचारियों को नियमित किया गया है उनकी वार्कचार्ज व मस्टर रोल की सेवायें सेवा अवधि में शामिल की जायं।

(११) जिन प्रशासनिक अधिकारियों को एक स्थान पर तीन वर्ष हो गये हैं उन्हें तुरन्त स्थानान्तरित किया जाय।

(१२) सभी कर्मचारियों को ८.३३ प्रतिशत बोनस दिया जाय।

(१३) २०-७-७१ को फेडरेशन द्वारा दिये गये मांग-पत्र पर निर्माण मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को पूरा कराया जाय।

*(१४) नगरपालिका सीमा से बाहर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को साइकिल एलाउन्स दिलाया जाय।

(१५) हाई-स्कूल पास वर्क एजेन्ट जो लिपिक का काम विभाग में कर रहे हैं उन्हें लिपिक बनाया जाय और इन्टरमीडियेट की शर्त को समाप्त किया जाय।

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८७ पर)

[प्रश्न में पूछी गई मांगों का विवरण

१--समस्त हटाये १८ ट्यूबवेल आपरेटरों को सेवा में बहाल किया जाये।

२--जिलाधीश के समक्ष किया गया समझौता पूरी तरह से लागू किया जाये।

३--सभी वर्कचार्ज कर्मचारियों को रेगुलर किया जाये।

४--सभी तीन साल के रेगुलर कर्मचारियों को स्थायी किया जाये।

५--टी० ए० के निर्धारित नियम को समाप्त किया जाये।

६--सभी कर्मचारियों को नियमानुसार सेवा पुस्तिका तैयार करके जी० पी० एफ० काटने की नियमानुसार व्यवस्था की जाये।

७--लगभग दस साल से किसी भी नलकूप चालक को वार्षिक बढ़ोत्तरी नहीं दी गई है उसे लगाया जाये तथा बकाया का अविलम्ब भुगतान किया जाये।

८--सभी नलकूप चालकों को बकाया हाउस रेंट दिया जाये।

९--सभी वर्कचार्ज कर्मचारियों को टी० ए० मय माइलेज के दिया जाये।

१०--किसी भी कर्मचारियों को तबादला करते समय एक ही नियम पूर्वक साथ कड़ाई से लागू किया जाये।

११--सभी नलकूप चालकों को बस्ता तथा पतरौल बाक्स दिया जाये।

१२--सभी हेल्पर तथा चौकीदार एवं बेलदारों की ज्येष्ठता सूची के आधार पर एक सूची तैयार करके उसे प्रसारित की जाये तथा तीन साल के सेवारत कर्मचारियों को रेगुलर किया जाये।

१३--किसी भी हेल्पर एवं चौकीदार व बेलदार को अवकाश सेवा मुक्त न किया जाये।

१४--बेगार प्रथा बन्द की जाये तथा आपके बंगले पर बेगार कर रहे समस्त कर्मचारियों को अपने वास्तविक स्थान पर सरकारी काय करने हेतु वापस किया जाये।

१५--समस्त आपरेटरों की ज्येष्ठता पर आधारित सूची तैयार की जाये व उसे प्रसारित की जाये।

१६--बिना कार्यवाही के मौखिक आदेश पर काटे गये वेतन दिलाये जाये।

विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८७ पर)

मांगों की सूची जो स्वीकार की गई

१—रेगुलर कर्मचारियों पर वेतन अभिनवीकरण समिति द्वारा निर्धारित वेतन-क्रम लागू किया जाय ।

२—रेगुलर किये गये समस्त कर्मचारियों को बकाया एरियर का भुगतान सभी डिवीजनों में अतिशीघ्र किया जाय ।

३—रेगुलर हुये कर्मचारियों का तत्काल सर्विस बुक दिया जाय व सालाना तरक्की दी जाय और जो ३ वर्ष से अधिक रेगुलर सेवा में है उन्हें अविलम्ब स्थायी किया जाय ।

४—विभाग के समस्त श्रमिकों के लिये तरक्की के रास्ते खोलने हेतु नियम बनाये जायं (चैनेल आफ प्रोमोशन) तय किया जाय ।

५—रेगुलर सेवा में लिये गये कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में संघ द्वारा प्रेषित पत्र संख्या श्रमिक ४४०/७२, दिनांक १३-६-७२ पर तत्काल कार्यवाही की जाय ।

६—प्रान्तीय खंड बस्ती, प्रान्तीय खंड लखीमपुर, प्रान्तीय खंड गोंडा, मार्ग निर्माण खंड लखीमपुर में कर्मचारियों को रेगुलर करते हुये अनियमितताओं की मुख्य अभियन्ता के वैयक्तिक सहायक श्री दास द्वारा की गई जांच में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासकीय कार्यवाही की जाय ।

७—लैब सहायकों की सेवायें रेगुलर करने हेतु इन्टरमीडियेट परीक्षा का प्रतिबन्ध समाप्त करके ज्येष्ठता के अनुसार हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण विभागीय लैब सहायकों की सेवायें रेगुलर की जाय ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११२ वि० सभा—(१५१५)—१९७५—८३५ ।